लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—8, बुधवार, 26 नवम्बर, 1969/5 अग्रहायण, 1891 (शक)
No.—8, Wednesday, November 26, 1969/5 Agrahayana, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
211. खादी तथा हथकरघा उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले सूत पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Yarn Supplied to Khadi and Handloom Industry	1—4
212. रूस को रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail wagons to USSR	4—7
213. उपग्रह से संकेतों को ग्रहण करने वाले टेलीविजन सेट का आविष्कार	T.V. Set invented for catching Signals from a Satellite	7—11
215. प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के अधीक्षण के लिये विशेष एकक का निर्माण	Creation of Special Cell to Supervise Implementation of Administrative Reforms Commission's Recommendations	11—13
216. चीनियों द्वारा पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध-प्रणाली में प्रशिक्षण	Guerilla Warfare Training to Pakistanis by the Chinese	13—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
214. तिब्बती राष्ट्रिकों का भारत आना	Entry of Tibetan Nationals into India	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
217. पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे पाकिस्तान से हथियारों का लाया जाना	Smuggling of Arms into West Bengal from Pakistan	16—17
218. निर्यात के लिए औद्योगिक उत्पाद	Industrial products for Exports	17
219. रेल माल डिब्बा उद्योग	Rail wagon Industry	18—19
220. रीड, कैम्ब एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आयात नियमों का उल्लंघन	Violation of Imfort Regulations by Reed. Camb and Allied Products (P) Ltd.	19
221. पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा की क्रियान्विति	Implementation of Tashkent Declaration by Pakistan	19—20
222. इसराइल के प्रधान मन्त्री की शव यात्रा में भारतीय प्रतिनिधि	Indian Representative at Israel Prime Minister's Funeral	20
223. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कमियां	Deficiencies in Public Sector Industries	20
224. पूर्व बर्लिन में व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय	Trade Representation in East Berlin	20—21
225. भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या में कटौती	Reduction in India's Army strength	21
226. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि	Rise in the Pensions of Ex-servicemen	21
227. चौथी योजना में भारत द्वारा निर्यात	India's Exports during Fourth Plan	21—22
228. लाओस में अमरीकी सेना भेजना	Sending of US Troops to Laos	22
229. भारत में मुस्लिमस्तान के लिये ज्ञापन	Memorandum for Muslim Home Land in India	23
230. नारियल जटा और उससे बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Coir and Coir Goods	23—24
231. प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये राज्यों में अर्जित की गई कृषि भूमि	Agricultural Land Acquired in States for Defence Purposes	24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
232. बन्द कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills	25—26
233. रूई का आयात	Import of Cotton	26
234. "मिनिमम डेटेरेंट इंडियन्स न्यूकलियर आंसर टू चाइना" नामक पुस्तक	Book entitled "Minimum Deterrent" India's Nuclear Answer to China	27
235. प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Defence production	27
236. क्षेत्रीय सहयोग के लिये काबुल में होने वाली बैठक के प्रति पाकिस्तान का दृष्टिकोण	Pak. Attitude to Kabul Meeting Regional Co-operation	27—28
237. नेपाल के साथ हुए 1965 के सैनिक करार को रद्द करना	Rescinding of 1965 Military Agreement with Nepal	28
238. प्रैस इन्स्टीच्यूट आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित 'डिफैंस आफ इंडिया' नामक पुस्तक	Book entitled 'Defence of India' published by Press Institute of India	28—29
239. इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा निर्यात	Exports by Engineering Industry	29—30
240. भारत को चीन से खतरा	Chinese Threat to India	30

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1401. मंत्रियों के लिये आचरण संहिता	Code of Conduct for Ministers	31
1402. पायनियर मिशन, मनीपुर को आयात लाइसेंस	Import Licence to Pioneer Mission, Manipur	31
1403. हथकरघा उद्योग	Handloom Industry	31—32
1404. देहू रोड इन्द्रायणी बस्ती	Dehu Road Indrayani Colony	32
1405. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल	Indian Delegation to UN Assembly	32—33
1406. लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में मितव्ययता	Economy in Indian High Commission, London	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1407.	पालमपुर में चाय परिष्करण एकक	Tea Processing Unit at Palampur	33—34
1408.	बर्मा से चावल की पेशकश	Offer of rice from Burma	34
1409.	विद्रोही नागाग्रों का बर्मा चले जाना	Croosing of Naga Hostiles into Burma	34—35
1410.	दलाई लामा	Dalai Lama	35
1411.	केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग	Inquiry Commission against Union Ministers	35
1412.	नागाओं के साथ मुठभेड़ों में मारे गये भारतीय सैनिक	Indian Troops killed in encounters with Nagas	35
1414.	भारतीयों को विदेशी पुरस्कार	Award from Foreign Countries	36
1415.	चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में परिवर्तन	Change in resources of the Fourth Five Year Plan	36
1417.	चौथी पंचवर्षीय योजना की संशोधित रूपरेखा	Revised Outlines of Fourth Five Year Plan	36
1418.	लौंगों के आयात पर प्रतिबन्ध	Restriction on Imports of Cloves	36—37
1419.	संयुक्त आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी आयोग का गठन	Constitution of Joint Economic Trade and Technical Commission	37
1420.	राज्य व्यापार निगम द्वारा वूल टापस की खरीद	Purchase of wool tops by STC	37
1421.	अखिल भारतीय क्षेत्रीय असन्तुलन बोर्ड	All India Regional Disparity Board	38
1422.	परमाणु शक्ति केन्द्रों के निकट कृषि उद्योग समूह स्थापित करना	Setting up of Agricultural Industry Groups near X Atomic Power Stations	38
1423.	भूतपूर्व सैनिकों का जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और गुजरात में पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat	38—39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1424. टायर के मामले में दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary action taken against Defaulting officer in tyre case	39
1425. वैदेशिक कार्य मंत्रालय में हिन्दी में कार्य	Work done in Hindi in Ministry of External Affairs	39
1426. भारत में बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	Number of Unemployed Ex-servicemen in India	40
1427. आर० सी० एल० और एस० एल० आर० राइफलों की कमी	Shortage of RCL and SLR Rifles	40—41
1428. डाकुओं को पुलगांव डिपो से गोला बारूद मिलना	Dacoits getting Ammunition from Pulgaon Depot	41
1429. पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Manufactures	41—42
1430. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विदेशी सहयोग के साथ हैलिकाप्टरों का निर्माण	Manufacture of Helicopters by Hindustan Aeronautics Ltd. with Foreign Collaboration	42
1431. स्वेतलाना की पुस्तक	Madam Svetlana's Book	42—43
1432. दिल्ली सैनिक बोर्ड (दिल्ली सोलजर्स बोर्ड) के सचिव के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई शिकायतें	Complaint lodged by Ex-servicemen against Secretary, Delhi Solders Board	43
1433. भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष सुविधा तथा पुनर्वास निधि	Special Facilities and Rehabilitation Fund for Ex-servicemen	43
1434. पेंशन में वृद्धि	Enchancement in Pensions	43—44
1435. देश में एमरजैंसी कमीशन प्राप्त बेरोजगार अधिकारियों की संख्या	Number of Unemployed Emergency commissioned officers in the country	44—45

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1436. काश्मीर सिक्यांग सीमा पर मोरखुन और खुंजर ए० बी० के बीच बनायी गयी संपर्क सड़क	Track link between Mor Khan and Khunjer AB on Kashmir Sinkiang Border	45—46
1437. दलाई लामा के बारे में चीन द्वारा भारत पर आरोप	Chinese Accusations against India on Dalai Lama	46
1438. विकासशील देशों के लिये व्यापार प्राथमिकतायें	Trade preferences for developing Countries	46—47
1439. भारत के निर्यात पर मात्रा की पाबन्दी समाप्त करना	Withdrawal of Quantitative Restriction on India's Export	47—48
1440. इसराइल की सेना में अमरीकी नागरिक	American Citizens in Israeli Army	48
1441. ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारतीय लड़कियों को विदेशों में ले जाया जाना	Indian Girls taken abroad by Christian Missionaries	48—49
1442. गुट-निरपेक्ष नीति में परिवर्तन	Change in Non-alignment policy	49
1443. चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र	Nuclear weapons with China and Pakistan	49—50
1444. चीन द्वारा दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण	Long range missile manufactured by China	50
1445. पाकिस्तान द्वारा 200 रूसी टैंकों की मांग	Demand made by Pakistan for 200 Russian Tanks	50
1446. दूसरी प्रतिरक्षा योजना	Second Defence Plan	51
1447. राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच व्यापार के लिये बाजार विकास निधि	Market Development Fund for trade among Commonwealth countries	51
1448. रूई, ऊन और कृत्रिम रेशे आदि का आयात	Import of cotton, wool and Synthetic Fibres etc.	51—52
1449. भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संस्था	Indian Jute Industry Research Association	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1450.	एम० आर० ए० द्वारा विदेश यात्रा के लिये प्रायोजित व्यक्ति	Persons sponsored by M.R.A. for foreign visit	53
1451.	वैदेशिक व्यापार में प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें	Institutions imparting training in Foreign Trade	53
1452.	आरक्षित पदों को आरक्षित पदों में बदलना	Conversion of reserved posts into unreserved posts	53—54
1453.	केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था के प्रकाशन	Publications of Central Statistical Organisation	54
1454.	न्यूयार्क टाइम्स में महात्मा गांधी पर लेख	Article on Mhatma Gandhi in New York Times	54
1455.	चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने के लिये पाकिस्तान का समर्थन	Pak. advocacy for admission of China to U.N.O.	55
1456.	सिगरेटों का निर्यात	Export of Cigarettes	55
1457.	लक्कदीव द्वीपसमूह में नौ सेना का अड्डा	Naval base in Laccadive Islands	56
1458.	फर्मों को काली सूची में रखना	Black listing of firms	56
1459.	इंजीनियरी उद्योग में निर्यात करने वाले एकक	Exporting units in Engineering Industry	56—57
1460.	प्रतिरक्षा विभाग में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिये योजना	Plan for Scientific Research and Development in Defence	57—58
1462.	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिये भारतीय प्रत्याशी	Indian Candidature for International Court	58
1463.	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी सरकार का भारत में कार्यालय	South Vietnam Provisional Government Office in India	58
1464.	नई रेजिमेंट बनाना	Creation of New Regiments	58—59
1465.	सरकारी विभागों द्वारा सूती कपड़े की खरीद	Purchase of cotton fabrics by Government Departments	59

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1466. तिलहनों तथा तिलहन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये परिषद	Export promotion council for oil seeds and oil seeds products	59—6
1467. रूई के आयात के लिये निगम	Corporation for import of cotton	60
1468. कपास का उत्पादन	Production of cotton	60—61
1469. नेशनल टैस्ट हाउस, कलकत्ता के निदेशक	Director of National Test House, Calcutta	61—62
1470. नेशनल ज्योग्राफिक ग्लोब, 1966 में काश्मीर को स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखाया जाना	Kashmir an Independent Entity in National Geographic Globe, 1966	62
1471. पटसन के माल के मूल्य में गिरावट	Fall in the prices of jute goods	62
1472. चाय पर निर्यात शुल्क कम करना	Reduction in export duty on Tea	62—63
1473. फिलीपीन के विदेश मंत्री से वार्ता	Talks with Philippines Foreign Minister	63—64
1474. थुम्बा रोकेट प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़ा गया ड्रैगन रौकेट	Dragon Rocket Launched from Thumba Rocket Lanuching Station	64
1475. लीबिया में विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध	Ban on foreign businessmen in Libya	64—65
1476. चमड़े पर निर्यात शुल्क	Export duty on leather	65
1477. भारत के लिये निर्यात लक्ष्य सम्बन्धी अध्ययन दल	Study group on Export strategy for India	65
1478. प्रतिरक्षा सेवाओं में पदोन्नतियां	Promotions in Defence Services	66
1479. पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं का भारत में प्रवेश रोकने की कार्यवाही	Steps to prevent entry into India of Pak. trained Nagas	66

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1480. नानकाना साहिब में नानक की 500वीं जन्म शताब्दी समारोह	Nanak Quincentenary Celebrations at Nankana Sahib	66—67
1481. पाकिस्तान के प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि	Increase in Pakistan's Defence Expenditure	67
1482. मिग 21 विमानों का निर्माण	Manufacture of MIG 21 Planes	67—68
1483. रूमानिया के राष्ट्रपति से वार्ता	Talks with the President of Rumania	68
1484. ब्रिटेन में भारतीयों को कठिनाइयां	Hardships to Indians in U.K.	68—69
1485. अमरीकी हथियारों पर लगी रोक हटाना	Lifting of US Arms Embargo	69
1486. बिड़ला समवाय समूह के विरुद्ध जांच	Enquiry against Birla Group of Companies	69
1487. भारत द्वारा निर्यातित माल के गुण स्तर पर राजकीय व्यापार निगम के प्रधान का प्रतिवेदन	Report of Chairman, State Trading Corporation on Quality of Goods exported by India	70
1488. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, पूना में हिन्दी पढ़ाना	Teaching of Hindi in National Defence Academy, Poona	70
1489. पूर्वोत्तर सीमा पर पाकिस्तान तथा चीन के आक्रमण की संभावना	Possibility of an attack by Pakistan and China on North Eastern Border	70—71
1490. रूस से शस्त्रास्त्र और टैंक प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में वृद्धि	Increase in Pakistan's Military Strength after acquiring Russian arms and Tanks	71
1491. युगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता	Talks with Yugoslav President	71
1492. सैनिक सेवा कोर में पदोन्नतियां	Promotion in Army Service Corps	72
1493. मोराको तथा जोर्डन से राजदूतों को वापस बुलाना	Recall of Envoys from Morroco and Jordan	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1494.	नारियल जटा उद्योग विकास सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Development of Coir Industry	73
1495.	नागालैंड में सामान्य स्थिति	Normalcy in Nagaland	73—74
1496.	भारत का व्यापार सन्तुलन	India's balance of trade	74
1497.	वियतनाम समस्या को हल करने के लिये भारत के प्रयास	Indian effort to resolve Vietnam issue	74—75
1498.	भारत से निर्यात	India's exports	75—76
1499.	कच्चे माल के आयात तथा निर्यात का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Imports and exports of raw materials	76
1500.	डमडम हवाई अड्डे पर रूसी सैनिक विमान	Russian Military Planes at Dum-Dum Airport	76—77
1501.	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	77
1502.	जनरल चौधरी द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन	Study of Defence problems of South East Asia by General Chaudhuri	77—78
1503.	युगोस्लाविया द्वारा पाकिस्तान को विमानों की बिक्री	Sale of Planes to Pakistan by Yugoslavia	78
1504.	पोलैंड के साथ व्यापार सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of study team for trade with Poland	78
1505.	प्रतिरक्षा के लिये रोलिंग फाइव ईयर प्लान	Rolling Five Year Plan for Defence	79
1506.	यूरेनियम ईंधन के बारे में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Uranium Fuel	79
1507.	लद्दाख में सैनिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Residential quarters for Military personnel in Ladakh	80

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1508. दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा गिरफ्तार कुमारी शान्ति नायडू तथा भारत मूलक अन्य लोगों की रिहाई	Release of Kumari Shanti Naidu and other persons of Indian origin arrested by South African Government	80
1509. चैकोस्लोवाकिया के मामले को हल करने के लिये भारत का प्रयास	Indian efforts to solve Czechoslovakia	80—81
1510. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति	Targets achieved by STC	81
1511. तिब्बत में चीनी परमाणु संयंत्र	Chinese Atomic Plant in Tibet	81—82
1512. पाकिस्तानी सरकार द्वारा पाक अधिकृत काश्मीर प्रशासन को अधिकार में लेना	Taking over of Pakistan occupied Kashmir Administration by Pak. Government	82
1513. प्रधान मंत्री के अधीन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in offices under charge of the Prime Minister	82
1514. चीन द्वारा प्रशिक्षित नागाओं का भारत में सीमा प्रवेश	China trained Nagas crossing over to India	83
1515. आयुध कारखानों द्वारा टकों का निर्माण	Manufacture of Tanks by Ordnance Factories	83
1516. भारत तथा काश्मीर में अल फतह के केन्द्र	Al Fatah cells in India and Kashmir	83—84
1517. पश्चिम पाकिस्तान में अल्प-संख्यकों को वहां से निकल जाने के नोटिस	Evacuation notices served on minorities in West Pakistan	84
1518. सूती कपड़े का उत्पादन	Production of cotton Textiles	85
1519. छोटे कस्बों में बन्द कपड़ा मिलें	Closed Textile mills in smalls towns	85—86

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1520. राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा नियंत्रित मदों का निर्यात तथा आयात	Items of exports and imports handled by STC and MMTC	86
1521. वियतकांग के साथ अधिक निकट के सम्बन्ध	Closer relation with Vietcong	86—87
1522. कोहिमा में विद्रोही नागा नेताओं से प्रधान मन्त्री की बातचीत	Prime Minister's meeting with Rebel Naga Leader at Khima	87
1523. एक सैनिक अधिकारी का श्री जेड० ए० फिजो की पुत्री के साथ विवाह	Marriage of a Military Officer with the Daughter of Shri Z. A. Phizo	87—88
1524. पूर्व जर्मनी में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को वीजा जारी करने के अधिकार	Power to isse visa by Indian consulate in German Democratic Republic	88
1525. इसरायल के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रविरोधी तत्वों को प्रोत्साहन	Incitement to Anti national Elements by Israeli Representatives	88
1526. बाटा शू कम्पनी द्वारा निर्यात के लिये निर्मित जूतों के दाम	Prices of shoe manufactured by Bata Shoe Co. for Export	88—89
1527. नागाओं को चीनी हथियारों की प्राप्ति को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check inflow of Chinese Arms to Nagas	89
1528. नागा विद्रोहियों को पाकिस्तानी सहायता को रोकने के उपाय	Steps to check Pak. help to rebel Nagas	89
1529. भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तानी और चीनी सेनाओं का जमाव	Concentration of Pakistani and Chinese forces on Indian Borders	90
1530. भारतीय बन्दरगाहों में रूस के जंगी जहाजों का आना	Visit by Russian Warships to the Indian Ports	9

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1531.	पिछड़े राज्यों के विकास के बारे में योजना आयोग द्वारा किया गया विश्लेषण	Analysis made by Planning Commission in Development of Backward States	90—91
1532.	भारतीय आप्रवासियों और ढाका निवासियों के बीच मुठभेड़	Indian Immigrants in Clash with Dacca Natives	92
1533.	पाकिस्तान की सशस्त्र सेना में वृद्धि	Increase in Armed strength of Pakistan	92
1535.	अमरीका द्वारा राडार उपकरण की सप्लाई	Supply of Radar Equipment by USA	93
1536.	सेना के कपड़ा आदि तैयार करने वाले कारखानों में काम की कमी	Shortage of work in Clothing Factories	93—94
1837.	औद्योगिक कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उपार्जित अवकाश का नहीं दिया जाना	Industrial workers not being given earned leave because of their participation in the 19th September, 1968 strike	94
1538.	मंत्रियों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendation made by Administrative Reforms Commission Re. Ceiling on Number of Ministers	94
1539.	भारतीयों द्वारा नेपाल में पटसन मिलों की स्थापना	Setting up of Jute Mills by Indians in Nepal	94—95
1540.	जापान में गांधी पदकों का विक्रय	Sale Proceeds of Gandhi Medals in Japan	95
1541.	लैटिन अमरीकी देशों में संयुक्त उद्यम	Joint Ventures in Latin American Countries	95
1542.	केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया)	Canteen Stores Department (India)	95—96
1543.	भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या में कटौती	Reduction in Indian Army Strength	96
1544.	भारत बल्गेरिया व्यापार	Indo-Bulgarian Trade	96—97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
1545.	औद्योगिक कच्चे माल का आयात / Import of Industrial Raw Materials	97
1546.	अग्रिम क्षेत्रों में जवानों की उपलब्धियां / Emoluments of Jawans in Forward Area	97—98
1547.	जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये सेवा की सुरक्षा / Security of Service for Staff Working in General Reserve Engineering Force	98
1548.	भारत से ऊनी होजियरी का निर्यात / Export of Woollen Hosiery Goods from India	98
1549.	तमिलनाडू में राष्ट्रीय छात्र सेना दल को फिर से चालू करना / Revival of NCC in Tamil Nadu	98—99
1550.	इसराईलियों पर अरब देशों में जासूसी करने के बारे में लगाये गये आरोप लगाने के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों सदस्यों द्वारा ज्ञापन / Memorandum from M. Ps re. Israelis charged of Espionage in Arab Countries	99
1551.	तिब्बती क्रांतिकारी युवकों के साथ सहयोग / Cooperation to Tibetan Revolutionary Youth	99
1552.	6 अप पंजाब मेल के सैनिक माल डिब्बों से विस्फोटकों की चोरी / Theft of Explosives from Military Wagons of 6 UP Punjab Mail	100
1553.	संयुक्त राष्ट्र संघ में पख्तूनिस्तान का मामला / Issue of Pakhtoonistan in UNO	100
1554.	एक भारतीय विद्यार्थी की गियाना में ठहरने की प्रार्थना का अस्वीकार किया जाना / Turning down of request from an Indian Student to stay in Guyana	100—101
1555	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि / Increase in per Capita Debt after Independence	101
1556.	भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिये मंडियां / Markets for Indian Handicrafts	101—102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1557. रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस और रेडियो पीकिंग का प्रसारण	Radio peace and progress and Radio Peking Broadcasts	102—103
1558. पाकिस्तान द्वारा बांध के काटे जाने से पश्चिम बंगाल में धान की 10,000 एकड़ भूमि का जलमग्न होना	Inundation of 10,000 acres of Paddy Land in West Bengal by Pakistan Bund Cut	103
1559. लैटिन अमरीकी देशों को नये व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन	Report of Trade Delegation to Latin American countries	104
1560. पटसन, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, वर्स्टेड धागा और रेशम मिलों में उत्पादन	Production of Jute, Cotton, Woollen Worsted Yarn and Silk Mills	104
1561. तम्बाकू उद्योग को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा की बचत करने सम्बन्धी योजना	Scheme to save foreign exchanged by promoting Tobacco Industry	104—105
1562. इसरायल के साथ बातचीत	Talks with Israel	105
1563. कोचीन में नौसैनिक अड्डा	Naval base at Cochin	105
1564. प्रतिरक्षा उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र को सुविधायें	Facilities offered to Private Sector in Defence Production	105—106
1565. सैनिक प्रशिक्षण शिविर में गोली चलने के कारण महरौली खंड के ग्रामवासियों की कठिनाइयां	Difficulties experienced by villagers of Mehrauli Block due to firing from Army Training Camp	106—107
1566. राजपूत रेजीमेंट में मुसलमान	Muslims in Rajput Regiment	107
1567. सेना में बौद्ध और ईसाई रेजीमेंट बनाना	Formation of Boudh and Christian Regiments in the Army	107—108
1568. वृद्धि दर के आंकड़े	Growth rate figures	108
1571. प्रतिरक्षा स्टोरों में ह्रास के कारण होने वाली हानि को कम करना	Reduction in Losses on account of deterioration of defence stores	108—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
1572. रूस तथा यूरोपीय देशों की यात्रा करने के लिये लोगों को अनुमति	Permission to persons to visit Russi and European Countries	110
1574. अमरीका के साथ सैनिक सन्धि	Defence pact with USA	110
1575. भारतीय वायु सेना में एक ही रैंक के अधिकारियों के लिये भिन्न नियम	Different rules in respect of officers of the same rank in IAF	110—111
1577. सेवा निवृत्ति की आयु होने पर सैनिक कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि	Extension given to army personnel on their retirement	111—112
1578. वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में अधिक कर्मचारी	Over staffing of Indian Embassy in Washington	112
1579. रुपयों में भुगतान के आधार पर व्यापार का भारतीय चाय के निर्यात पर प्रभाव	Effect of Rupee Trade on India's Tea Exports	112—113
1580. केलों का निर्यात	Export of Bananas	113
1581. निर्यातकों को अफगानिस्तान को गैर परम्परागत सामान का निर्यात करने की अनुमति	Permission to exporters to export non-traditional goods to Afghanistan	114
1582. बिहार में पूर्णिया और सहरसा जिलों में पटसन कारखानों की स्थापना	Establishement of jute Factories in Purnea and Saharsa Districts, Bihar	114
1583. नई दिल्ली में मणिपुर हथ-करघा बिक्री भंडार	Manipur Handloom sale emporium in New Delhi	114—115
1584. त्रिपुरा में पटसन मिल	Jute Mill in Tripura	115
1585. मनीपुर में इम्फाल पालेल रोड में अतिरिक्त हवाई अड्डे के अन्तर्गत आई भूमि की बिक्री	Disposal of land covered by surplus Airport at Imphal Palel Road, Manipur	116
1586. कपड़ा मिलों द्वारा भंडार रखने के नियम	Rules for Maintenance of stocks by Textile Mills	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pa
1587. मध्य प्रदेश में कुछ कारखानों द्वारा स्टेनलेस स्टील कोटे की काले बाजार में बिक्री	Sale of stainless Steel Quota in Black Market by certain Factories in M.P.	116—117
1588. मध्य प्रदेश के हज यात्री	Haj Pilgrims from Madhya Pradesh	117
1589. मध्य प्रदेश में वास्तविक प्रयोक्ताओं को लाइसेंस देना	Grant of licences to actual users in Madhya Pradesh	117
1590. मध्य प्रदेश को कच्चे रेशम की सप्लाई	Supply of Raw silk to Madhya Pradesh	117—118
1591. भारतीय सैनिक नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड	Indian Soldiers, Sailors and Airmen Board	118
1592. निर्यात (किस्म) नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 में संशोधन	Amendment in Rxport (quality control and Inspection) Act, 1963	119
1594. ब्रिटेन में रंग भेद	Colour Bar in United Kingdom	119
1595. मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रधान मन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयों के बीच प्रभावी कड़ी बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make cabinet Secretariat an effective link between the Prime Minister and Union Ministries	119—120
1596. अहमदाबाद में दंगे	Disturbances in Ahmedabad	120
1597. बीकानेर डिवीजन में उद्योग	Industries in Bikaner Division	120—121
1598. भारत स्थित पाकिस्तान सूचना तथा प्रचार केन्द्र द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का वितरण	Distribution of magazines by Pakistan Information and Publicity centre in India	121
1599. भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to ex-servicemen	121—122
1600. विद्रोही नागा	Naga Rebels	122
पश्चिम बंगाल में कुछ गांवों पर कथित हमलों के बारे में	Re-Reported Raids on Certain Villages in West Bengal	122
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	122—127

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच निर्धारित वायु मार्ग का पाकिस्तानी विमान द्वारा उल्लंघन किये जाने के समाचार	Reported Violation of Air Corridor between West and East Pakistan by Pakistani Aircraft	122
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	123
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	124
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	128
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	128
पचपनवां प्रतिवेदन	Fifty-fifth Report	128
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	
धार्मिक सम्मेलनों में भारत के भाग लेने के बारे में श्री नेहरू का निर्णय	Shri Nehru's Decision on India's Participation in Religious Conferences	129—130
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	130
नवां प्रतिवेदन	Ninth Report	130
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	Motor Vehicles (Amendment) Bill	130—149
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	148
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	130
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam	133
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	133
श्री किरुतिनन	Shri Kiruttinan	135
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	136
श्री स० कुन्दु	Shri S. Kundu	136
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	138
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	138
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	1
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	13 9
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	140

	Subject	Pages
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	141
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	142
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	142
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	143
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh	146
खंड 2	Clause 2	148
कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में छंटनी के बारे में	Re-Retrenchment in certain Defence Establishments	148
देश में तोड़ फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Encouragment to Subversive and Violent Activities in the Country	149—154
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	151
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा	Shri Prem Chand Verma	152
श्री मनु भाई पटेल	Shri Manubhai Patel	152
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri	153
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	155
आयकर की बकाया राशि	Incom-Tax-Arrears	155—159
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	155
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	158

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 26 नवम्बर, 1969/5 अग्रहायण, 1891 (शक)

Wednesday, Nov. 26, 1969/Agrahayana 5, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Excise Duty on Yarn Supplied to Khadi and Handloom Industry

*211. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Khadi and Handloom industry in the country is facing great difficulty as a result of imposition of heavy excise duty on the yarn supplied to it.

(b) if not, the quantity of yarn supplied to the handloom industry, State-wise, and the excise duty levied thereon ; and

(c) the reasons for which Government do not reduce the excise duty in the case of the said small scale industry and thus give it an incentive when Government are providing a number of facilities to the large scale industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Information regarding the quantity of yarn supplied to the Handloom industry State-wise is not available.

(c) The incidence of duty on Yarn in the form of hanks, which is generally used by the Handloom industry, has always been kept low as compared to the duty on other types of yarn used by the powerloom industry and the mills.

Shri K. M. Madhukar : Hon. Minister knows that many people earn their livelihood by Handloom Industry. But due to the heavy excise duty on yarn they are in difficulty. May I know the number of the persons rendered jobless because of the increase in this excise duty on yarn consumed by the handloom industry which provided livelihood to lakhs of people. In U. P. above 50,000 persons have been through out of employment according to the press reports ?

The hon. Minister has stated in part (c) of the reply that the incidence of duty on the yarn used by handloom industry is always kept low as compared to the duty on other types of yarn. May I know the quantum of increase in the excise duty on the yarn used by handloom industry, its impacts on the industry and the steps being taken to provide immediate relief to the jobless handloom workers ?

The Minster of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : As regards Khadi yarn there is no excise duty on it. As regards the Cotton yarn being supplied to Handloom Industry the increase is not such as to cause any difficulty. As regards the increase in the excise duty on art silk being used by powerlooms and as a result of which unemployment has increased in U. P. and Bhagalpur, we are trying to bring down the prices aud if we are not able to negotiate a solution, we shall consider what other measures we can take to solve this problem.

Shri K. M. Madhukar : In view of the fact that the problem of unemployment among the weavers is a grim one affecting lakhs of people, may I know the steps Government Contemplate to take in case the millowners fail to implement the decision of the Government ?

Shri B. R. Bhagat : Under the Essential Supplies Act the Government is empowered to enforce price control and make necessary arrangements for the distribution which we shall ensure.

श्री मनुभाई पटेल : पिछले वर्ष सूरत की आर्ट सिल्क उद्योग की समस्या का समाधान आर्ट सिल्क का आयात करके तथा उसका राज्य व्यापार निगम के द्वारा वितरण करके किया गया था । किन्तु राज्य व्यापार निगम का मुनाफा बहुत अधिक है जिससे आर्ट सिल्क उद्योग के लिए काम करना कठिन बन गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूरत आर्ट सिल्क उद्योग का अधिकांश उत्पादन निर्यात किया जाता है, क्या सरकार पावरलूमों को सप्लाई होने वाले आर्ट सिल्क पर उत्पादन शुल्क कम करने के विषय में पुनः विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : राज्य व्यापार निगम उस समय स्थापित किया गया था जब कच्चे माल की भारी कमी थी और कीमतें बहुत अधिक थीं । अब इस निगम ने बड़ा भंडार बना लिया है और इस के परिणाम स्वरूप कीमतें गिर गई हैं । सौभाग्य से उस विशिष्ट वस्तु का उत्पादन भी बढ गया है । इस लिए स्थिति बहुत अच्छी है । राज्य व्यापार निगम वही कीमत ले रहा है जिससे मण्डी में उसके मूल्य नहीं बढ़ेंगे यदि बाजार में अधिक कीमत मिल सकती है तो कम कीमत लेने में कोइ बुद्धिमत्ता नहीं है ।

Shri Manibhai Patel : In view of the fact that the identical produces turned out by the Cottage industry and machinery industry have been uniformly taxed as a result of which the Cottage industry is facing great difficulties and is not able to achieve viability. The position is that the Government has imposed uniform tax on the yarn No. 40 to 200, whether it is produced by cottege or machinery industry. Therefore may I know whether Government propose to reorient its policy in this regard for the future ?

Shri B. R. Bhagat : Our policy in this regard is well defined. We have given enought concessions to the cottage industry in our excise policy, for example there is no levy on Khadi. Even in the case of handloom the excise duty is on coarse and medium count. Even the duty on handloom production below 40 count had been lifted last year. The remaining quantum of duty on powerloom and handloom has a variation upto 66 per cent.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the hon. Minister is aware that the handloom industry is engulfed in a crisis and the weavers in U. P. and completely jobless and whether he has received a memorandum from them in which some measures have been suggested ? In view of the fact that the handloom industry cannot complete with the textile mills, may I know whether Government propose to give some grants especially to the people weaving certain specified variety in handloom in order to save the cottage industry ?

Shri B. R. Bhagat : That memorandum is under consideration and a number of suggestions have been accepted. As regards the coloured sarees, these will be manufactured in the handloom industry only. As to the art silk, we are trying to find out some way.

श्री उमानाथ : माननीय मंत्री ने कहा है कि हथकरघा उद्योग को सप्लाई किए जाने वाले धागे पर शक्ति चालित करघों को सप्लाई किये जाने वाले धागे की अपेक्षा कम उत्पादन शुल्क लगाया गया है जिससे उनकी स्थिति अच्छी रहे। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हथकरघा उद्योग अभी कठिनाई में है और कई स्थानों पर वे बन्द हो रहे हैं और धागे का मूल्य अधिक होने के कारण बुनकर अब भी कठिनाई में हैं। हथकरघा उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले धागे पर से उत्पादन शुल्क पूरी तरह हटा लेने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर विचार किया जा सकता है किन्तु कतिपय प्रकार के उत्पादन के आरक्षण का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री रंगा : वह बिना किसी प्रभाव के किया गया है।

श्री ब० रा० भगत : यह वास्तिक संरक्षण है कि दो भिन्न उत्पादन शुल्कों का अन्तर।

श्री उमानाथ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने हथकरघा क्षेत्र को आरक्षण देने के बारे में नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न यह था। हथकरघा धागे पर कम उत्पादन शुल्क के बावजूद हथकरघा बुनकर अब भी कठिनाई में हैं। समस्या को हल नहीं किया गया है। इस धागे पर से उत्पादन शुल्क पूरी तरह समाप्त करने में क्या आपत्ति है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने बताया है कि पिछले बजट में 40 कांऊट तक की सभी किस्में अर्थात उत्पादन का एक बड़ा भाग उत्पादन शुल्क से नियुक्त कर दिया गया है। केवल बारीक किस्मों पर ही उत्पादन शुल्क लगा हुआ है। 60 कांऊट तक अन्तर 66 प्रतिशत है। हथकरघा बुनकर की वास्तविक सुरक्षा उत्पादन का आरक्षण है। इससे उसको अधिक सहायता मिलेगी।

श्री कंडप्पन : धागे पर उत्पादन शुल्क पहले पहल 1958-59 में लगाया गया था। उस समय लगभग 13 लाख रु० इससे प्राप्त हुआ था। अब यह लगभग 52 करोड़ रु० है। क्या सरकार यह समझती है कि कम से कम हथकरघा के धागे पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं होना चाहिये ?

दूसरे, क्या सरकार इस बात से सहमत है कि हमारे कपड़े पर अधिक उत्पादन शुल्क होने के कारण हमारे हथकरघे के कपड़े की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में बिक्री घटती जा रही और इसका एक मुख्य कारण धागे का मूल्य है। यदि आप इस पर से उत्पादन शुल्क हटा लेते हैं तो हमारे हथकरघा कपड़े का निर्यात बढ़ सकता है। अत: क्या सरकार हथकरघा धागे पर से उत्पादन शुल्क को पूर्णतया हटाने को तैयार है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, इसको हानि नहीं पहुंच रही है क्योंकि उनको उत्पादन शुल्क का कुछ भाग वापस मिल जाता है। हम उतना ही निर्यात कर सकते हैं जितना पैदा करते हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The handloom weavers in the villages are getting the yarn at a very high price. Do Government propose to fix a quota for them through S. T. C. so that their cloth be cheeper than the mill-made cloth ?

Shri B. R. Bhagat : As regards the price of cotton yarn it has not increased because it is available in plenty. As regards the art silk its price has increased and we may take the distribution if need be.

श्री रंगा : चूंकि उत्पादन शुल्क के प्रश्न से वित्त मंत्री का सम्बन्ध है इसलिए शायद माननीय मंत्री इन सुझावों का प्रत्यक्ष उत्तर न दे सकें। किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आरक्षण केवल 40 काऊंट तक है और कपड़ों में 100 काऊंट तक का धागा उपयोग होता है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि शक्ति चालित करघों को भी संरक्षण दिया गया है जो कि हथकरघा के सबसे बुरे प्रतिस्पर्धक हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की है कि वे हथकरघे पर से बिक्री कर को छोड़ दें, क्या सरकार हथकरघे के धागे पर से उत्पादन शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार करेगी क्योंकि इस उद्योग में लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। पिछले बजट में भी 40 काऊंट तक हथकरघे के धागे पर पूरी छूट दी गई थी। अशोक मेहता समिति ने इस पर विचार करते समय कई सिफारिशें दी थीं। मुख्य सिफारिश हथकरघे के लिए कुछ श्रेणियों का उत्पादन आरक्षित करने के बारे में थी। उसको भी क्रियान्वित कर दिया गया है।

श्री उमानाथ : हथकरघों में प्रयुक्त 40 काऊंट के धागे के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री रंगा : उनको कम से कम इस पर विचार करना चाहिए।

श्री ब० रा० भगत : मैं इस पर विचार करूंगा।

रूस को रेल के माल डिब्बों का निर्यात

*212. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 में राजकीय व्यापार निगम के प्रतिनिधियों

और रूसी विशेषज्ञों में रूस को रेल के माल डिब्बों का निर्यात करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के लिए दिल्ली में बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब से भारत में रेल के माल डिब्बों के निर्माताओं ने ऐसे माल डिब्बों के लिए प्रथम बार अपने मूल्य बतायें, तब से इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 30 प्रतिशत बढ़ गया है ;

(ग) क्या रूसी विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया था ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा सका है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) ; (क) जी, हाँ ।

(ख) भारतीय माल डिब्बों के निर्माताओं ने जब से प्रथम बार अपने मूल्य बताये, तबसे इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी नहीं ।

श्री क० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस विषय पर इसी प्रकार के दो या तीन प्रश्न स्वीकृत हो चुके हैं और सदन में उन पर चर्चा भी की गई थी । हमने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचना दी है किन्तु वे स्वीकृत नहीं हुए हैं । पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत अफसोस है । मैं स्वीकार करता हूँ कि पिछले ही सप्ताह तीन बार ऐसा हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया ने 23 नवम्बर को मास्को से जो समाचार दिया है उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अक्तूबर-नवम्बर, 1969 में जो रूसी प्रतिनिधि मंडल आया था उसका काम केवल माल डिब्बों के लागत-ढ़ाँचें की जांच करना था उसे यह अधिकार नहीं था कि वह इनकी कीमतों के संबंध में बात-चीत करे। यदि हां, तो सरकार को लागत ढ़ांचे के बारे में बताने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री ब० रा० भगत : सम्भव है ऐसा कोई समाचार छपा हो अथवा स्वयं माननीय सदस्य की ऐसी धारणा हो । प्रतिनिधि मंडल तकनीकी करार को अन्तिम रूप देने के लिए आया था । संभव है मास्कों में उन्हें किसी तकनीकी बात के बारे में कोई निदेश दिया गया हो । इस तकनीक के प्रश्न को सुलझा लिया गया था और अब कीमतों के सम्बन्ध में ही बातचीत की जाती थी । प्रतिनिधि मंडल इसी उद्देश्य से आया था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ? मेरा प्रश्न बहुत सीधा है कि क्या प्रतिनिधि मंडल को यह अधिकार दिया गया था कि वह कीमतों के सम्बन्ध में बात चीत करे ।

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने कीमतों के सम्बन्ध में बातचीत की थी। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया गया था अथवा नहीं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मास्को से मिले उसी समाचार के अनुसार क्या रूसी प्रतिनिधि मंडल का यह कहना ठीक है कि भारतीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा पश्चिमी देशों द्वारा बताए गए मूल्यों से बहुत ऊंचे हैं ? यदि हाँ, तो पश्चिमी देशों द्वारा बताये गये मूल्य क्या थे और भारतीय मूल्यों से कितने कम थे ?

श्री ब० रा० भगत : ये विशेष प्रकार के माल डिब्बे हैं और किसी अन्य श्रेणी के डिब्बों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिये हमारा कहना है इनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप ही है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री शिव नारायण : मंत्री महोदय को तैयार हो कर आना चाहिये। अल्पसंख्यक सरकार में तो मंत्री महोदय को अवश्य ही तैयार हो कर आना चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे यह पद सम्भालने के पश्चात एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब आप यह न कहें कि मेरे प्रश्न का गलत उत्तर नहीं दिया गया है अथवा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यदि वह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं तो और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्नों का उत्तर उचित मिलना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में वह सदा ऐसा नहीं कह सकते कि उत्तर गलत दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मास्को से मिला यह समाचार ठीक है कि कुछ पश्चिमी देशों ने इसी प्रकार के माल डिब्बों के मूल्य दिए हैं ? यदि हां, तो यह मूल्य भारतीय मूल्य से कितना कम है।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक मेरी जानकारी है इसी प्रकार के माल-डिब्बों के संबंध में किसी अन्य देश ने कोई मूल्य नहीं दिया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरा एक निवेदन है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर बहुत स्पष्ट दिया गया है।

Shri George Fernandes : This deal for the export of Railwagons to the U. S. S. R. is pending for the last two years. With full responsibility, I want to make one allegation. Is it not a fact that Russain Delegations always visit this country for spying purposes and this particular delegation gathered all information about our engineering factories and

other factories manufacturing Rail wagons ? They pressed the owners of some factories to leakout information about our Defence Industry. Will you set up a committee immediately to examine it ?

Shri B. R. Bhagat : This is totally baseless.

Sari George Fernandes : It is Hundered per cent correct. I shall prove it with the documents.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस मामले में जांच के लिये क्या आप संसदीय समिति नियुक्त करेंगे ?

Shri B. R. Bhagat : No committee can be appointed on the basis of baseless allegations. There are five main supplies of the wagons and they all are from Private Sector. Whenever a big order is received, all these things like display of product, a visit to the factory and technical discussions take place between the buyer and the seller. Nothing unusual has happened in this case also which could prove the allegation of the Hon. member correct.

Shri George Fernandes : You are wrong. You leakout the information to Russians. You are selling the country.

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार जब इस प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तो बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछे गये थे। मेरा विचार है कि इस समय और अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । आपको कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न (समाप्त)

उपग्रह से संकेतों को ग्रहण करने वाले टेलीविजन सेट का आविष्कार

*213. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तकनीशनों ने उपग्रह से संकेतों को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया भारतीय तकनीकी ज्ञान के अधार पर एक टेलीविज़न सेट का आविष्कार किया है ;

(ख) क्या यह आविष्कार पूरा हो गया है और इसका परीक्षण कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे ही विदेशी टेलिविजन सेट की तुलना में इसका कार्य और लागत कैसी है ;

(घ) क्या इसका निर्माण व्यापारिक आधार पर किया जायेगा ; और

(ङ) इसका वार्षिक निर्माण कितना होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जहां तक रक्षा मन्त्रालय को ज्ञात है किसी भी भारतीय तकनीशन ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती इलापाल चौधरी ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसके लिये आपको कुछ और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : हमारे दल के किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया गया ।

श्री बलराज मधोक : इसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ सदस्य ने गम्भीर आरोप लगाया है और मंत्री महोदय ने उसका प्रतिकार किया है । दोनों ही सदन के माननीय सदस्य हैं । हमें कैसे पता चले कि कौन ठीक है ?

Shri George Fernandes : You should appoint Parliamentary Committee and only then you will know who is correct. We know what the Russian have done.

Shri Hukam Chand Kachwai : This is a very serious allegation.

श्री रंगा : मेरा सुझाव है कि आप इस प्रश्न को प्राक्कलन समिति के पास जांच करने के लिये भेज दें । आपको इस बात का अधिकार है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Russian agents are also sitting here. They are sitting on both the sides. You appoint an Enquiry Committee.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री हेम बरुआ : मुझे बहुत खेद है कि संसद् को बाजार के स्तर तक गिरा दिया गया है । प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री जार्ज फरनेंडीज अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है और आपका कर्तव्य है कि उसे संरक्षण दें । आपने उन्हें संरक्षण नहीं दिया । अन्य सदस्यों के बारे में आप कैसे कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि यहां इस प्रकार की प्रथा चल गयी है । प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है चाहे कोई अन्य सदस्य उस प्रश्न को पसन्द करता है अथवा नहीं । यह स्वस्थ प्रथा नहीं है कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो कुछ अन्य सदस्य बीच में बाधा डालने लग जायें । इस प्रकार हमारा काम कैसे चल सकता है ।

Shri Ram Avtar Shastri : No Member can intimidate other Member in the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं पिछले दो-तीन दिन से श्री रामावतार शास्त्री को चेतावनी दे रहा हूँ कि वह प्रश्नोत्तर काल में बीच में न बोला करें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह ठीक है कि आपने अगला प्रश्न शुरू कर दिया है किन्तु एक माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर आरोप लगाये हैं और मंत्री महोदय ने उनका प्रतिकार किया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके पास लिखित प्रमाण हैं इसलिये इस विषय में जांच करने के लिये क्या आप किसी समिति को नियुक्त करेंगे ? मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में भी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। माननीय सदस्य अपने कथन पर दृढ़ हैं कि सोवियत प्रतिनिधि मंडल ने हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस आरोप में कुछ सत्य है ?

श्री ब० रा० भगत : यह आरोप बिल्कुल भी सत्य नहीं हैं। तथ्य और आँकड़ों के बिना कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। माननीय सदस्य को चाहिये कि वह तथ्य प्रस्तुत करें।

श्री मधु लिमये : पहले यह समिति की नियुक्ति के लिये सहमत हो जायें।

डा० राम सुभग सिंह : एक गम्भीर आरोप लगाया गया है और माननीय सदस्य का कहना है कि उनके पास लिखित प्रमाण है। मेरा सुझाव है कि आप इन दस्तावेजों की जांच करें और यदि आप संतुष्ट हों तो यह मामला संसदीय समिति को सौंप दिया जाये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है। वह इनकी जांच करने की बात कैसे कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती इलापाल चौधरी को प्रश्न पूछने के लिये कह चुका हूँ।

श्री रंगा : हम तो आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं किन्तु आप हमसे सहयोग नहीं करना चाहते। आप इस ओर के सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर ही नहीं देते। इस सम्बन्ध में हमने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था, किन्तु उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने उसे यह कहकर टाल दिया कि अब अगला प्रश्न लिया जा रहा है। इन परिस्थितियों में आप हमसे सहयोग की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। आप हमें संरक्षण दीजिए। सभा में कार्यवाही चलाने का यह ढंग नहीं है। श्रीमती सुचेता कृपलानी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती थीं किन्तु आपने यह कह दिया कि हम अब अगला प्रश्न ले रहे हैं। किन्तु इस बीच अनेक प्रकार से कार्यवाही में बाधा पहुंचाई गई और आप हमारी ही तरह निस्सहाय से देखते रहे। हमने एक सुझाव दिया था जो आपके लिए सहायक हो सकता था किन्तु आपने उसे नहीं माना। यदि आप हमारा सहयोग लेना ही नहीं चाहते तो हम आपके साथ सहयोग कैसे करें। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा जी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि वह मुझे डराने धमकाने का प्रयास न करें।

श्री रंगा : किन्तु हम भी धमकी में आने वाले नहीं हैं। सहयोग द्विपक्षीय होता है। क्या यह डराने धमकाने का प्रयास है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री रंगा : मैं नहीं बैठता। आप भी हमारे साथ सहयोग करें। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गत सप्ताह पूछा गया था और उस समय उसके सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे गये थे। किन्तु कार्यालय की गलती के कारण यह प्रश्न आज पुन: प्रश्न सूची में आ गया। अब भी उस पर अनेक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जा चुकी है। इस बीच कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से जितने आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं उन सभी के सम्बन्ध में समितियां नियुक्त की जा सकती हैं। मुझे मालूम नहीं कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की शक्तियां हैं। मैं इस सम्बन्ध में अध्ययन करूंगा। किन्तु जिस ढंग से प्रो० रंगा अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, उसे मैं बिल्कुल पसन्द नहीं करता।

श्री रंगा : दूसरा ढंग कौन सा है? हमें आपका व्यवहार पसन्द नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसे मैं पसन्द नहीं करता।

श्री रंगा : कोई बात नहीं। हमें तो यहां काम करना है।

अध्यक्ष महोदय : आपको ठीक से काम करना चाहिए। आपको आदर करना चाहिए।

श्री रंगा : हम आपसे भी सहयोग की आशा करते हैं।

डा० राम सुभग सिंह: यह काफी देर से चल रहा है...(**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की मैंने दूसरी बार अनुमति दी है, यद्यपि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और यदि यह सभा की कार्यसूची में बार-बार आये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले तो कार्यसूची में बार-बार सम्मिलित किये ही जाने चाहिएं। आपका कहना है कि इस प्रश्न को गत सप्ताह लिया गया था, मुझे पता नहीं है, किन्तु यहां पर तो प्रश्न यह है कि किसी के पास प्रामाणिक दस्तावेज हैं और उन्हें यह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। अब यह आपके अधिकार की बात है कि आप उनका अध्ययन करके उसकी जांच के लिए संसदीय समिति नियुक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में संसदीय समिति नियुक्त की जायेगी अथवा नहीं। आप मेरे पास सम्बन्धित कागजात भेज दें और में उनका अध्ययन करूंगा। मैं आपको यह आश्वासन अभी नहीं दे सकता कि मैं इसके लिए संसदीय समिति नियुक्त करूंगा अथवा नहीं।

श्री रंगा : आप कम से कम यह तो कह सकते हैं कि मैं उस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर अपने प्रमाण दिखाइये मैं पहले उनका अध्ययन करूंगा।

श्री रंगा : धमकी देने से कोई लाभ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : और आप क्या कह रहे हैं?

श्री रंगा : मैंने केवल यह कहा था कि आप हमारे से सहयोग करें। इसमें क्या गलत बात है। यह एक सुझाव है। यदि हम आपसे यह अपेक्षा करें कि आप इस पर विचार करेंगे, तो इसमें क्या गलत है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य संसद्‌विज्ञ और मेरे पुराने मित्र हैं। परन्तु मैं जब तक मैं पीठासीन हूँ तब तक मैं अध्यक्ष की भांति ही व्यवहार करूंगा।

Shri Tulsidas Jadhav : Sir, I want to raise a point of order under rule 349.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न शुरू हो गया है। मन्त्री महोदय उत्तर दे चुके हैं। आप अब व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं।

श्रीमती इलापाल चौधरी : ऐसे दूरदर्शन यंत्र हमारे प्रतिरक्षा एककों के पास हैं। और हमारी प्रतिरक्षा एककों के लिए ऐसे कितने दूरदर्शन यंत्रों की आवश्यकता है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हमारी प्रतिरक्षा एककों में विभिन्न प्रकार के दूरदर्शन यंत्र हैं और मैं नहीं समझता कि मुझे उनकी किस्मों और क्षमता का ब्योरा देना चाहिए। संभवतया सदस्य महोदया मनोरंजन वाले दूरदर्शन यंत्रों के बारे में सोच रही हैं। मेरे विचार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दूरदर्शन यंत्रों का सम्बन्ध प्रतिरक्षा मंत्रालय के दूरदर्शनों से नहीं है।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या सरकार को पता है कि इसी प्रकार के दूरदर्शन यंत्र हमारी सीमा से लगे तिब्बत के क्षेत्र में बड़ी संख्या में वितरित किये गये थे ? क्या उनकी टक्कर के दूरदर्शन यंत्र नमारी तरफ भी हैं ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जी हाँ, हमारे पास ऐसे यंत्र हैं। किन्तु मैं इस समय सभा को यह नहीं बता सकता कि वे किस प्रकार के हैं और दूसरी ओर क्या हो रहा है ?

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के अधीक्षण के लिए विशेष एकक का निर्माण

+

***215. श्री जय सिंह :**　　　　　　　　**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या प्रधान मंत्री 6 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीकृत सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने में उप-प्रधान मन्त्री को सहायता देने के लिए मन्त्रीमण्डल संचिवालय में विशेष एकक खोलने की सिफारिशों को इस बीच स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में और क्या व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बाद में इस कार्य को एक संसदीय समिति को सौंपने का है जो इस बात का मूल्यांकन करे कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). भारत सरकार की मशीनरी और उसके कार्य की विधियाँ' नामक शीर्षक से प्रशासन सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों की सिफारिशें की हैं। इस रिपोर्ट में खास तौर से बहुत सी बातें कही गई हैं और इसमें सरकार की मशीनरी की स्थिति और उसके कार्य से संबद्ध विभिन्न महत्व पूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। बहुत सी सिफारिशें एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। निस्संदेह, सदन यह मानेगा कि समूची रिपोर्ट पर ही विचार करना उचित होगा। पूरी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

इस बीच, समय-समय पर, सरकार कमीशन द्वारा पेश की गई विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने की विधि और उन पर की जाने वाली कारंवाई के बारे मे, सबसे ऊंचे स्तरों पर बराबर विचार करती रहती है।

Shrj Hardayal Devgun : The recommendation made by the A.R.C. in regard to Delhi has rejected by all the political parties unanimously in Delhi. Instead they have demanded full lagislative assembly for the Union Territory of Delhi, Will Government take into consideration the views of all the political parties of Delhi before coming to any final decision in this matter and take immediate steps to provide legislative assembly for Delhi ?

Mr. Speaker : It does not arise out of this ?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक यह सिफारिश भी की है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिये। इससे विवाद खड़ा हो गया है और सभी केन्द्रीय सरकारी संघ, संगठनों तथा इन संगठनों से सम्बन्धित सभी सरकारी कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। मेरा प्रधान मन्त्री से निवेदन है कि वह कर्मचारियों के हित में इसे स्वीकार न करें।

अध्यक्ष महोदय : इसकी किसी विशेष सिफारिश से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न मन्त्री-मण्डलीय सचिवालय में उप-प्रधान मंत्री की सहायता के लिये एक विशेष अनुभाग बनाने की बात कही गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न सिफारिशों की कार्यान्विति के बारे में भी है। कृपया प्रश्न का भाग (ग) देखिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। मैं अनुभाग के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूँ हालांकि इस समय कोई उप-प्रधान मंत्री है ही नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकता हूं ?

श्री स० मो० मुकर्जी : जब इस प्रश्न की अनुमति दी गई उस समय उप-प्रधान मंत्री का पद खाली था। तब इस प्रश्न की अनुमति ही क्यों दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह और बात है । अगला प्रश्न ।

Guerilla Warfare Training to Pakistanis by the Chinese

*216. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that intensive training is being given to the Pakistan Army in Guerilla Warfare by the Chinese experts in Beejnat and Rahimsagar Khan towns of Pakistan situated at a distance of 30 miles from the North-western border of Jaisalmer on Indo-Pak. border ;

(b) whether Government are also aware of the strength and might of the group of Chinese experts in Guerilla Warfare in the form of a caravan mounting on camels and duly armed with light weapons, which reached Pakistan via Gilgit ; and

(c) whether it is a fact that this very caravan of Camels, which arrived in Pakistan via Gilgit, has been giving training to the Guerillas mounted on camels in the desert area of Jaisalmer and near Indo-Pak. border ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को चीनी प्रशिक्षकों द्वारा पाकिस्तानी लोगों को छापामार युद्ध प्रणाली में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के विषय में जानकारी तो है लेकिन उसे चीनी प्रशिक्षकों की, जैसलमेर सीमा के पार की गतिविधियों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है । हाल ही में राजस्थान सीमा के पार कुछ अभ्यास हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी सेना और अर्द्ध सेना कार्मिकों ने भाग लिया ।

(ख) अगस्त 1969 के अन्तिम सप्ताह में कुछ ऊटों और घोड़ों के साथ एक चीनी कारवां गिलगित के उत्तर में 134 मील दूर मिसगर नामक स्थान पर आया था और बाद में सिक्यांग वापस चला गया ।

(ग) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Government is fully aware that there are heavy enemy concentrations on our north-east and North-West frontiers and that about 25,000 sq. miles of our territory has been forcebly occupied by the enemy. In view of this and the rebuff suffered by us at this Rabat conference, the AICC session of the Indira Gandhi congress held recently **was any decision taken therein to devise a new policy ?

Shri Manibhai J. Patel : The hon. Member cannot use this word. He should keep in mind the dignity of the House.

Shri Arjun Singh Bhadoria : What is wrong with it ?

Shri Prem Chand Verma : I object to the use of this word **This word cannot be used here.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने उचित रूप में प्रश्न नहीं पूछा है । इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाता है ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
**Expunged as ordered by the Chair.

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य और उनके दल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गत अधिवेशन की सफलता से कुछ धक्का लगा है तो मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूँ। परन्तु सभासद यह आशा करते हैं कि सही भाषा का प्रयोग हो और उचित रूप में प्रश्न रखा जाये। उन्होंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है जिसका उत्तर दिया जाये। उन्होंने अपने पुराने तथा निरर्थक विचार व्यक्त किये हैं जिन्हें मैं बदलना नहीं चाहता।

डा० सुशीला नैयर : क्या इसका निर्णय मंत्री को करना है कि यह अनुमति देने योग्य है अथवा नहीं ? यह तो अध्यक्ष का ही विशेषाधिकार है, मंत्री का नहीं।

Shri K. N. Tiwary : We see reports in the news papers off and on that chinese are importing training to Pakistanis in guerilla warfare in the Pakistan territory-whether it is east or west Pakistan adjoining our borders. Prior to this we were reading reports of training of Nagas by the chinese. May I know the names of those areas, the people of which have been imparted training of guerilla warfare in these camps so far. What is their number and what steps Government have taken to check it ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया है और हमारी सूचना के अनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में अभी भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमें यह भी सूचना मिली है कि चीनी लोग ही जो छापामार युद्ध के विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तानी गुरीला दस्तों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें इसका ध्यान है और हम इसे दृष्टि में रखकर अपनी प्रतिरक्षा शक्ति का विकास कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : Sir, my question has not been answered. I had asked about the particulars of those areas, the people of which are being given this type of training on both these frontiers Pakistan and chima. What is their number and what steps Government have taken to check it ?

श्री स्वर्ण सिंह : नागाओं को चीन के क्षेत्र में ले जाकर प्रशिक्षण दिया जाता था।

Shri Sheo Narain : The hon. Minister is not an Englishman. When any question is put in Hindustan he should answer it in Hindustani.

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे मेज थपथपाने की आदत नहीं है। नहीं तो इस तरह प्रश्न पूछे जाने चाहिये और न ही इस तरह उत्तर दिया जाना चाहिये। नागा विद्रोही चीन गये और चीनियों ने उन्हें कई तरह का प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त चीनी लोग पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में भी इसी तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहां पर यह प्रशिक्षण नागाओं अथवा मिजो लोगों को ही केवल नहीं दिया गया अपितु पाकिस्तानी नागरिकों को भी छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम चीनियों द्वारा पाकिस्तानियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण को नहीं रोक सकते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वह यह है कि हम इस खतरे को ध्यान में रखकर अपनी प्रतिरक्षा को संगठित करें और सुरक्षा के लिये अपने प्रबन्ध करें।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा है चीनी पाकिस्तानी नागरिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हैं क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तानी शिविरों में चीनियों द्वारा नागा तथा मिजो विद्रोहियों को भी छापा मार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? क्या सरकार ने पाकिस्तान में

अपने राजनयिक अधिकारियों से यह सूचना प्राप्त करने या इसकी सत्यता का पता लगाने का प्रयास किया है ? यदि नहीं, तो क्या उन्होंने देश की रक्षा के बारे में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल नहीं रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं और उन्हें पता ही होगा कि इस तरह की सूचना राजनयिक सूत्रों से कैसे प्राप्त की जा सकती है । परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार चीनियों ने मिजो तथा नागा लोगों को चीनी क्षेत्र में ही इस तरह का प्रशिक्षण दिया है और पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चीनी पाकिस्तान में मिजो या नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि मिजो तथा नागा विद्रोहियों को पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिये चीनियों को नियुक्त किया जा रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी क्षेत्र में मिजो या नागाओं को छापामार या अन्य किसी प्रकार के युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिये चीनियों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know, whether the hon. Minister can furnish the figures of Nagas as well as Pakistani nationals who have been given this type of training ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं आंकड़े नहीं दे सकता ।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान मिजो तथा नागाओं को अपने क्षेत्र से प्रशिक्षण दे रहे हैं । जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि छापामार युद्ध के अतिरिक्त पाकिस्तान मिजो तथा नागा युवकों को वायु सेना के विमान चलाने का प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि वे नागा तथा मिजो क्षेत्रों में गड़बड़ पैदा कर सकें ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी सूचना से इसकी पुष्टि नहीं होती है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मंत्री महोदय ने बताया है कि नागा तथा मिजो केवल भारत से बाहर प्रशिक्षण ले रहे हैं । क्या यह सच नहीं है कि कुछ नागा तथा मिजो विद्रोही चीनियों से प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस भारत आ गये हैं और वे भारत के अन्दर प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि नागा जिन्हें चीनी लोग प्रशिक्षण के लिये चीनी क्षेत्र में ले गये थे वापस आ गये हैं । इस बारे में मैंने सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया था । संभव है वे हमारे राज्य क्षेत्र में भी प्रशिक्षण शिविरों में कुछ प्रशिक्षण दे रहे हों । परन्तु इस तरह की गतिविधियां हमारे ध्यान में नहीं आई हैं ।

श्री बसुमतारी : माननीय मंत्री महोदय ने कृपा करके बताया है कि नागा तथा मिजो ने पाकिस्तान तथा चीन में छापाकर युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया है । क्या नागा तथा मिजो विद्रोहियों के अतिरिक्त कुछ हिन्दुओं को भी भारत के बाहर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनका आशय समझ नहीं सका। पाकिस्तान हमारे नागरिकों को प्रशिक्षण देने में रुचि नहीं रखता। यह प्रश्न पाकिस्तान द्वारा मिजो, नागा तथा अपने नागरिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में था। निस्सन्देह हम भी अपनी सेनाओं को कोई न कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)** हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि चीनी लोग पाकिस्तान में नागा तथा मिजो विद्रोहियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्हें वहां पर यह प्रशिक्षण इसलिये दिया जा रहा है कि वे हमारी सीमा को अन्दर गड़बड़ी पैदा करें। इसलिये क्या वह हमें आश्वासन देंगे कि छापामार युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त लोगों द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं करने दी जायेगी और क्या वह बता सकेंगे कि यदि ऐसी गड़बड़ी हुई तो उसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना तो कठिन है कि वे गड़बड़ी पैदा नहीं कर सकते परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि वे गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दण्ड दिया जायेगा ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तिब्बती राष्ट्रिकों का भारत आना

*214. **श्री जे० अहमद** : **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री बेघर बेहेरा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1969 के दूसरे सप्ताह में सीमा पार करके 15 तिब्बती राष्ट्रिक भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें भारत में दाखिल होने की अनुमति दे दी गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन सितम्बर 1969 के महीने में कुल मिला कर 31 तिब्बती राष्ट्रिकों ने भारत में प्रवेश किया।

(ख) जी हां।

पश्चिम बंगाल में चोरी छिपे पाकिस्तान से हथियारों का लाया जाना

*217. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा पार पूर्व पाकिस्तान से हाल में भारी मात्रा में राइफलों, छोटे हथियारों तथा गोलाबारूद को चोरी छिपे पश्चिमी बंगाल लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चोरी छिपे लाये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हथियारों की यह तस्करी किसी राजनीतिक दल की भूमिगत गतिविधियों से सम्बन्धित है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). इस समय भारत सरकार के पास इस विषय की कोई सूचना नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार को इस सूचना को भेजने के लिए कहा गया है । उसके होते ही उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

निर्यात के लिये औद्योगिक उत्पाद

*218. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री रा० बरुआ** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मयावन** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ औद्योगिक उत्पादों को निर्यात के लिये पृथक रक्षित रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार एक ऐसे करार पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत निर्यात में हुई किसी भी हानि को विभिन्न औद्योगिक कारखानों द्वारा समान रूप से आपस में बांटा जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रति वर्ष 7 प्रतिशत निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने अतिरिक्त नीति संबंधी कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं , और

(घ) इन प्रस्तावों की कहाँ तक जांच की गई है तथा व्यवहार में लाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) निर्यातों के लिये औद्योगिक उत्पादों के एक भाग के रक्षित करने हेतु विभिन्न रूप में सुझाव प्राप्त हुए हैं । इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं निकला है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). निर्यातों में 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर प्राप्त करने के लिये व्यापक नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में पहले ही दर्शा दिया गया है । पृथक-पृथक उत्पादों के निर्यात की नीतियां स्वभावत: एक दूसरे से भिन्न होंगी और समय-समय पर विभिन्न होंगी तथा उन्हें पहले नहीं बताया जा सकता । सरकार निर्यात सम्बन्धी समस्याओं पर निरन्तर ध्यान देने का प्रयास करती है और उपयुक्त नीतियाँ तैयार करने के लिये प्रयत्न करती है ।

रेल-माल डिब्बा उद्योग

*219. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के माल डिब्बों के निर्यात के संबंध में इस वर्ष विभिन्न देशों से प्राप्त हुए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष में रेलवे तथा देशान्तर्गत उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए क्रयादेशों सहित वर्तमान निर्माण देश में अधिष्ठापित माल डिब्बे बनाने की क्षमता का उपयोग करने के लि कहाँ तक पर्याप्त होगा और इसके बावजूद भी माल-डिब्बे बनाने की क्षमता कहाँ तक अप्रयुक्त रहने की संभावना है ; और

(ग) इस उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये अपेक्षित क्रयादेश प्राप्त करने के लिये और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रेल के माल डिब्बों सवारी डिब्बों के प्राप्त निर्यात आदेशों का निर्दिष्ट विवरण (1969-70)

देश	मद	मूल्य (करोड़ रु० में)
बर्मा	14 बोगी और पेट्रोल बैगन	0.07
श्रीलंका	40 ,, ,, ,, ,,	0.32
पूर्वी अफ्रीका	45 पशु हेतु डिब्बे	0.30
पोलैंड	500 ढके हुए डिब्बे	2.70
तैबान	120 ,, ,, ,,	0.74
थाईलैंड	45 बोगी	0.10
हंगरी	1000 माल-डिब्बे	5.85
सूडान	120 माल-डिब्बे तथा	0.75
	40 अन्डर फ्रेम	0.25
तैबान	100 बोगी	0.21
घाना	150 माल-डिब्बे	0.49

(ख) 38, 459 चार पहियों वाले माल डिब्बों की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता के बदले वर्ष, 1969-70 में पूरे करने के लिए 26,554 माल-डिब्बों के आदेश प्राप्त हुए हैं । सितम्बर, 1969

तक सभी माल-डिब्बा निर्माताओं ने कुल मिलाकर 6,4935 माल-डिब्बे (चार पहियों वाले) बनाए।

(ग) रेल के माल-डिब्बों, सवारी डिब्बों सहित समस्त इन्जीनियरी सामान के संबर्द्धन हेतु इंजीनियरी निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् की एजेंसी के माध्यम से, बाजार सर्वेक्षण, प्रकाशनों द्वारा प्रचार और विज्ञापन, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेकर, प्रतिनिधि मंडलों, अध्ययन दलों आदि के प्रायोजन का एक नियमित कार्य-क्रम शुरू किया गया है।

दि रोलिंग स्टाक एक्सपोर्ट एसोसिएशन, जिसके माल-डिब्बों के सभी निर्माता सदस्य हैं, विशेषत: रोलिंग स्टाक के निर्यात से संबंधित हैं। राज्य व्यापार निगम, जो एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य है, निर्यात अभियान को तेजी प्रदान करता है तथा रेल के माल-डिब्बों के निर्यात में समन्वय स्थापित करता है।

रीड, कैम्प एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आयात नियमों का उल्लंघन

*220. **श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मन्त्री को कलकत्ता की एक फर्म "रीड, कैम्प एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड" द्वारा आयात विनियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इन उल्लंघनों के विरुद्ध संसद सदस्य द्वारा की गई शिकायत पर कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी हां। सीमा-शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता से एक पत्र प्राप्त हुआ है। मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों को जांच के लिए सौंप दिया गया है।

Implementation of Tashkent Declaration by Pakistan

2'1. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Sharda Nand : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Suraj Bhan : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which Pakistan has so far implemented the Tashkent Declaration and the details of the work yet to be done thereunder ; and

(b) the role of U.S.S.R. in having the conditions created for Tashkent Declaration and in having the same implemented thereafter ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) A statement indicating the extent to which Pakistan has so far implemented the Tashkent Declaration is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2102/69]

(b) The Soviet Prime Minister offered his good offices to bring India and Pakistan together at a mutually convenient place. This led to the meeting in Tashkent in January,

1966. As regards the implementation of the Tashkent Declaration, this is a matter which concerns the Governments of India and Pakistan.

Indian Representative at Israeli Prime Minister's Funeral

222. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the **Minister nf External Affairs** be pleased to state :

(a) whether North Vietnam Government and Israeli Government had sent their representatives at the funeral processions of our Prime Minister, late Jawahar Lal Nehru, Lal Bahadur Shastri and President Dr. Zakir Husain to offer their condolences or only representatives from their embassies in India were present or they sent messages of condolence ; and

(b) whether Government had sent its representative at the death of ex-Prime Minister of Israel last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) : No representatives came from these countries to represent their Governments on any of these occasions. However, the Israeli Vice-Consul in Bombay came to Delhi on May, 5 1969 with a view to participating in the funeral of the late President Zakir Husain. The Consul of North Vietnam, based in New Delhi also attended. Condolence messages were received from the leaders of the Governments on all the three occasions.

(b) No, Sir.

Deficiencies in Public Sector Industries

*223. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ranjeet Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) how far the press reports published in the Indian Express of the 6th August, 1969 to the effect that the General Manager of Bhilai Steel Plant has put the blame on Planning Commission for most of the deficiencies in the industries in the publie sector is correct ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The report referred to in the Indian Express pertains to certain observations stated to have been recently made by Shri Indrajit Singh who was General Manager of the Bhilai Steel Plant some years ago and had retired from Government service in May 1969.

(b) In assessing the performance of public enterprises no generelisation is possible. All the public enterprises as a group are not at the same stage of Development. While some are in the construction and development stage, others have completed their construction work and commenced production, and still others are operating for a number of years and have already broken even. There are also a number of projects which are earning handsome profits. Government are aware of the need for improvement in the performance of some of the public sector enterprises and have initiated appropriate action.

पूर्व बर्लिन में व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय

*224. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 अक्तूबर, 1969 से पूर्व बर्लिन में व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय खोला है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां पर इस कार्यालय को खोलने का उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). हाल ही वर्षों में जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ भारत के व्यापार में सारवान वृद्धि हुई है । दुतरफा व्यापार वर्ष 1968 में 43.4 करोड़ रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया । विकासोन्मुख व्यापार की संभाव्यताओं का और उच्च स्तर पर पूरा लाभ उठाने के लिए जर्मन-लोकतंत्रीय गणराज्य में भारतीय व्यापार प्रतिनिध का कार्यालय खोला गया है ।

भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या में कटौती

*225. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या में एक लाख व्यक्तियों की कमी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Raise in the Pensions of Ex-Servicemen

*226. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pension of the ex-servicemen drawing pension upto Rs. 200/- has been raised by Rs. 10/- ;

(b) if so, whether the benefits of this increase would also be given to those reservists who retired after January, 1964 and who had worked during the Chinese Conflct also : and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swarn Singh) : (a) The rates of *ad hoc* increase admissible to Armed Forces pensioners drawing pension up to Rs. 200/- p.m. have been enhanced uniformly by Rs. 10/- p. m. with effect from 1st September, 1969.

(b) Yes ,Sir.

(c) Does not arise.

चौथी योजना में भारत द्वारा निर्यात

*227. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके अधीन पांचवीं योजना के लिये निर्यात के पूर्वानुमानों को पहले से बता दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो योजना ब्यौरा क्या है और लक्ष्यों का निधारण किस प्रकार किया जा रहा है ;

(ग) क्या चौथी योजना के शेष वर्षों के लिए निर्यात के कोई लक्ष्य निश्चित किये गये हैं और यदि हां, तो वस्तु-वार लक्ष्य क्या हैं ; और

(घ) क्या चौथी योजना की शेष अवधि में अथवा पांचवीं योजना में आयात और निर्यात की नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री व० रा० भगत) : (क) विदेशी व्यापार मन्त्रालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आगामी पांच वर्षों की सम्भावित निर्यात मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक संगठन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं ।

(ग) चतुर्थ योजना के शेष वर्षों के लिए मुख्य उत्पादों उत्पाद वर्गों के निर्यातों के लिए अनुमानित लक्ष्य निश्चित कर लिये गये हैं और उन पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है ।

(घ) चूंकि निर्यात और आयात को नियंत्रण करने वाली आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं इसलिए नीति में अतिशीघ्रता से अपेक्षित समायोजन करने का सरकार प्रयास करती है ताकि सामान्य रूप से योजना के और विशेष रूप से चालू वर्ष के आयात तथा निर्यात लक्ष्यों को पूरा कर सके ।

लाओस में अमरीकी सेना भेजना

228. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री जनार्दनन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस के निओ लाओ हत सत दल ने यह दावा किया है कि अमरीका ने उस देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुकाबला करने के लिये लाओस में 12,000 सैनिक भेजे हैं ;

(ख) क्या उसी दल ने जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्ष और सदस्यों को इस बारे में शिकायतें भेजी हैं ;

(ग) क्या लाओस में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के दल ने इस दावे की सत्यापना कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वियतनाम लोक गणराज्य सरकार की ओर से इस तरह की अखबारों की खबरें सरकार ने देखी हैं ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि जेनेवा सम्मेलन के सह-प्रधानों और सदस्यों को इस आशय की ऐसी कोई शिकायत भेजी गई है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत में मुस्लिमस्तान के लिये ज्ञापन

229. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री दा० रा० परमार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री स० कुन्दु :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री किकर सिंह :
श्री चंद्रिका प्रसाद :
श्री बलराज मधोक :
श्री देवेन सेन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग को एक ज्ञापन पेश किया गया है जिस में भारत के मुसलमानों के लिये पृथक मुस्लिमस्तान (होमलैण्ड) की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के पीछे कौन-कौन सी संस्थाएं तथा अन्य तत्व हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नारियल जटा और उससे बनी वस्तुओं का निर्यात

230. श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में नारियल की जटा और उससे बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में नारियल की जटा और उससे बनी वस्तुओं के निर्यात में वास्तव में कितनी कमी हुई है ; और

(घ) नारियल की जटा और उस से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) कमी भूसी की कीमतों में भारी वृद्धि और संश्लिष्ट पदार्थों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण हुई ।

(ग) गत वर्ष के पहले 6 महीनों की तुलना में यह कमी लगभग 6079 मे० टन थी जिसका मूल्य 114.37 लाख रु० है ।

(घ) केरल राज्य सरकार गली हुई भूसी के मूल्यों में कमी लाने के उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिससे नारियल जटा धागे और इससे बने माल की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ना चाहिए। नारियल जटा बोर्ड ने विदेशों में प्रचार, विक्रय टीमों, बाजार अध्ययनों इत्यादि के लिए उपाय शुरू किये हैं। नारियल जटा के नये प्रयोगों की गवेषणा को भी काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों के विकास तथा निर्यात सम्बन्धी सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए योजना आयोग ने नारियल जटा पर एक अध्ययन दल की स्थापना की है।

प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये राज्यों में अर्जित की गई कृषि भूमि

*231. **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री कं० हाल्दर :
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के अन्तर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये गत तीन वर्षों में कितनी कृषि भूमि अर्जित की गई ;

(ख) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कितने परिवारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

(ग) प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए कुल कितना मुआवजा निर्धारित किया गया है ;

(घ) कुल कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ङ) शेष मुआवजा कब दिया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). 1966 से 1968 के दौरान रक्षा मंत्रालय के लिए पूर्ण रूपेण अधिग्रहीत कुल भूमि का क्षेत्र लगभग 80,373 एकड़ है। अधिकतर भूमि कृषि योग्य है।

1966-67 से 1968-69 के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बाटी गई मुआवजे की राशि 223 लाख रुपये के लगभग है।

प्रत्येक जिले के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अर्जित भूमि, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रभावित परिवारों की संख्या, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए दिया गया अधिग्रहण मुआवजा और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के इलाके में बांटी गई अधिग्रहण मुआवजे की राशि संबंधी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं और सूचना एकत्र करने में किए जाने वाले प्रयास उनसे निकलने वाले परिणामों के अनुकूल न होगा।

अधिग्रहण मुआवजे को निर्धारित करना और उसे स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा बांटने का कार्य भूमि अधिग्रहण कलक्टर का है। स्वीकृत मुआवजे को शीघ्र बांटने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं।

बन्द कपड़ा मिलें

*232. **श्री मोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कपड़ा मिल हैं और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने मिल बन्द हैं ;

(ख) इन कपड़ा मिलों के बन्द होने के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हुए और कपड़ा उत्पादन को कितनी क्षति पहुंची ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर मिलें कृत्रिम कमी पैदा करके अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से बन्द की गयी हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी सभी मिलों को अपने हाथ में लेने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) देश में रद्दी रुई कताई मिलों (वेस्ट स्पिनिंग मिलें) सहित 653 सूती कपड़ा मिलें हैं। अक्तूबर, 1969 के अन्त में 85 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	1
गुजरात	11
केरल	3
हरियाणा	1
महाराष्ट्र	3
मैसूर	4
पंजाब	1
राजस्थान	2
तमिलनाडु	17
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिमी बंगाल	5
दिल्ली	1
पांडिचेरी	1
योग	55

इसमें बन्द किये जाने योग्य मिलों की संख्या शामिल नहीं है।

(ख) इन मिलों में श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 68,900 थी। इन मिलों के बन्द रहने के कारण प्रति मास 90 लाख किलोग्राम धागे और 310 लाख मीटर कपड़े के उत्पादन की हानि होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं। मिलों के बन्द होने के कारण ये हैं :—वित्तीय संकट, पुरानी मशीनें तथा कार्यकरण की अन्य कठिनाइयां।

(घ) जी, नहीं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार केवल ऐसी मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेती है, जिन्हें सीमित धनराशि से उचित समय में आर्थिक रूप में सक्षम बनाया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 6 बन्द मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है और 3 ऐसी मिलों के मामले विचाराधीन हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत 4 मिलों की मामलों की जांच की जा रही है। इनमें से 6 अन्य मिलों को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है लेकिन उन्हें अलाभकर पाये जाने के कारण अपने हाथ में नहीं लिया गया है। 12 मिलों के मामले (जिनमें से 8 की उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जा चुकी है) परिसमापन के लिये उच्च न्यायालयों में पड़े हैं।

रुई का आयात

*233. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री मीठा लाल मीना :
डा० प० मंडल :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले वर्ष से रुई के आयात को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से नियमित करने के सरकार के निर्णय के बारे में सरकार तथा उद्योगपतियों के मध्य कोई विचार-विमर्श हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस संबंध में पहले भी कभी विचार-विमर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस निर्णय के बाद उद्योगपतियों के विचार जानने का कोई प्रयत्न किया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ग). जी हां।

(ख) तथा (घ). उद्योग के प्रतिनिधि रुई के आयात को उक्त माध्यम से किये जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि यदि सरकारी क्षेत्र में कोई अभिकरण स्थापित किया जाना है तब आवश्यक होगा कि यह व्यापारियों के अनुभव और विशेषज्ञ-ज्ञान से लाभ उठाये।

मिनिमम डेटेरेंट इंडियाज न्यूक्लियर आँसर टु चाइना" नामक पुस्तक

*234. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कर्नल आर० डी० पालसोकर द्वारा लिखित "मिनिमम डेटेरेंट-इंडियास न्यूक्लियर आंसर टु चाइना" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) आणविक हथियारों के विकास के विषय में सरकारी नीति कई अवसरों पर सदन में स्पष्ट की जा चुकी है । अतारांकित प्रश्न संख्या 462 और 495 दिनांक 23 जुलाई, 1969 के उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

*235. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रतिरक्षा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या कार्य सौंपा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सुरक्षा की जिन वस्तुओं के लिए देश अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये कार्य किए जा रहे हैं ।

(ग) अब तक आयात की जाने वाली रक्षा सम्बन्धी यथा संथव मदों को सरकारी क्षेत्र के कारखानों तथा विभागीय कारखानों के कार्यक्रमों पर बिना किसी प्रभाव पड़ने के, गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों को सौंपा जा रहा है ।

क्षेत्रीय उद्योग के लिये काबुल में होने वाली बैठक के प्रति पाकिस्तान का दृष्टिकोण

236. **श्री रानेन सेन :** **श्री क० प्र०सिंह देव :**
श्री इसहाक सम्मली :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच क्षेत्रीय सहयो. ५२

चर्चा करने के लिए काबुल में होने वाली प्रस्तावित बैठक के प्रति पाकिस्तान के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) काबुल में बैठक कब होने की संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नही।

(ख) इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Rescinding of 1965 Military Agreements with Nepal

*237. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have rescinded the Military agreements, signed in 1965, following the talks with the Nepalese delegation ;

(b) whether it is also a fact that Nepal will now be having the right to procure arms from any country she likes ; and

(c) if so, the details thereof and its probable impact on the security and trade of India ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) The 1965 Agreement between India and Nepal has not been rescinded.

प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित "डिफेंस आफ इण्डिया" नामक पुस्तक

*238. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री हुचे गौडा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया द्वारा हाल में प्रकाशित की गई 'डिफेंस आफ इंडिया" नामक पुस्तक पर सरकार ने ध्यान दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुस्तक में प्रतिरक्षा सेनाओं के तीनों सेना अध्यक्षों ने लेख लिखे हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन तीनों सेनाध्यक्षों ने कोई पूर्वानुमति प्राप्त की थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय प्रतिरक्षा संबंधी नीतियों के बारे में इस पुस्तक में लेख भेजने से पहले तीनों सेनाध्यक्षों द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त न की जाने की गलती की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित "डिफेंस आफ इंडिया" नामक पुस्तक देखली है जिसमें मार्च 1966 में रक्षा सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों सहित अनेक व्यक्तियों ने इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सेमीनार में भाषण दिये थे। यह पुस्तक मुख्यतया इन्हीं भाषणों का संकलन है। लेकिन जनरल चौधरी ने इस पुस्तक के लिए अलग से एक विशेष लेख लिखा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। इसके लिए जनरल चौधरी को सरकार की इजाजत लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे 1966 में सेना से सेवा निवृत्त हो चुके थे।

इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा निर्यात

*239. श्री रवि राय : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग उद्योग को सामुहिक रूप से 120 करोड़ रुपये के आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें से 110 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात तो इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान ही करना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता से उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह बात सही है कि निर्यात हेतु इंजीनियरी उद्योग को लगभग 120 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश दिये गये हैं। इसमें से 110 करोड़ रुपये 1969-70 के सपूर्ण वर्ष के दौरान पोत लदान के लिये हैं और वर्ष की शेष अवधि के लिए नहीं। चालू वर्ष 1969-70 के सात महीनों में 52.47 करोड़ रुपये के इंजीनियरी माल के निर्यात हुए जबकि विगत वर्ष की उसी अवधि में हुए निर्यातों का मूल्य लगभग 41 करोड़ रुपये था।

(ख) तथा (ग). इंजीनियरी माल के निर्यात के मामले में वर्तमान कठिनाइयां मुख्यत: निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की कमी है। यह कमी वर्धित स्थानीय मांग तथा विगत दो वर्षों में कम उत्पादन के फलस्वरूप हुई।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस्पात की तीव्र कमी पर काबू पाने और निर्यात प्रयत्नों को जोरदार बनाने के उपाय दिये गये हैं।

विवरण

इस्पात की अत्याधिक कमी को दूर करने तथा निर्यात प्रयासों को तेज करने के लिये किये गये कुछ उपायों का सारांश इस प्रकार है :—

(क) चालू वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ रुपये के निर्यात स्तर को पूरा करने के लिये आवश्यक मात्रा में फैबरीकेटर्स के निर्यात के लिये अपेक्षित इस्पात सप्लाई करने के लिए इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय, संयुक्त संयंत्र समिति तथा प्रमुख उत्पादकों के बीच कार्यकारी व्यवस्था तय हो गई है। आवश्यकतायें ठेकेवार निर्धारित कर दी गई हैं और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय ने "वर्क्स आर्डरों" और "रोलिंग' तथा प्रेषण कार्यक्रमों के लिए 1.5 प्राथमिकता देकर (जो प्रतिरक्षा संचालन आवश्यकताओं के बाद दूसरी प्राथमिकता है) इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति तथा इस्पात निर्माताओं को निदेश जारी कर दिया गया है।

(ख) दुर्लभ किस्मों के इस्पात की लगभग 60,000 टन मात्रा आयात करने का निर्णय किया गया है ताकि निर्माता मार्च 1970 तक वचन दिया गया माल सप्लाई कर सकें तथा 1970-71 के लिये सप्लाई के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर माल सप्लाई कर सकें।

(ग) अविलम्बनीय क्रयादेशों को पूरा करने के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के आरक्षित कोटे से इस्पात उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) दीर्घकालिक सप्लाई के अधिक मूल्य के ठेकों तथा विभिन्न उत्पादों के लिए अनेक सार्थ-संघ बनाये गये हैं।

(ङ) डिजाइन इंजीनियरी फर्मों और परामर्शदाताओं को 'टर्न-की' परियोजनायें चलाने और तकनीकी जानकारी देने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(च) विकासशील देशों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और वास्तव में अनेक क्षेत्रों में सफलता मिली है।

(छ) नई मंडियों, जैसे जापान और ईरान ढूंढ़े एक की खोज की जा रही है। विकासशील देशों के उद्यमियों के सहयोग से अन्य देशों के साथ करार किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में अपने सहयोगियों को कुछ क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें प्राप्त हुए ऐसी वस्तुओं के क्रयादेशों को, जिनका उत्पादन करना उनके लिए अलाभकर होगा जैसे मध्यम भार वाले ट्रक, कुछ रेलवे उपकरण, बिजली की मोटरें तथा अन्य वस्तुएं, भारत को हस्तान्तरण के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ज) विकासशील देशों में स्थिति सहयोगी कम्पनियों को निर्यात बढ़ाया जा रहा है और उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नए निर्माण कार्यक्रम विचाराधीन हैं।

(झ) क्षमता बढ़ाने अथवा नए कारखाने बनाने के हेतु योजनायें तैयार करने के लिए उद्योग के साथ बातचीत होने वाली है ताकि निर्यात किये जाने के लिये फालतू माल उपलब्ध हो सके।

भारत को चीन से खतरा

*240. **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन से भारत को हाल में खतरा बढ़ रहा है जैसा कि उन्होंने न्यूयार्क में बतलाया था ; और

(ख) यदि हां, इसका अनुमान किस आधार पर लगाया गया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). न्यूयार्क में संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने चीन द्वारा अधिकाधिक नाविकीय अस्त्र जमा किये जाने के सम्भावित खतरों का जिक्र किया था।

Code of Conduct for Ministers

1401. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government have decided to prepare a Code of Conduct for Ministers :

(b) whether it is also a fact that complete details of their property would be maintained and reviewed at intervals ; and

(c) if so, when this work would be started ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A Code of Conduct for Ministers is already in existence. It was framed by the Government in 1964 and was laid on the Table of the Lok Sabha on 18th November, 1964. It *inter-alia* provides for the Union Ministers to submit statements of their assets and liabilities to the Prime Minister annually.

(b) This is being done.

(c) Does not arise.

पायनियर मिशन, मनीपुर का आयात लाइसेंस

1402. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पायनियर मिशन, मनीपुर को 1965 में अमरीका से कुछ वस्तुएं आयात करने के लिए लाइसेंस दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया तथा इन वस्तुओं का आयात करने का क्या प्रयोजन था जिसके लिए यह विशेष लाइसेंस दिया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). आयात लाइसेंसों के ब्यौरे आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा "औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किए जाते हैं।

पायनियर मिशन से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Handloom Industry

1403. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the percentage of cloth produced by the Handloom Industry out of the total supply of cloth in the country ;

(b) the number of labourers engagged in this small-scale industry and the percentage of these labourers out of the total labour in the country ;

(c) whether Government have ever paid attention to the financial resources of this industry spread over to the various parts of the country and to the fact that this industry is on the decline ;

(d) if so, the details and result thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) Separate figures regarding production of cloth by handlooms are not available.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). Government have introduced various schemes for development of handloom industry in the cooperative sector. These scheme which provide for loans, grants and loans-cum grants, have been implemented by the State Governments. As a result of these measures, the number of weavers co-operative societies and the looms in these societies increased from 1716 societies and 4.3 lakh looms in 1953 to more than 10,120 weaverss societies and 14.15 lakh looms in the tne cooperative fold in 1968.

(e) Does not arise.

देहू रोड इन्द्रायणी बस्ती

1404. **बसवन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहू रोड इन्द्रायणी बस्ती का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि ठेकेदार ने शर्तों का पालन नहीं किया और घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया ; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 151.20 लाख रुपये ।

(ग) तथा (घ). निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई केवल कुछ लड़कियों को छोड़ कर जिनको कि समुचित रूप से तैयार नहीं किया गया था तथा अधिक दबाव वाले पानी के नलों को छोड़कर जिनका कि वजन नियत वजन से कम था, सारा निर्माण कार्य संविदा के अनुसार सम्पन्न हुआ । इन दोनों मदों के लिए ठेकेदार से क्रम: 1,774 रु० और 6,666 रु० वसूल किए गए ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

1405. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी और सदस्यों के नाम क्या थे ;

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के चयन का आधार क्या था ; और

(ग) क्या महासभा के अधिवेशन में प्रतिनिधि मंडल के विभिन्न सदस्यों के कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा चौबीसवें नियमित अधिवेशन में जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें 14 व्यक्ति थे जिनके नाम

संलग्न सूची में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2103/69] इसके अतिरिक्त इसमें संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और उनके अधिकारीगण भी शामिल थे।

(ख) महा सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकारियों के अतिरिक्त, प्रतिनिधि मंडल के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार अपने विवेक से चुनती है और यह काम करते समय बहुत सी बातों पर ध्यान रखा जाता है जिसमें यह बात भी शामिल है कि जो प्रतिनिधि चुने जायें वे सरकार की नीतियों से सहमत हों भारत की नीतियों को ठीक तरह से पेश कर सकते हों तथा वे महासभा आदि में इन नीतियों का पूरी तरह समर्थन करें।

(ग) अब तक का काम प्रत्याशित स्तर का हुआ है।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में मितव्ययता

1406. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा किये जाने वाले व्यय में मितव्ययता करने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो व्यय में कितने रुपयों की मितव्ययता की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 1959 से समय-समय पर कई सरकारी दलों ने लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के काम के तौर तरीके की समीक्षा की है और कार्य अध्ययन तथा अमला निरीक्षण के आधार पर अमले को और खर्च के तरीकों को युक्तियुक्त बनाकर खर्च में किफायत करने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं। अगर इस तरह बराबर किफायत दारी से काम न लिया गया होता तो संसार भर में रहन-सहन का खर्च और किराये बढ़ने से, स्थानीय कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि हो जाने आदि से इस हाई कमीशन का कुल खर्च अब से कहीं ज्यादा होता।

इसे युक्तिसंगत बनाने में अमला एक प्रमुख मद रहा है। 1959 में इसमें कुल मिलाकर 1340 पद थे जबकि अब इनकी संख्या धीरे-धीरे करके 749 तक घटा दी गई है। इससे जो आनुमानिक बचत हुई है वह लगभग 37.53 लाख रुपये प्रतिवर्ष बैठती है।

पालमपुर में चाय परिष्करण एकक

1407. **श्री हेमराज** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा चाय उत्पादकों ने चाय की पत्तियों का परिष्करण करने के लिए पालमपुर के आस-पास आधुनिक ढंग का एक चाय का कारखाना स्थापित करने के लिये चाय बोर्ड को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या उन्होंने ऐसा कारखाना स्थापित होने की स्थिति में अपनी पुरानी तथा पुराने ढंग की मशीनरी को समाप्त करने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कांगड़ा घाटी में हरी और काली चाय की किस्म सुधारने तथा बढ़िया किस्म की चाय का उत्पादन करने की उनकी मांग को स्वीकार करने लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कांगड़ा चाय उत्पादकों ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसकी एक प्रति चाय बोर्ड को भी दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक उपयुक्त रिपोर्ट तैयार की जा रही है ; जिस पर राज्य सरकार तथा चाय-बोर्ड विचार करेगा ।

बर्मा से चावल की पेशकश

1408. **श्री भोगेन्द्र झा :** **डा० रानेन सेन :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने भारत को समान मूल्य की भारतीय वस्तुओं के बदले में दीर्घावधि ठेके पर प्रति वर्ष 100,000 टन चावल खरीदने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). बर्मा संघ की सरकार ने भारत सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि वह ऐसी कीमत पर चावल बेचेगी जो बाजार की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श द्वारा तय की जायेगी और वे इस बात के लिये भी तैयार हो गये हैं कि इस प्रकार के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी, उससे वे भारतीय माल खरीदेंगे । सम्मिलित विचार विमर्शों द्वारा परिमाण और शर्तों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

विद्रोही नागाओं का बर्मा चले जाना

1409. **श्री मंगलाथुमाडोम :** **श्री विश्वम्भरन :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1969 के प्रथम सप्ताह में भारत बर्मा सीमा पार करके कई सौ विद्रोही नागा बर्मा चले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो विद्रोही नागाओं के बार-बार बर्मा में प्रवेश को रोकने के लिये सीमा पर क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सितम्बर 1969 के प्रथम सप्ताह में नागा उपद्रवियों ने बर्मा में प्रवेश किया हो—इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है। तथापि नागा उपद्रवियों को बर्मा में प्रवेश होने से रोकने के लिये सुरक्षा सेना हर संभव कदम उठा रही है।

दलाई लामा

1410. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दलाईलामा एक भारतीय नागरिक हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी नहीं।

Inquiry Commission Against Union Ministers

1411. **Shri Gunanand Thakur** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Union Ministers against whom Inquiry Commissions have been appointed since the 15th August 1947 to-date ;

(b) the recommendations made by the Commissions in this regard ; and

(c) the extent to which Government have been able to implement those recommendations ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). No Commission under the Commissions of Inquiry Act, specifically directed against the conduct as such of any Union Minister, was appointed during the period in question. However, the House will recall that the reports of the Chagla Commission of Inquiry, which was appointed in 1958 to enquire into and report on the transactions of the LIC relating to the purchase of some shares, contained certain observations relating to the then Finance Minister. The Minister tendered his resignation shortly before the report of the Commission was received. Prime Minister Nehru made reference to the matter in the House on 19th February, 1958. No further action was considered necessary.

The House will also recall that in 1963 Justice S. K. Das of the Supreme Court was entrusted with an inquiry about some entries in the papers of Serajuddin and Co. purporting to relate to the then Minister of Mines and Fuel. In this case also, Prime Minister Nehru made a statement in the House on 17th August, 1963. The Minister tendered his resignation befor he knew the result of the inquiry. No further action was considered necessary.

नागाओं के साथ मुठभेड़ों में पाये गये भारतीय सैनिक

1412. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से सितम्बर, 1969 तक की अवधि में नागाओं के साथ मुठभेड़ों में और उसके द्वारा घात लगाकर मारे जाने वाले भारतीय सैनिकों और पुलिस सैनिकों और पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : तेरह।

Award From Foreign Countries

1414. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 487 on the 23rd July, 1969 and state :

(a) the names as well as addresses of those persons who received awards from foreign countries during the last three years ;

(b) the names of awards, their value and the name of the awarding country ;

(c) whether Government have enquired about the purpose for which these persons have used these awards ; and

(d) the action taken by Government to ensure that the amount of these awards is not spent for political purposes ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). The information is still being collected.

Change in Resources of the Fourth Five year Plan

1415. **Shri K. M. Madhukar** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any change is likely in the resources of the Fourth Five Year Plan following the nationalisation of the banks ;

(b) if so, the anticipated form and quantity of that change ;

(c) whether Government propose to indicate the basis of the priority to be fixed in the Fourth Five Year Plan for the distribution of the increasing resources following the nationalisation of the banks ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). The matter is under examination.

Revised Outlines of Fourth Five Year Plan

1417. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the revised outlines of the Fourth Five Year Plan after the nationalisation of banks ; and

(b) the amount allocated for the development of Agriculture and cottage industries during the first year of the Fourth Five Year Plan (1969-70) and the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The revision of the Fourth Five Year Plan 1969-74. Draft is now under way and will be finalised in January, 1970.

(b) In the Annual Plan for 1969-70 an outlay of Rs. 332.16 crores has been provided for programmes of agriculture and allied sectors and Rs. 38.48 crores for Village and Small Industries in public sector. The details of outlay for programmes of these two sectors are given in Annexures I and II. [*Placed in Library See*. No. LT 2104/69] Further details will be found in the *Annual Plan, 1969-70* laid on the Table of the House on 29th August, 1969.

Restriction on Imports of Cloves

1418. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of cloves imported during the last three months ;

(b) whether it is a fact that the Market price of cloves is Rs. 130 to Rs. 150 per kilogram at present ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to bring down the prices of cloves ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Statistics of imports are available upto the month of July 1969. 9518 Kg. of cloves were imported during the three months May to July 1969.

(b) Yes, Sir.

(c) The question of import of cloves to increase supplies and to bring down prices is under consideration.

Constitution of Joint Economic Trade and Technical Commissions

1419. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Board of Indian Economic and Trade Representatives has recommended the constitution of Joint Economic Trade and Technical Commissions to promote trade with the countries of South America and has also urged the appointment of a Commissioner General for economic affairs for those countries ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) The recommendations of the delegation are under examination in consultation with the various Ministries of the Government of India. Copies of the Report have been placed in the Parliament Library.

राज्य व्यापार निगम द्वारा वूल टाप्स की खरीद

1420. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब किये जाने के कारण ऊन साफ करने वालों के पास वूल टाप्स का भारी स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी मालूम है कि भारी स्टाक जमा होने से बाजार में सूत की कृत्रिम कमी हो गयी है ;

(ग) क्या इस स्थिति का समाधान करने के लिये आल इन्डिया वूलन मिल्स फैडरेशन ने कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कतिपय एककों द्वारा वूल टाप्स की उठान में हुए विलम्ब के कारण एक ऊन साफ करने वाले एकक के पास कुछ स्टाक जमा हो गया है ।

(ख) जी नहीं । इसकी कोई कमी नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) जी हां । यह सुझाव दिया गया था कि वास्तविक उपयोग्यता और पंजीयित निर्यातकों को ऊन साफ करने का प्रभार सीधे ऊन साफ करने वालों को भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये । इसकी अनुमति दे दी गई है ।

अखिल भारतीय क्षेत्रीय असंतुलन बोर्ड

1421. **श्री ई० के० नायनार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करने के उपायों के बारे में बातचीत करने और कोई मार्गोपाय निकालने के लिए अखिल भारतीय क्षेत्रीय असन्तुलन बोर्ड गठित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, क्षेत्रीय असमानतायें कम करने के लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में" चौथी पचवर्षीय योजना-1969-74-प्रारूप" जिसकी प्रति अप्रैल, 1969 में सभा पटल पर रखी गई थी, के पृष्ठ 17 से 19 तक की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Setting up of Agricultural Industry Groups Near Atomic Power Stations

1422. **Shri Jagannath Rao Josh :**
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the Report of the executives of the Atomic Energy Commission regarding setting up of agricultural industry groups near atomic power stations ;

(b) the steps taken so far ; and

(c) the result thereof and the future plans in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The salient features of the report of the working group alongwith the already available in the Parliament Library.

(b) and (c). The report submitted was preliminary in nature. Further studies by the working group are now in progress. The question of arriving at any conclusions and taking steps for implementation will arise only after the current studies are completed.

Rehabilitation of Ex-Servicemen in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat

1423. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 456 on the 23rd July 1969 and state :

(a) the places where ex-Servicemen were rehabilitated in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Gujarat and the terms and facilities provided to them ;

(b) the number of those ex-Servicemen ; and

(c) the future plan in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). According to the information received from the Government of J and K and Gujarat in reply to earlier Questions, 412 families of ex-military personnel in J and K and six ex-servicemen in Kutch in Gujarat have been settled on the border.

The detailed information regarding the places where they have been re-habilitated and the terms and facilities provided to them is not available and is being collected from the States concerned. Information in respect of Rajasthan is still awaited.

(c) The information is being collected from these three State Governments.

टायर के मामले में दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही

1424. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री टायर सौदे के घोटाले के मामले में 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित सैनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे ;

(ग) क्या संबंधित अधिकारी को आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वरण सिंह) : (क) से (घ). उक्त प्रश्न के उत्तर में जो स्थिति बताई गई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । याचिका अभी तक उच्च न्यायालय में पड़ी हुई है और वह विचाराधीन है ।

Work Done in Hindi in Ministry of External Affairs

1425. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharastra and foreign countries alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start work in Hindi in the remaining offices including those in foreign countries ;

(c) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one translator in each of the offices of the Ministry and those of the autonomous bodies under his Ministry in these offices so that the work could be started in Hindi ; and

(d) if so, the time by which it would be done ; if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). A statement containing the requisite information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT 2105/69] In none of our offices, the entire work is carried out in Hindi at present. The appointment of Hindi Typists and translators would depend upon the requirements of each office and no time limits can be set up for this purpose.

भारत में बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

1426. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री श्रीचन्द :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1969 को कितने बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे ;

(ख) कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को उचित रोजगार नहीं मिला समझा जाता है ;

(ग) रक्षा मंत्रालय के पुनः स्थापना निदेशालय द्वारा कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनः स्थापित किया गया है ; और

(घ) कुल कितने भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिक सेवा लीग सदस्य हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) 30 जून 1969 को रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रों में 47,454 भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे । 1 अक्तूबर 1969 को उनकी कितनी संख्या थी, उसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सूचना न तो उपलब्ध है और न सही रूप से एकत्रित की जा सकती है क्योंकि "अंडर इम्प्लाइड" शब्द की कोई ऐसी परिभाषा निर्धारित करना सम्भव नहीं है और इस सम्बन्ध में स्थिति भी हर समय बदलती रहती है ।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से पुनः रोजगार देने का काम रोजगार कार्यालयों का है। पिछले तीन वर्षों में पुनः स्थापन महानिदेशालय और रोजगार कार्यालयों द्वारा पुनः नौकरी पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :-

	पुनः स्थापन निदेशालय द्वारा	रोजगार कार्यालय द्वारा
1967	128	12651
1968	1222	14311
1969	2213 (31 अक्तूबर 69 तक)	7414 (30 जून 69 तक)

(घ) उपलब्ध सूचनानुसार भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन के 400 सदस्यों के अतिरिक्त भारत भर में 85 सदस्य संस्थाएं और संगठन की 5 ब्रांचें है जिनकी सदस्य संख्या ज्ञात नहीं है ।

आर० सी० एल० और० एस० एल० आर० राइफलों की कमी

1427. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री श्रीचंद गोयल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिटों में आर० सी० एल० और एस० एल० आर (राइफलों) जैसे हथियारों की कमी है ; और

(ख) यदि हां तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । यूनिटों को पुनः नए साज सामान से सुसज्जित करने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाकुओं को पुलगाव डिपो से गोला बारूद मिलना

1428. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 25 अक्तूबर, 1969 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित इन समाचारों को पढ़ा है जिसमें "डकायट्स" गेट एम्युनीशन फ्राम पुलगांव डिपो" (डाकुओं को पुलगाँव डिपो से गोला बारूद) शीर्ष दिया गया है ;

(ख) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सही है कि पुलगाँव एम्युनीशन डीपो से कई हजार रुपये के कारतूस सम्बल घाटी में पहुंच जाने का संदेह है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस डिपो से बहुत से कारतूस (303) गायब हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है इस मामले में डिपो के कुछ अधिकारियों का हाथ है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस मामले की जांच करेगी और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) 28 फरवरी .969 को पुलगांव एम्यूनीशन डिपो से छोटे हथियारों की 4000 गोलियां गायब पाई गईं । इसकी अदालती जांच की गई और उसके अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । इसके साथ ही पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है । अभी तक रक्षा मन्त्रालय के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे यह जाहिर होता हो कि पुलगांव एम्युनीशन डिपो का गोला बारूद चम्बल घाटी में पहुंच गया है ।

पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात

1429. **श्री सु ०कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक की अवधि में पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पटसन की वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही जी जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पटसन की वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में कमी विशेषतया पिछले मौसम में हल्की फसल तथा पटसन की वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण रही। इस मौसम में अच्छी फसल को देखते हुए अब स्थिति सुधर रही है।

हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विदेशी सहयोग के साथ हेलिकोप्टरों का निर्माण

1430. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान ऐरोनांटिक्स को हेलीकप्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या किसी विदेशी पार्टी के साथ सहयोग करने का करार किया गया है, यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) प्रति वर्ष कितने हेलिकोप्टर बनाये जायेंगे और क्या नागरिक तथा कृषि कार्यों के लिये कुछ हेलिकप्टर आरक्षित किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). अल्वोट 111 हेलिकप्टरों का निर्माण हिन्दुस्तान ऐरोनांटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) में फ्रांस की सूद फर्म में हुए समझौते के अन्तर्गत प्रारम्भ हो चुका है। हिन्दुस्तान ऐरोनांटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) में फ्रोस की एक अन्य फर्म टरबोमिका-के साथ हुए एक अलग समझौते के अन्तर्गत हेलिकाप्टरों में लगने वाले इंजनो का निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका है। समझौतों की शर्तों का उल्लेख करना सामान्य व्यवसायिक पद्धति के विरुद्ध है।

(ग) इस समय हेलिकप्टरों का निमर्ण मुख्यतः भारतीय वायु सेना और भारतीय नौ-सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हो रहा है। प्रति वर्ष निर्मित हेलीकाप्टरों की संख्या बताना सार्वजनिक हित में न होगा।

स्वेतलाना की पुस्तक

1431. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वेतलाना द्वारा लिखित 'ओनली वन फीयर' नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या इस पुस्तक के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस पुस्तक में एक गैर सरकारी व्यक्ति के विचार निहित हैं ।

(ग) भारत में इस पुस्तक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का इरादा नहीं है ।

Complaint Lodged by Ex-Servicemen Against Secretary, Delhi Soldiers Borad

1432. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when the ex-Servicemen approach the Secretary, Delhi Soldiers Board to seek advice regarding assistance, they are threatened and turned out and no help is extended to them ;

(b) whether it is also a fact that ex-servicemen have lodged complaints against the Secretary, Delhi Soldiers Board in this regard during the last eight months ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). No such complaint against the Secretary, Delhi Soldiers Board has been received.

(c) Does not arise.

Special Facilities and Rehabilitation Fund for Ex-Servicemen

1433. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3495 on the 13th August, 1969 and state :

(a) whether information in regard to special facilities and Rehabilitation Fund for ex-servicemen has since been collected from Delhi and Uttar Pradesh Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). A statement implementing the assurance given in reply to Unstarred Question No. 3495 on the 13th August 1969, has already been forwarded to the Department of Parliamentary Affairs for being laid on the Table of the House.

A copy of the implementation statement is, however, attached. [*Placed in Library. See* No. LT/2106/69].

Enhancement in Pensions

1434. **Shri Nihal Singh** :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have enhanced the pensions of armed forces with effect from September, 1969 ;

(b) if so, the ratio thereof ;

(c) whether it is also a fact that the above increase is not applicable to those reservists and retired Military personnel who have been given re-employment in civil services; and

(d) if so, the reasons therefore ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The rates of *ad hoc* increase admissible to armed forces pensioners drawing pension upto Rs. 200/- p. m. have been enhanced uniformly by Rs. 10/- p. m. with effect from 1st September 1969.

(c) Yes. Sir.

(d) The *ad hoc* increase in pension has been sanctioned to off-set the increased cost of living. Since re-employed pensioners are in receipt of either dearness allowance or free rations or clothing or other concessions in consideration of the increased cost of living during the period of re-employment, or in their in case an element of dearness allowance is included in the consolidated pay on re-employment, no *ad hoc* increase in pension is admissible to them.

Number of Unemployed Emergency Commissioned Officers in the Country

1435. **Shri Nihal Singh :** **Shri C. Janardhan :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri J. M. Biswas :**
Shri Yogendra Sharma : **Shri Inderjit Gupta :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of unemployed released Emergency Commissioned Officers in the country and the number thereof who have been provided with employment ; and

(b) the efforts being made by Government to provide employment to the remaining unemployed Emergency Commissioned Officers ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Out of 7947 ECOs coming up for grant of Permanent Commission or released, as many as 3715 have been either granted Permanent Commistion or graded fit therefore. Of the remaining 4232 ECOs who have been released, 2301, have, according to statistics available, been otherwise rehabilitated. 493 are not being catered for having been released on disciplinary grounds or as non-optees for Permanent Commission. This would leave 1438 released ECOs, but it is possible that some of these have already been rehabilitated through their own efforts.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Efforts Being made by Government to Provide Employment to Released E. C. Os.

(1) Reservations have been made in all India and Central Services for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers both in respect of permanent and long-term temporary vacancies to be filled by direct recruitment as follows :—

IAS/IFS	20%
IPS	30%
Class I	25%
Class II	30%

The UPSC has held examinations to fill in these vacancies by special competitive examinations exclusively for emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, Concessions and relaxations in educgtional qualifications, age and medical standards for eligible candidates in specific examinations/selection in respect of released ECOs/Short Service Commissioned Officers have also been authorised.

(2) Most of the State Governments and certain public sector undertakings have reserved certain percentages of vacaneies in Class I and Class II (Non-technical) posts for released ECOs/SSCOs. 40% of the posts of Asstt. Commandants in the Assam Rifles,

which were hitherto filled by deputation of regular Armed officers, has been reserved for ECOs/SSCOs during 196? and 1970. The Government of Assam have also agreed to recruit released ECOs to some of their vacancies in administrative posts in the hard and difficult areas of Mizo Hills

(3) Released ECOs are being absorbed in the Central Police Forces (Border Security Force, Central Reserve Police, etc.) and in the National Cadet Corps as for as possible the of appointing a number of released ECOs in the Railway Protection Force is also being considered. Efforts are being made to absorbed released Emergency Commissioned officer in the Central Industrial Security Force.

(4) The names of the released Emergency Commissioned Officers, belonging to the various States, have been forwarded to the Chief Secretaries of the States, concerned for consideration for employment. The names of suitable released ECOs are also sponsored by the Directorate General of Resettlement, Ministry of Defence, to the various employers who approach that Organisation for suitable names for employment in their concerns.

(5) Four Officers on Special Duty of the rank of Lt. Colonel with the respective headquarter at Calcutta, Bombay, Madras and Delhi are personally liaising with the State Governments, public and private sector undertakings to secure suitable jobs to the released ECOs.

(6) A number of Orientation courses as well as Refresher and Reorientation courses are being arranged, in order to improve the employability of released ECOs both in the public and private sector undertakings.

काश्मीर-सिक्यांग सीमा पर मोरखुन और खुंजर ए० बी० के बीच बनाई गई संपर्क सड़क

1436. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान हाल ही में समाचार-पत्रों की ओर दिलाया गया है;

(एक) चीन की सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मोरखुन और कश्मीर-सिक्यांग सीमा पर खुंजर ए० बी० के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़क बनाई है;

(दो) उपर्युक्त मार्ग वर्ष 1970 के मध्य तक जीप के चलने योग्य बन जाने की आशा है;

(तीन) वर्ष 1971 के पूर्वार्द्ध तक 3-टन वजन की गाड़ी इस सड़क चल सकेगी ;

(चार) इस महत्वपूर्ण सम्पर्क सड़क को बनाने के लिए लगभग 12,000 पी० एल० ए० सैनिक पहुंचे थे और इस सड़क से चीन को भारी बख्तरबन्द गाड़ियों को सिक्यांग से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लाने में सहायता मिलेगी ;

(पांच) उपर्युक्त क्षेत्र में गत तीन या चार महीनों में चीन के सैनिकों की कुल संख्या 5,000 हो जाने का अनुमान है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन घटनाओं के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारतीय सीमा की सुरक्षा तथा चीन और/अथवा पाकिस्तान के छापामार सैनिकों को भारतीय प्रदेश में घुसपैठ करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). कश्मीर और सिक्यांग सीमा पर मोरखुन से खुंजराव घाटी तक सड़क बनाने में सहायता देने के

लिए मोगुल लिब्रेशन आर्या के चीनी सैनिकों के इस क्षेत्र में कथित प्रवेश से संबंधित सूचनायें विदेश मंत्री ने 22 जुलाई 1969 को सदन में दिये गये अपने वक्तव्य में दी थी। सरकार ने सड़क निर्माण में की जा रही प्रगति तथा चीनी सैनिकों के इस क्षेत्र में और अधिक संख्या में प्रवेश करने के सम्बन्ध में हाल की एक प्रेस रिपोर्ट देखी है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाने में हमने इन सब गतिविधियों को पूरी तरह ध्यान में रखा है।

दलाई लामा के बारे में चीन द्वारा भारत पर आरोप

1437. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन की सरकार द्वारा अपने सरकारी समाचार अभिकरण "दी न्यू चाइना" न्यूज एजेंसी के द्वारा भारत सरकार के विरूद्ध लगाये गये इन कथित आरोपों की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार अपने विस्तारवादी इरादों पर परदा डालने के लिए दलाई लामा का उपयोग कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समाचार में नया कुछ भी नहीं है। यह वैसा ही भारत विरोधी प्रचार है जैसा कि चीन के प्रचार माध्यम अकसर करते रहते हैं।

(ग) भारत सरकार के विरुद्ध नव चीन समाचार एजेन्सी के उच्छृंखल आरोपों में किसी का विश्वास नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ती है, भारत के कार्यों और नीतियों को सही रूप में पेश करने के कदम उठाये जाते हैं।

विकासशील देशों के लिये व्यापार प्राथमिकतायें

1438. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के पक्ष में सामान्यीकृत गैर-पारस्परिक तथा निष्पक्ष व्यापार प्राथमिकताओं सम्बन्धी एक योजना पर विचार करने के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास सम्बन्धी संगठन (ओ०ई०सी०डी०) की 27 से 29 अक्तूबर, 1969 तक पेरिस में होने वाली, विशेष बैठकों, को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के कहने पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के रवैये तथा उसके फलस्वरूप आर्थिक

सहयोग तथा विकास सम्बन्धी संगठन की बैठक स्थगित हो जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ; और

(घ) क्या आर्थिक सहयोग तथा विकास सम्बन्धी संगठन अधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). पेरिस में हुई आर्थिक सहयोग तथा विकास सम्बन्धी संगठन की बैठकों में प्राथमिकताओं को सूत्रित करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न होने की रिपोर्टें प्राप्त होने पर, विकासशील देशों के '77 के समूह" के, जिसका भारत भी एक सदस्य है, अध्यक्ष ने 28 अक्तूबर, 1969 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ई०सी०ओ०एस०ओ०सी०) में एक वक्तव्य दिया जिसमें 2 से 28 अक्तूबर 1969 के लिये इस प्रयोजनार्थ निर्धारित आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की व्यापार समिति की बैठक के अस्थगन के फलस्वरूप प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना हेतु योजना आरम्भ करने में सम्भावित देरी पर विकासशील देशों को होने वाली चिन्ता प्रकट की।

2. बाद में सामान्यीकृत गैर-पारस्परिक तथा निष्पक्ष प्राथमिकताओं को शीघ्र लागू करने का आग्रह करते हुए 12 नम्बर, 1969 को संयुक्त राष्ट्रों ने एक संकल्प पारित किया। इसने विकसित बाजार अर्थ व्यवस्था वाले देशों के 15 नवम्बर, 1969 तक अंकटाड को सारवान प्रलेख प्रस्तुत करने के समझौते का भी स्वागत किया। सरकार को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आर्थिक सहयोग तथा विकासशील सम्बन्धी संगठन के औद्योगिक रूप से विकसित सदस्य देशों ने पहले से ही स्वीकार की गई समय सारणी के अनुरूप 15 नवम्बर, को अंकटाड सचिवालय को अपनी 'पेशकश' भेज दी थीं।

भारत के निर्यात पर मात्रा की पाबन्दी समाप्त करना

1439. **श्रीमती इला पाल चौधरी** :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब केन्द्रीय सरकार के विदेशी व्यापार तथा पूर्ति सम्बन्धी मंत्री हाल ही में देशों के दौरे पर गये थे तो योरोपीय साझा बाजार के अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान काफी प्रयत्न करने के बाद योरोपीय साझा बाजार की परिषद् ने भारत से आयात की जाने वाली बहुत-सी वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटाने का और कुछ वस्तुओं पर मात्रा की पाबन्दी समाप्त करने का निर्णय किया था जिससे भारत यूरोपीय साझा बाजार के देशों को अपना निर्यात बढ़ा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों से किन-किन वस्तुओं को लाभ होगा ;

(ग) ये रियायतें कितनी अवधि के लिये दी गई हैं ; और

(घ) मूल्य और मात्रा के रूप में लगभग कितना लाभ होगा, जो कम से कम रियायतों की अवधि में इन रियायतों के परिणामस्वरूप भारत को होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशी व्यापार मंत्री ने ब्रेसल्स की अपनी हाल की यात्रा के दौरान यूरोपीय समुदायों के आयोग के अध्यक्ष के साथ बातचीत की और उन पर यह जोर डाला कि भारत तथा समुदाय के बीच प्रमुख समस्याओं को जितना शीघ्र सम्भव हो हल किया जाना चाहिए। चाय ईस्ट इंडिया किस्स, काजू, कतिपय मसाले तथा हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पाद जैसी भारत की रुचि की मदों पर से शुल्क के पूर्ण अथवा आंशिक निलंबन से सहहणा हेतु अनुरोध किये गये। वस्त्रों तथा अन्य उत्पादों के बढ़े हुए कोटों के लिये भी अनुरोध किये। मंत्री ने अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के स्वरूप के भीतर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अर्थपूर्ण योगदान के लिए कहा जो भारत के लिए वास्तविक मूल्य का होगा।

किन्तु भारत के मामले पर विशेष रूप से विचार करने हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मन्त्रियों की परिषद् की बैठक अभी तक नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

इसराइल की सेना में अमरीकी नागरिक

1440. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** **श्री इसहाक सम्मली :**
श्री जनार्दनन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका सरकार के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इसराइल की सेना में कुछ अमरीकी नागरिक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस बात के पता चलने के कारण अरब देशों में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसके विरुद्ध अरब देशों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई है।

(ग) भारत सरकार को पश्चिम एशिया के संबंध में गहरी चिन्ता है, क्योंकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कोई भी बात जिससे स्थिति और भी गंभीर होती हो, हमारे लिये चिन्ता का विषय है।

Indian Girls taken abroad by Christian Missionaries

1441. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukan Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such Indian girls as were taken abroad from Madhya Fradesh by Christian missionaries for religious education since the 1st January, 1968 ;

(b) the number of those out of them who have returned to India during the above period ; and

(c) the action Government purpose to take to bring them back ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Enquiries are being made and information will be placed on the Table of the House when received.

गुट निरपेक्ष नीति में परिवर्तन

1442. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति दो दशाब्दी पहले बनाई गई थी जब रूस और अमरीका का परस्पर झगड़ा चल रहा था और महत्वशाली देश भारत को अपना मित्र बनाना चाहते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब स्थिति बदल गई है और अब विश्व के महत्वशाली राष्ट्र भारत के अपेक्षा पाकिस्तान की मित्रता प्राप्त करने के लिए अधिक व्यग्र हैं ; और

(ग) क्या परिवर्तित उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार भारत की विदेश नीति में समुचित परिवर्तन करने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). भारत की गुट-निरपेक्ष नीति मौलिक रूप से एक स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसने भारत के राष्ट्रीय हितों एवं विश्व में शांति और प्रगति के हित में, प्रत्येक मामले का, उसके गुणों के आधार पर निर्णय करने के साधन हमें सुलभ किया। हालांकि पिछले दो दशकों में विश्व की परिस्थितियां बदल गई हैं और हमारी विदेश नीति को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता हैं फिर भी हमारी उस आधारभूत विदेश नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, जिसका मूल भारत के राष्ट्रीय हितों और अन्तर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता और प्रगति भी हमारी इच्छा में है ।

अपनी विदेश नीति के अनुरूप भारत ने सभी देशों के साथ मित्रता रखनी चाही है, और सभी देशों ने चाहे वे देश छोटे हों या बड़े, सिर्फ दो देशों को छोड़कर शेष सभी ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है और वे भारत के साथ बनाये रखेंगे ।

चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र

1443. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, और पाकिस्तान के प्रतिरक्षा सैनिक परमाणु अस्त्रों से लैस है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस से भारतीय प्रतिरक्षा सैनिकों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) उनको परमाणु अस्त्रों से लैस करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क बहुत से अवसरों पर चीन के परमाणु अस्त्रों के बारे में सदन को सूचना दी जा चुकी है। अन्तिम सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के उत्तर में 23 जुलाई 1969 को दी गयी थी। अभी इसकी कोई सूचना नहीं है कि चीन ने सामरिक परमाणु अस्त्रों का जमीनी लड़ाई के लिए विकास कर

लिया है । किन्तु हो सकता है कि वह उनके इस प्रकार विकास किए जाने की योजनायें बना रहा हो । सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र नहीं है ।

(ख) हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल लगातार बुलन्द रहा है ।

(ग) समय समय पर परमाणु अस्त्रों के विकास के संबंध में सरकार की नीति सदन को स्पष्ट की जाती रही है इस संबंध में 23 जुलाई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 तथा 495 के उत्तरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

Long Range Missile Manufactured by China

1444. **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in a Japanese newspaper Asahi that China has prepared a 2,000 kilometre long-range missile ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Government have seen the Press report reffered to Government's assessment of the Chinese nuclear strength has been conveyed to the House, on a number of occasions. As stated in reply to Unstarred Question No. 4942 on 18th December 1968, China is developing medium range ballisfic missiles which have a range of about 2,000 miles, but there is no indication yet of their actual deployment.

Demand made by Pakistan for 200 Russian Tanks

1445. **Shri Shri Chand Goyal :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri J. K. Chodhury :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has again demanded 200 tanks from U. S. S. R. which are equipped with 120 millimetre guns ;

(b) whether it is also a fact that the President of Pakistan visited or purpose to visit U. S. S. R. in the near future with this purpose in view ;

(c) whether Government have varified it through its own sources ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Government have no such information.

(a) and (c). The President of Pakistan may visit U. S. S. R. before long but actual date has not yet been announced.

(d) Does not arise.

दूसरी प्रतिरक्षा योजना

1446. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री जनार्दनन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अप्रैल में चालू की गई दूसरी प्रतिरक्षा योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) इस बारे में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) 196 -74 की रक्षा योजना में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है । आगे और विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच व्यापार के लिये बाजार विकास निधि

1447. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री जनार्दनन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिये कोई बाजार विकास निधि स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निधि का कार्यक्षेत्र और आधार क्या होगा ; और

(ग) क्या राष्ट्रमण्डलीय सचिवालय का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्यों के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और उक्त प्रस्ताव के बारे में सरकार से बातचीत की थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित विपणन विकास निधि की सम्भावनाओं और आकार के सम्बन्ध में राष्ट्रमण्डलीय व्यापार संवर्धन अध्ययन दल द्वारा जांच की जा रही है और इसकी सिफारिशों पर राष्ट्रमण्डलीय सरकारें विचार करेंगी ।

(ग) जी हां ।

रुई, ऊन और कृत्रिम रेशे आदि का आयात

1448. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 से 1968-69 तक प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की (एक) लकड़ी, (दो) कृत्रिम रेशे और (तीन) रुई का विदेशों से आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में प्रति वर्ष कितने-कितने मूल्य की उपरोक्त वस्तुओं का आयात किया गया ; और

(ग) विदेशी व्यापार गृहों को यदि कोई स्वामित्व दिया गया है, तो कितना ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). ऊन तथा रुई के आयात से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2107/69**] संश्लिष्ट धागे की आयात सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संस्था

1449. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संस्था किस प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन है ;

(ख) इस संगठन के संचालन पर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय होता है और इससे कुल कितनी आय होती है और उसमें केन्द्रीय सरकार का अंश कितना है ;

(ग) सरकार इस संगठन की गतिविधियों को किस प्रकार नियंत्रित करती है ;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि विदेशियों द्वारा तं ड़फोड़ की कोई बात न की जा सके और यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ; और

(ङ) इस संगठन द्वारा किये जाने वाले मूलभूत तथा व्यावहारिक अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस संस्था का नियंत्रण एक स्वायत्त प्रबन्ध परिषद् द्वारा होता है जिसमें उद्योग से 12 निर्वाचित सदस्य, भारत सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य, पांच नामित वैज्ञानिक तथा टेक्नोलोजिस्ट और एक निदेशक है ।

(ख) वर्ष 1968-69 में व्यय लगभग 29.98 लाख रु० था जिस में 17.49 लाख रु० उद्योग का अंशदान था । शेष 12.49 लाख रु० सरकार द्वारा दी गई सहायता थी ।

(ग) संस्था के कार्यकलापों की जांच लेखों की आवधिक परीक्षा तथा प्रबन्ध परिषद के सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा की जाती है ।

(घ) सरकार द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाए गये हैं ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2108/69**]

एम० आर० ए० द्वारा विदेश यात्रा के लिये प्रयोजित व्यक्ति

1450. **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष :
श्री वदरुद्दजा :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा प्रायोजित "भारत रीआर्ममेंट" नामक कोई संगठन है जो भारत सहित समस्त विश्व में कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या एम० आर० ए० (इंडिया) भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा की व्यवस्था करता है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में एम० आर० ए० (इंडिया) द्वारा कितने व्यक्तियों को विदेशों में भेजा गया ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Institutions imparting training in Foreign Trade

1451. **Shri Molahu Prashad :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in order to encourage technical knowledge regarding foreign trade, his Ministry has provided for educational institutions and training centres ; and

(b) if so, the names of the institutions and the individuals imparting education and training relating to foreign trade in India and abroad and the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). The Ministry of Foreign Trade has sponsored the Indian Institute of Foreign Trade registered as a society under the Societies Registration Act. Among other activities, the Institution provides training courses in techniques of foreign trade in India. These comprise of regular and *ad hoc* training courses. Of the regular courses, one is of 10 months duration leading to the grant of a diploma. The other is for training in foreign trade for I. F. S. (B) Officers. Apart from these *ad hoc* training courses are provided by the Institute from time to time on different aspects of foreign trade.

The training is imparted by the Institute through a complement of highly qualified professors, research and training officers etc ; in the employ of the Institute. Experts from out side the Institute are also invited to assist in the teaching programmes. A statement giving particulars of the staff of the Indian Institute of Foreign Trade employed partially or wholly on the training courses is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2109/69]

Conversion of Reserved Posts Into Unreserved Posts

1452. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the Ministry of Home Affair's Office

Memorandum No. 8-1-69 Establishment (S. C. T.) dated the 28th January, 1969, the Ministry of Home Affairs's approval is essential to convert reserved posts into unreserved posts ;

(b) if so, the number of such cases sent to the Ministry of Home Affairs for their approval under this rule during 1968-69 and the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Publications of Central Statistical Organisation

1453. **Shri Molahu Prashad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the reasons for which not a single statistical publication has been brought out either in Hindi or in bilingual form by the Central Statistical Organisation ;

(b) whether it is a fact that high officers of the said Organisation are highly prejudiced against Hindi ; and

(c) if so, whether Government propose to replace these officers with some other pro-Hindi officers so that anti-Hindi feelings could be removed from the said Organisation ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Ministry of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Two regular publications of the Central Statistical Organisation, *viz* , the Annual Survey of Industries, 1964 (Vol. I) and Estimates of National Product have been so far brought out as bilingual editions. Other regular and *ad hoc* publications have been brought out in English only, in view of their technical nature and lack of adequate number of trained staff in Hindi. To facilitate the bringing out of Hindi/bilingual varsions, the following additional staff has been now sanctioned in the Central Statistical Organisation :

(a) Hindi Officer (Class II-Gazetted) Rs. 350-900)	1
(b) Senior Investigators (Hindi) (Class II-non-Gazetted) (Rs. 325-575)	2
(c) Stenographer (Grade III) (Hindi) (Rs. 130-380)	3

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

"न्यूयार्क टाइम्स" में महात्मा गांधी पर लेख

1454. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर 1969 के न्यूयार्क टाइम्स (मैगजीन) संस्करण में "दि योगी एण्ड दि कमिस्सार" नामक लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह फूहड़ लेख एक व्यक्ति विशेष के विचारों का प्रतीक है और एक महान व्यक्ति को इस बुरी तरह गलत ढंग से पेश किये जाने की सरकार निन्दा करती है । इस लेख के जवाब में हमारे संसद सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र में हमारे अन्य प्रतिनिधियों के उत्तर "न्यूयार्क टाइम्स" में छापे गये थे ।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने के लिये पाकिस्तान का समर्थन

1455. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वर्तमान अधिवेशन में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन को शामिल करने का समर्थन किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने इस बारे में क्या रवैया अपनाया था ; और

(ग) यदि नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हाल ही के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या विशिष्ट मामले उठाए और उसे कितनी सफलता मिली ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन लोकगणराज्य को जगह देने के समर्थन में मत दिया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिगरेटों का निर्यात

1456. **श्री शिव चन्द्र झा** :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सिगरेटों और तम्बाकू से बने अन्य माल का विदेशों को निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है और इससे गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो सिगरेटों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसमें कितनी सफलता मिली ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू से निर्मित वस्तुओं का निम्नलिखित देशों को निर्यात किया जाता है।

बहरीन द्वीप, चेकोस्लोवाकिया, नैपाल, कुवैत, यूगांडा, तनजानिया, अफगानिस्तान, मलयेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, कतार, अदन/दक्षिण यमन गणराज्य और केन्या।

विगत तीन वर्षों में (वर्षवार) उससे उपार्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :

मूल्य '000' रु० में

1966-67	1967-68	1968-69
9984	7417	5993

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लक्कदीव द्वीप समूह में नौ सेना का अड्डा

1457. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव द्वीप समूह के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां पर नौ सेना का एक अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदिव द्वीपसमूह में सीमित वेस सुविधा के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्मों को काली सूची में रखना

1458. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात के विनियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों को काली सूची में रखने संबंधी कानून को कठोर बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संबंधी नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने वाले आयातकों निर्यातकों के वारण तथा निलम्बन से सम्बन्धित दण्ड-उपबन्धों को कठोर बनाने हेतु कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

इन्जीनियरी उद्योग में निर्यात करने वाले एकक

1459. **श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लगभग 40 एककों को, जिनमें से अधिकांश इंजीनियरी उद्योग में हैं, चुना है जिन्हें विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि निर्यात बाजार और बढ़ती हुई घरेलू मांग की पूर्ति की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). हाल ही में घरेलू मांग का महत्वपूर्ण पुनः प्रवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय क्षेत्रों में निर्यात क्षमता के ह्रास का भय है और जिससे निर्यात योग्य अधिशेषों के कम होने का डर है। विदेशी

व्यापार मन्त्रालय इस समय ऐसे औद्योगिक एककों तथा उत्पाद-श्रेणियों के अभिनिर्धारण में व्यस्त है जहां औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में गति बनाये रखने और अपने निर्मातों से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की संयुक्त विकास दर प्राप्त करने हेतु क्षमता के विस्तार की आवश्यकता है। क्षमता के विकास के लिए कतिपय आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं। इन आवेदन पत्रों को क्षमता के विस्तार के लिए ठोस प्रस्तावों के उपरांत परामर्श हेतु लाइसेंसिंग समिति को सौंप दिया जायेगा। चूंकि अभिनिर्धारण का यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अतः इस अवस्था में ऐसे एककों को बताना संभव नहीं जो इससे संबंधित हो। किन्तु, इस संबंध में अभी तक अभिनिर्धारित उत्पाद-श्रेणियों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है।

अभी तक अभिनिर्धारित उत्पाद-श्रेणियों की सूची

सिलाई मशीनें

ड्राप फोरज्ड हेन्डटूल्स

कटाई के लघु उपकरण

सूखी बैटरियां

संचायक बैटरियां

इस्पात ट्यूबों के लिए स्ट्रेच रिडक्शन मिल

चमकीली छड़ें तथा घूरियां

रेडियो रिसीवर तथा इलैक्ट्रोनिक संघटक

प्रोपर्जी छड़ें

रैफ्रिजरेटर

डीजल इन्जिन

ईंधन इन्जेक्शन उपकरण

साइकिल तथा पुर्जे

प्रतिरक्षा विभाग में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिये योजना

1460. **श्री रवि राय :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विभाग के तकनीकी विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चालू योजना की अवधि की समाप्ति तक प्रतिरक्षा विभाग में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर 25 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कौन सी विशिष्ट योजना विचाराधीन है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सेनाओं के

लिये हथियारों, उपकरणों तथा सामानों की प्रत्याशित आवश्यकताओं के आधार पर एक योजना बनाई गई है जो कि रक्षा के काम में विभिन्न क्षेत्रों में सम्पन्नता प्रदान करेगी। इसमें व्यय क्रमशः बढ़ता चला जाएगा जो कि 1969-70 में 16 करोड़ रुपये तथा 1973-74 में 30 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।

(ग) इसका विस्तृत वर्णन देना सार्वजनिक हित में न होगा।

Indian Candidature for International Court

1462 **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Candidate was defeated in the election to International Court ; and

(b) if so, the causes of the defeat ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. The Indian candidate lost to the candidate of Dahomey by 62 votes to 69 in the General Assembly, and by 6 votes to 9 in the Security Council after six ballots.

(b) The decision at the last moment of the African Group of 41 States to vote for the candidate of Dahomey on the ground that Africa is under-represented in the Court resulted in the loss to the Indian candidates of the African votes which were expected for him before the entry of the African candidate. Also the rival Asian candidate form Thailand reduced to some extent the support expected for India from from Asian countries.

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी सरकार का भारत में कार्यालय

1463. **श्री ई० के० नायर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेताओं द्वारा गत जून में दक्षिण वियतनाम में बनाई गई अस्थायी सरकार को राजनयिक मान्यता देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी सरकार को कम से कम भारत में एक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार दक्षिण वियतनाम की स्थायी क्रान्तिकारी सरकार को राजनयिक मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Creation of new Regiments

1464. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain communities had submitted a representation in 1968 to the effect that new regiments carrying the names of communities should be established in the Army :

(b) if so, the policy of Government in this regard ;

(c) whether such demands are being made on the ground that there are already some regiments in the Army carrying the names of certain communities and sects ;

(d) if so, whether Government propose to abolish the names of the regiments carrying the names of communities and sects ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (e). Through some Regiments still retain class nomenclature, the policy of Government is to gradually reorganise the Army so as to do away with class distinctions. In view of this policy, the Government are unable to accept requests made for establishment of new regiments with class nomenclature.

सरकारी विभागों द्वारा सूती कपड़े की खरीद

1465. **श्री वासुदेवन नायर** : **श्री जनार्दनन** :
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री इसहाक सामली** :

क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में सूती कपड़े आदि की सप्लाई के लिये विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूती कपड़ा मिलों को कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये ;

(ख) वर्ष 1969 में सरकारी विभागों द्वारा सूती कपड़ा मिलों के सूती कपड़े तथा अन्य कपड़े की अनुमानित खपत कितनी थी ;

(ग) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र से उक्त माल की कितनी खरीदारी की गई ; और

(घ) सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये या कपड़ा निगम के अधीन चलाये जा रहे सूती कपड़ा मिलों से कितनी खरीदारी की गई ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तिलहनों तथा तिलहन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये परिषद

1466. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री रा० बरुआ : **श्री बी० नरसिम्हा राव** :
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई विश्वविद्यालय आदि द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि तिलहनों तथा तिलहन उत्पादों के लिये एक स्वतंत्र निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् स्थापित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास की संस्था अमरीका द्वारा प्रायोजित यह सर्वेक्षण उनके मंत्रालय की सहमति से किया गया था ।

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ; और

(घ) सरकार ने उन्हें किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप को खली तथा चूर के निर्यात करने पर भाड़े में पर्याप्त कमी करवानी चाहिए।

(2) तिलहनों तथा तिलहन उत्पादों के लिए एक स्वतंत्र निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् स्थापित करनी चाहिए ;

(3) तेलरहित चावल चोकर की निर्यात वृद्धि के मार्ग में आने में वाली मुख्य अड़चनें अर्थात् आयातक देशों द्वारा लगाए गए आयात करों, एवं भाड़े की उच्च दरों को हटा देना चाहिए ; और

(4) पशु खाद्य पदार्थों के निर्यातकों द्वारा उठाई जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार तथा उद्योग दोनों द्वारा ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

(घ) सर्वेक्षण सरकार के विचाराधीन है।

रूई के आयात के लिये निगम

1467. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूई के आयात के लिये सरकारी क्षेत्र में एक पृथक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है, जो इस समय पूर्णतया गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम द्वारा किस तिथि से कार्य आरंभ कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित निगम को देशों में कपास के विकास का काम भी सौंपा जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व इस समय खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय पर है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री द्वारा 21-8-69 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है। रूई वर्ष 1970-71 से रूई के आयात को अपने अधीन लेने के लिए एक उपयुक्त कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

कपास का उत्पादन

1468. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष की कपास की फसल का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या अच्छी फसल होने की आशा को दृष्टिगत रखते हुए मूल्य गिरने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास के लिये नये और अधिक लाभदायक समर्थन मूल्य घोषित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कपास वर्ष 1969-70 के लिए कपास की पैदावार का सरकारी तौर पर अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है । फिर भी इस वर्ष की पैदावार का स्तर विगत वर्ष की तुलना में अधिक होने की सम्भावना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) वर्तमान समर्थन मूल्य पर्याप्त प्रतीत होते हैं ।

नेशनल टैस्ट हाउस कलकत्ता के निदेशक

1469. **श्री मधु लिमये** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल टैस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता के निदेशक के बारे में हस्ताक्षर किया हुआ था अन्यथा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 58 वर्ष की वार्धक्यता आयु पूरी करने पर भी अपना सेवाकाल बढ़ाये जाने के लिए उनके प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या अभ्यावेदन में शिकायत की गई है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तंग कर रहा है और निजी भौतिक लाभ आदि प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां, तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग). काल्पनिक नाम से लिखे गये दो पत्रों में यह आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय परीक्षण शाला के निदेशक अपने सेवा कार्यकाल को बढ़वाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि वह राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता और बम्बई में कुछ तबादलों और पदोन्नतियों के सम्बन्ध में अत्यधिक पक्षपात कर रहे हैं ।

गुमनाम से लिखे गए तीसरे पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि निदेशक का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार असहनीय है और वह अपने नीजी कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करते रहे हैं ।

(घ) और (ङ). क्योंकि ये पत्र काल्पनिक नाम से और गुमनाम से थे इस लिये इन पर

कोई कार्यवाही नहीं की गई । राष्ट्रीय परीक्षणशाला के निदेशक 31 अक्तूबर, 1969 से सेवा से निवृत हो चुके हैं ।

"नेशनल ज्योग्राफिक ग्लोब, 1966" में काश्मीर को स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखाया जाना

1470. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र, पटना में रखे "नेशनल ज्योग्राफिक ग्लोब, 1966" नामक प्रकाशन की ओर दिलाया गया है, जिसमें काश्मीर को स्वतन्त्र इकाई के रूप में दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र को अमरीका द्वारा संचालित केन्द्रों और अमरीकी सूचना सेवा पुस्तकालय में रखी गई इस प्रकार की पुस्तक और प्रकाशनों को, जिन में गलत नक्शे दिखाये गये हैं, हटाने के लिए कहा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस मामले को नई दिल्ली में अमरीकी सूचना सेवा के साथ उठाया गया था । सरकार को सूचित किया गया है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो कि अमरीकी सरकार का आधिकारिक अभिकरण नहीं हैं—द्वारा तैयार किया गया संसार का यह ग्लोब जुलाई, 1969 में ही हटा दिया गया है ।

पटसन के माल के मूल्य में गिरावट

1471. **श्री वि० प्र० मण्डल** :

श्री वेद व्रत वरुआ :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के मूल्य में बहुत गिरावट आई है जिससे उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और इसी प्रकार भावी उत्पादन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा भविष्य में उनको भारी हानि होने से बचाने के लिये इस समस्या पर विचार करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय पर निर्यात शुल्क कम करना

1472. **श्री रा० की० अमीन** : **श्री कृ० मा० कौशिक** :

श्री चं० चुं० देसाई : **श्री चन्द्र शेखर सिंह** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह ने हाल में सरकार से अनुरोध किया

है श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीका से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पुन: लाने के लिए चाय उद्योग को निर्यात शुल्क की तत्काल छूट दी जाये ;

(ख) क्या श्री मनुभाई शाह द्वारा कुछ समय पहले दिये गये तर्क के समर्थन में विभिन्न पक्षों द्वारा भी यही मांग की गई है ;

(ग) क्या अवमूल्यन के कारण चाय पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के कारण चाय उद्योग से आय में हुई कुल हानि का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ; और

(घ) चाय उद्योग को विश्व बजार में उसका मूल स्थान प्राप्त कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) चाय पर निर्यात तथा उत्पादन शुल्कों में राहत देने के लिए चाय उद्योग द्वारा भी मांग की गई है ।

(ग) चाय पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के कारण राजस्व में कोई हानि नहीं हुई है परन्तु रुपये के अवमूल्यन के उपरान्त चाय की निर्यात शुल्क की दर में समय-समय पर की गई कमी के कारण इस स्रोत से राजस्व में कमी हुई है ।

(घ) निर्यात तथा उत्पादन शुल्कों में पर्याप्त रियायत अक्तूबर, 1968 तथा मार्च, 1969 में पहले ही दे दी गई है । किन्तु स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

चाय के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उपायों पर खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में बातचीत की गई है । मारीशस में हुई चाय निर्यात करने वाले देशों की बैठक में यह तय हो गया है कि 1970 में अनुमानित निर्यातों से 9 करोड़ पौंड चाय वापिस ले ली जायेगी । चाय पर एक परामर्श समिति का गठन किया गया है जिसमें उत्पादन करने वाले तथा आयात करने वाले प्रमुख्य देश हैं ताकि इस विनिश्चय को क्रियान्वित करने तथा मूल्यों में स्थिरता लाने हेतु आवश्यक और उपायों को अध्ययन करने के लिए विनियमन सम्बन्धी उपाय तैयार किये जा सके ।

फिलीपीन के विदेश मन्त्री से वार्ता

1473 **.श्री अदिचन :**

श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलीपीन के विदेश मन्त्री की नई दिल्ली की यात्रा के समय एशिया की सुरक्षा और आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के बारे में विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया था और वार्ता के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) उक्त निर्णयों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). फिलीपीन के विदेश मन्त्री की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, भारत और फिलीपीन के आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने सतत आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता पर बल दिया। भारत सरकार ने फिलीपीन के विदेश मन्त्री को इस बात का आश्वासन दिया कि दक्षिणी पूर्व एशिया और इस क्षेत्र की शान्ति और सुस्थिरता की आवश्यकता के सम्बन्ध में भारत हमेशा रुचि रखेगा।

थुम्बा राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़ा गया "ड्रेगन राकेट"

1474. **श्री अदिचन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100-350 किलोमीटर के बीच वायुमंडलीय स्थिति का पता लगाने के लिए थुम्बा प्रक्षेपण केन्द्र से 21 सितम्बर, 1969 को छोड़ा गया द्विचरणीय "ड्रेगन राकेट" आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में असफल रहा ;

(ख) क्या उक्त असफलता के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां। ड्रेगन राकेट की मैसर्स सूद एविएशन, फ्रांस ने बनाया और सांत्र नास्योनाल देत्यूद स्पातियाल (Centre National D Etudes Spatiales), फ्रांस ने सप्लाई किया था। जैसा कि ऐसी अवस्थाओं में किया जाता है, परीक्षण की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिये थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के निदेशक ने उस स्थाई मानांकन समिति की बैठक बुलाई जिस के सदस्य वे स्वयं तथा परियोजना में काम करने वाले वैज्ञानिक, सांत्र नास्योनाल देत्यूद स्पातियाल, फ्रांस तथा सूद एविएशन, फ्रांस के प्रतिनिधि, एवम् रेंज में काम करने वाले कार्मिक है। समिति की राय के अनुसार यद्यपि राकेट ठीक तरह छोडा गया तथापि छोड़े जाने के 25 सैकिंड बाद वह असामान्य रूप से काम करने लगा जिसके कारण उसमें संलग्न यांत्रिक पद्धति में खराबी पैदा हो गई।

(ग) भारत को इसके परिणामस्वरूप 20,000 रुपये की हानि उठानी पड़ी।

लीबिया में विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध

1475. **श्री पी० सी० अदिचन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबिया की सरकार ने लीबिया में व्यापार कर रहे विदेशी व्यापारियों पर हाल में कोई प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने प्रतिशत लोग भारतीय हैं और उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें अपनी व्यापारी प्रस्तियों सहित वापस बुलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चमड़े पर निर्यात शुल्क

1476. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग ने चमड़े के गिरते हुए निर्यात को दृष्टि में रखते हुए, निर्यात शुल्क आदि में कोई रियायत मांगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रियायत मांगी गई है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). चमड़ा उद्योग कमाये हुए ईस्ट इंडिया तथा कमाये हुए क्रोम चमड़े पर लगने वाले निर्यात शुल्क को हटाने के लिए दबाव डालता रहा है । परन्तु चमड़े के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि को, जो वर्ष 1967-68 में 53.22 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1968-69 में 71.99 करोड़ रुपये तथा अप्रैल-जुलाई, 1968 के 25.03 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1969 की उसी अवधि में 27.85 करोड़ रुपये की राशि की महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए इन प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव नहीं प्रतीत हुआ ।

भारत के लिये निर्यात लक्ष्य सम्बन्धी अध्ययन दल

1477. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के निर्यात लक्ष्य सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) स्वीकृत सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जी हां । अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार करने के लिये कई कार्यकारी दलों का गठन किया गया था । कार्यकारी दलों ने अपनी जांच पूरी कर ली है और सरकार सिफारिशों पर अपने विचारों को नियमत कर रही है। तथापि उल्लेखनीय है कि अध्ययन दल की कुछ सिफारिशें पहले ही सामान्य निर्यात नीति का एक भाग बन चुकी है जिसका इस समय अनुसरण हो रहा है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में पदोन्नतियां

1478. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में, विशेषकर नौसेना में पदोन्नतियां साम्प्रदायिक या क्षेत्रीय आधार पर की जाती हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या गत तीन वर्षों में अधिकारियों के पदों में की गई पदोन्नतियों का एक विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जातीय या क्षेत्रीय विवरणों को निर्दिष्ट करने वाले आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं का भारत में प्रवेश रोकने की कार्यवाही

1479. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने नागा इस समय पाकिस्तान में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) भारत में उनके प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) छिपे नागा अगस्त, 1968 से अपने गिरोह पाकिस्तान भेजने के लिए बराबर कोशिश करते रहे हैं लेकिन वे अभी तक अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके हैं । इस बारे में हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है कि इस समय बहुत से छिपे नागा पाकिस्तान में प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

(ख) सीमाओं पर सुरक्षा सेनाएं बहुत चौकसी रख रही हैं कि सीमा पर गैर-कानूनी आना-जाना न हो सके ।

नानकाना साहिब में नानक की 500वीं जन्म शताब्दी समारोह

1480. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने नानकाना साहिब में नानक के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के लिये प्रबन्ध करने हेतु अग्रिम दल के भेजे जाने के भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई पर सरकार खेद प्रकट करती है, जिसमें उन्होंने इस अवसर पर नानकाना साहिब में अग्रिम दल भेजने की अनुमति नहीं दी है ।

पाकिस्तान के रक्षा व्यय में वृद्धि

1481. **श्री वंश नारायण सिंह :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामसिंह अहीरवाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1969 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान में रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) रूस द्वारा पाकिस्तान को इस वर्ष हथियार सप्लाई किये जाने और पाकिस्तान की सेना, नौसेना, वायु सेना के बारे में सामरिक अध्ययन संस्था के प्रतिवेदन "मिलिट्री बैलेंस" में प्रकाशित किया गया था की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ए) पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायु सेना की शक्ति और विदेशों द्वारा जिसमें रूस भी शामिल है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ; और

(घ) स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2110/69**]

(ग) पाकिस्तान की सशस्त्र सेना संख्या में भारत की सशस्त्र सेना से आधी से अधिक है । जहां तक पाकिस्तान को रूस सहित अन्य देशों द्वारा हथियार दिये जाने का प्रश्न है, 19 नवम्बर 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 67 और अतारांकित प्रश्न संख्या 503, 548 और 550 के उत्तरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(घ) सरकार पाकिस्तानी सेना में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के प्रति जागरूक है और उससे उद्भूत खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

मिग 21 विमानों का निर्माण

1482. **श्री वंश नारायण सिंह :** **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री कंवरलाल गुप्त :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत उन्नत किस्म के मिग-21 विमानों के निर्माण के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ;

(ख) भारत सरकार द्वारा सुपरसानिक बम-वर्षक विमानों के बारे में किये गये अनुरोध के विषय में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है :

(ग) क्या सरकार ने सुपरसानिक बम-वर्षक की सप्लाई के बारे में कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये हैं ; और

(घ) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) वर्तमान कारखानों में मिग-21 विमान के अधिक उन्नत रूप के निर्माण के लिए सोवियत सरकार हमारे अनुरोध पर सहयोग के लिए सहमत हुई है ।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

रूमानिया के राष्ट्रपति से वार्ता

1483. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया के राष्ट्रपति इस वर्ष अक्तूबर में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां तो भारतीय नेताओं और रूमानिया के राष्ट्रपति के बीच किस प्रकार की बातचीत हुई ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किए गए ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल०टी० 2111/69] ।

ब्रिटेन में भारतीयों की कठिनाइयां

1484. **श्री जय सिंह : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आप्रवास सम्बन्धी नियमों को और कड़ा किए जाने और आप्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में भारतीयों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में लगाए गए अनुमान का क्या ब्यौरा है ;

(ग) इस बारे में भारत और ब्रिटेन में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है कि यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में हाल ही में जो नए कानून और नियम बनाए हैं, उनका क्या परिणाम होगा।

अमरीकी हथियारों पर लगी रोक

1485. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित **प्रश्न संख्या 418 के उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष के **दौरान** पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगाई गई रोक को हटाने के विरुद्ध **अमरीकी** अधिकारियों से भारत द्वारा प्रकट किये गए **विरोध** के **बारे में** इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई किन कारणों और परिस्थितियों में **हो रही है ; और**

(ग) इस **बारे** में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). **अमरीकी** सरकार ने हमें सूचित किया है कि भारत और पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से **प्रतिबंध** उठाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया और इस बारे में उनकी नीति अभी विचाराधीन है।

(ग) हथियारों की सप्लाई से **प्रतिबन्ध** उठाने के किसी भी कदम पर हमारे **विचार** क्या होंगे, इस बारे में अमरीकी प्राधिकारियों को बता दिया गया है।

बिड़ला समवाय-समूह के विरुद्ध जांच

1486. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 13, अगस्त, 1969 के तारांकित **प्रश्न संख्या 513 के उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला समवाय समूह के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए मामलों के निपटारे में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : बिड़ला ग्रुप के विभिन्न प्रतिष्ठानों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा न्यायालयों में फाइल किए गए आरोप-पत्रों की वर्तमान स्थिति सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2112/69**]।

भारत द्वारा निर्यातित माल के गुणास्तर पर राजकीय व्यापार निगम के प्रधान का प्रतिवेदन

1487. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री मोठालाल मीना :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय व्यापार निगम के प्रधान ने हाल ही में अपने प्रतिवेदन में बताया है कि विदेशों में भारत को अच्छे गुण प्रकार वाले माल का निर्माता नहीं माना जाता ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या विदेशी क्रेताओं और उपभोक्ताओं की आशा के अनुकूल माल का गुण स्तर सुधारने के लिए इस प्रकार की विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की गई हैं या की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम समीक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष थे, के प्रतिवेदन में एक विवरण दिया गया ।

(ख) तथा (ग). भारत से निर्यात की जाने वाली अनेक मदों के सम्बन्ध में उनके गुण को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा लदान-पूर्व निरीक्षण योजनाओं को शुरू करके पहले ही आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं । अब तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 300 मदें आ चुकी हैं ।

Teaching of Hindi in National Defence Academy, Poona

1488. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the study of Hindi was compulsory in the first year of the three-years course in the National Defence Academy, Poona ;

(b) whether it is also a fact that Hindi has ceased to be compulsory, now, whereas English continues to be compulsory as usual ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Possibility of an attack by Pakistan and China on North-Eastern Borders

1489. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri D. N. Patodia :**
Shri Shrichand Goyal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Acharya Vinoba Bhave has expressed the possibility of an attack on our North-Eastern borders by China and Pakistan, as reported in the paper Sampbhog published from Nagpur ;

(b) if so, whether Government have also tried to ascertain the facts in this regard ;

(c) whether Acharya Vinoba Bhave has described the incidents of vardalism and violence taking place in Bengal and Assam as a prelude to that ; and

(d) if so, whether Government are vigilant in this regard ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). According to Press reports, Acharya Vinoba Bhave had in an article in the 'Samyayog', a weekly published from Wardha, stated that there were possibilities of Chinese and Pakistani invasion on the north-eastern border and that if there were subversive activities in Bengal, Assam would be isolated from the rest of the country.

Government are alive to threats to our borders, and also to possible forms which such threats may assume.

Increase in Pakistan's Military Strength After Acquiring Russian Arms and Tanks

1490. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** **Shri D. N. Patodia :**
Shri Samar Guha :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government aware that the Centre of Strategic Studies, London have released certain estimates, probabilities etc., in regard to the balance of power in the World indicating vast increase in the military might of Pakistan on account of acquisition of Soviet tanks, big and small aircraft and anti-aircraft guns by her ; and

(b) whether Government have drawn the attention of U.S.S.R. authorities to such disturbance in the balance of power ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Government have seen the publication referred to. Attention is invited to the answers given on 19th November 1969, in reply to Starred Question No. 67 and Unstarred Question No. 503.

Talks with Yugoslav President

1491. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had a talk at Belgrade with the President of Yugoslavia on the 17th September, 1969 ;

(b) if so, the salient features thereof ;

(c) whether it is also a fact that he had delivered a letter of the Prime Minister of India to Marshal Tito ;

(d) if so, the contents thereof ; and

(e) the reaction of Marshal Tito and the Government of Yugoslavia thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The talks were of a confidential nature and it is not the practice to disclose the contents.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e). Correspondence of this nature and responses thereto are confidential and it is not the practice to disclose the contents.

Promotions in Army Service Corps

1492. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a Corps known as "Army Service Corps" in the Indian Army which handles supply work ;

(b) whether it is also a fact that there is a trade known as "Store Hand Technical" in this Corps ;

(c) if so, whether it is a fact that the Jawans working in this Trade are not promoted to posts higher than the rank of Naik :

(d) whether it is also a fact that there are such Trades in two or three other Corps also where Jawans have further avenues of promotion ;

(e) if so, the reasons therefor and whether Government propose to open further avenues of promotion for the Jawans of the aforesaid Trade as well ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, unless they are educationally qualified for remustering as Clerks (Store).

(d) and (f). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

मोरक्को तथा जोर्डन से राजदूतों को वापस बुलाना

149 . **श्री रा० बरुआ** : **डा० सुशीला नैयर** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री अब्दुल गनी वार** :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मोराको तथा जोर्डन से अपने राजदूत वापस बुला लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उन देशों को भी अपने राजदूत वापस बुलाने को कहा हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने मोरक्को से अपना राजदूत और जोर्डन से अपना कार्यनायक वापस बुला लिया है ।

(ख) **जी, नहीं** ।

(ग) भारत सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा कि इसके बाद वह भारत से अपने-अपने दूत वापस बुलाने के लिए इन दोनों देशो से भी कहे ।

नारियल जटा उद्योग विकास सम्बन्धी अध्ययन दल

1494. **श्री पी० विश्वम्भरन :**

श्री मंगलायुमाडोम :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस योजना आयोग ने नारियल जटा उद्योग के विकास की योजनाओं पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह दल कब नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या उसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो समय-सीमा कितनी है ; और

(घ) इस दल की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) 22 जुलाई, 1969 को ।

(ग) जी हां, इसके गठन के छः महीने के अन्दर ।

(घ) दो ।

नागालैंड में सामान्य स्थिति

1495. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विरोधी नागाओं की समस्या को हल करने के लिए पिछले तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) चीन तथा पाकिस्तान से कितने विरोधी नागा वापस आये हैं तथा अपना आत्मसमर्पण कर दिया है और उनके द्वारा समर्पित हथियारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नागालैंड में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए जो योजना क्रियान्वित करने का विचार है, उसकी रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राज्य में फिर से सामान्य स्थिति लाने के लिए नागालैंड सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं । इनमें पुलिस चौकियों को मजबूत बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गश्त लगाने का कार्य तेज करना, आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सीमावर्ती गाँवों में ग्राम रक्षक योजना का विस्तार करना और कानून को मानने वाले लोगों में सूचना का प्रसार करना शामिल है । उन छिपे नागाओं की रक्षा करने और उन्हें पुनरावास देने के प्रबंध किए गए हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है । शान्ति बनाए रखने के उपायों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए प्रकट और छिपे नागाओं की बैठकें हुई हैं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) नागालैंड सरकार ने इस क्षेत्र को विकसित करने और स्थिति को सामान्य बनाने के

जो उपाय किए हैं, उनसे लोगों में बहुत विश्वास पैदा हुआ है। सब मिला कर जरूरत इस बात की है कि अनेक नई योजनाओं को लागू करने की अपेक्षा उन वर्तमान नीतियों और योजनाओं की क्रियान्विति का कार्य जारी रखा जाए, जिनका महत्व सिद्ध हो चुका है, हालांकि स्थिति हमेशा पुनरीक्षणाधीन रहती है और जरूरत पड़ने पर नए उपाए निकाले जाते हैं।

भारत का व्यापार सन्तुलन

1496. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन वर्ष 1966-67 में 921.80 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 1968-69 में 500 करोड़ रुपये से कुछ थोड़ा अधिक रह गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में किन-किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया गया है और कितना-कितना और किन-किन वस्तुओं का आयात कम किया गया है और प्रत्येक वस्तु का आयात कितना-कितना कम किया गया है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए देश का व्यापार सन्तुलन समान होने की कब तक सम्भावना है और इस दिशा में क्या प्रयत्न किये जायेंगे ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी के महानिदेशक कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ दी फारेनट्रेड आफ इंडिया नामक प्रकाशन के मार्च, 1967 तथा मार्च, 1969 अंकों में, उपलब्ध है जिनमें क्रमशः वर्षों के लिए कुल निर्यात तथा पुनर्निर्यात के आँकड़े खण्ड 1 तथा कुल आयात के आकड़े खण्ड 2 में दिए गए हैं

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 के प्रारूप में दी गई दीर्घावधि प्रायोजनाओं के अनुसार व्यापार सन्तुलन के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रतिकूल होने की सम्भावना है परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1978-79 में इसके 100 करोड़ रु० तक अनुकूल हो जाने की आशा है। इसके प्रयोजनार्थ आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्द्धन की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे और केवल इससे ही व्यापार सन्तुलन में साम्यावस्था लाने में सहायता मिल सकती है।

वियतनाम समस्या को हल करने के लिए भारत का प्रयास

1497. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की मृत्यु के पश्चात उत्तरी वियतनाम की सेनाओं ने स्थायी युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया था ; और यदि हां, तो सरकार को युद्ध विराम के उल्लंघन की ऐसी कितनी घटनाओं का पता लगा ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के इस शांतिपूर्ण रवैया की ओर भी दिलाया गया है कि वह इस वर्ष नवम्बर से वियतनाम से 40,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुला रहा है ; और

(ग) वियतनाम में ताजा स्थिति तथा अन्य घटनाओं के बारे में सरकार का क्या अनुमान है और सरकार ने पिछले तीन महीनों में वियतनाम में स्थायी शान्ति कायम करने के लिये क्या प्रयास किये हैं और आगे क्या प्रयत्न करने का विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एक दूसरे के खिलाफ एक-दूसरे के पक्ष में उल्लंघन करने की खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं। वियतनाम में इस समय जो दशा है, उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी उल्लंघन विशेष के लिए कौन जिम्मेदार है। सभी उल्लंघनों को गिनाना तो सम्भव नहीं है, लेकिन लड़ाई पहले देश के उत्तर में क्वांग नाम और क्वांग नगाई प्रान्तों में और मेकौंग डेल्टा में "नाई थी" के पास शुरू हुई।

(ख) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं कि अमरीकी सरकार ने नवम्बर 1969 तक अपने 40,000 सैनिक हटा लेने की पेशकश की है।

(ग) शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में निराशाजनक प्रगति हुई है हालांकि वास्तविक लड़ाई का पैमाना पहले से कम प्रतीत होता है। भारत सरकार राजनयिक सूत्रों और दूसरे माध्यमों से संबद्ध पक्षों से संपर्क बनाए हुए हैं और उसने बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुरोध किया है।

भारत से निर्यात

1498. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री दे० कृ० दास चौधरी :**
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां चालू वर्ष के पहले छः महीनों में निर्यात बढ़ा है, वहां दूसरी ओर इस अवधि में विकास की गति योजना आयोग के लक्ष्य से कम है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के पहले छ, महीनों की तुलना में इस वर्ष निर्यात कितना बढ़ा है और विकास आशा से कितना कम हुआ है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये, कि समूचे चालू वर्ष में विकास की गति के सम्बन्ध में योजना आयोग के लक्ष्य को पूरा किया जाये, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) प्रति वर्ष 7 प्रतिशत वृद्धि की लक्ष्य दर की तुलना में अप्रैल, सितम्बर, 1968 की अपेक्षा वर्ष 1969 की उसी अवधि में लगभग 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वर्ष 1968-69 में प्राप्त 13.6 प्रतिशत असाधारण उच्च वृद्धि दर से तुल्य ठहराती है। वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष के निर्यातों की वृद्धि दर में संभावित गिरावट का, यदि कोई हो, परिणाण बताना इस अवस्था में संभव नहीं है।

(ग) चालू वर्ष में निर्यातों की प्रगति दर में ह्रास के मुख्य कारण वर्ष 1969 की अपेक्षा विश्व-व्यापार के रुख का अपेक्षाकृत कम लचीला होना, घरेलू मांग में वृद्धि, स्वदेशी मूल्य स्तर

में वृद्धि, औद्योगिक हड़तालों के फलस्वरूप उत्पादन तथा निर्यातों में हानियां, कतिपय कच्चे माल अन्तर्निवेशों की कमी आदि हैं।

(घ) परिस्थितियों का सामना करने के लिए नीतियां बनाई जा रही है ताकि निर्यातों में ह्रासोन्मुख रुख पर काबू पाया जा सके ;

कच्चे माल के आयात तथा निर्यात का राष्ट्रीयकरण

1499. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने आयात एवं निर्यात के, विशेषकर कच्चे माल के आयात के प्रस्तावित आंशिक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अपने विचार सरकार को भेजे हैं :

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी निश्चित टिप्पणियां क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव में क्या परिवर्तन किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). 27 तथा 28 सितम्बर, 1969 को हुई व्यापार सलाहकार परिषद् की बैठक में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने यह शंका व्यक्त की थी कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम कच्चे माल का कुशलतापूर्वक आयात नहीं कर सकेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये सरकारी अभीकरण उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कुशलता के साथ अनेक प्रकार के कच्चे माल का अन्य खरीदारों के साथ प्रतियोगिता में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से आयात कर रहे हैं और उनका उचित एवं न्यायसंगत मूल्यों पर संभरण करने में समर्थ रहे हैं, अतः इन अभिकरणों के माध्यम से कच्चे माल का आयात करने की प्रक्रिया को त्वरित करने का विचार है।

डमडम हवाई अड्डे पर रूसी सैनिक विमान

1500. **श्री समर गुह :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 अक्तूबर, 1969 को डम डम हवाई अड्डे पर कई रूसी सैनिक विमान उतरे थे ;

(ख) यदि हां, तो इन रूसी सैनिक विमानों के वहां उतरने का क्या प्रयोजन था ;

(ग) क्या ऐसे रूसी सैनिक विमानों का उपयोग उत्तरी वियतनाम को हथियार, गोला बारूद और अन्य सैनिक सामग्री ले जाने के लिए किया जाता है और क्या सरकार ने रूसी विमानों को वियतनाम को सैनिक सामग्री की सप्लाई करने जाते समय अथवा वहाँ से लौटते समय भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने आदि की सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो रूसी सैनिक विमानों को डमडम हवाई अड्डे का कई बार प्रयोग क्यों करने दिया गया ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता का विकास

1501. **श्री समर गुह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब प्रधान मन्त्री पिछली बार कलकत्ता गई थीं तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता की समस्याओं पर विशेष ध्यान देगी और क्या उन्होंने कलकत्ता की विकास सम्बन्धी समस्याओं को देश की राष्ट्रीय समस्या की संज्ञा दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों को दिये आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या का कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख), यद्यपि यह कोई ऐसा मौका नहीं था जिस पर प्रधान मन्त्री किसी प्रकार का आश्वासन देतीं, फिर भी उन्होंने कलकत्ता शहर की विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की और इन समस्याओं के लिए शीघ्र तथा पर्याप्त समाधानों को ढूंढने के लिए समस्त देश के महत्व में अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त की। उस सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार जो विशेष सहायता पहले से ही प्रदान कर रही है उसका भी प्रधान मन्त्री ने उल्लेख किया।

पांचवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के फलस्वरूप, चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय, केन्द्र तथा राज्य सरकार के लिए संसाधनों की पुन. जांच की जायेगी और राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव दिए हैं उन्हें ध्यान में रखा जायेगा।

जनरल चौधरी द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रतिरक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन

1502. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, जनरल चौधरी को, जो इस समय कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हैं, अपनी राजनयिक कार्यावधि के बाद कनाडा में मैक गिल विश्वविद्यालय में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या जनरल चौधरी उपरोक्त विश्वविद्यालय की ओर से दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं तथा विकाशील समाज में प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जनरल चौधरी की सेवायें ऐसे अध्ययन के लिए, जो हमारे देश के लिए कहीं अधिक महत्व की हैं, प्राप्त करने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ। जनरल चौधरी ने 2-8-1969 (अपराह्न) को भारत के उच्चायुक्त, ओटावा के पद का कार्यभार सौंप दिया।

(ख) जनरल चौधरी के अनुसार मैकगिल विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के विकासोन्मुख क्षेत्र अध्ययन केन्द्र में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होगी । उनका एक काम यह भी होगा कि वे विकासोन्मुख राज्यों में सैनिकों की भूमिका के संबंध में अध्ययन करेंगे और वे अफ्रीका में कुछ चुने हुए राज्यों से यह काम शुरू करेंगे ।

(ग) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

युगोस्लाविया द्वारा पाकिस्तान को विमानों की बिक्री

1503. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया सरकार ने पाकिस्तान को सैनिक उपयोगिता वाले विमान बेचने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने युगोस्लाविया सरकार से ऐसा न करने का अनुरोध किया था ;

(ग) क्या युगोस्लाविया सरकार ने इस सौदे को रद्द करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो हमारे हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). जहां तक हमें मालूम है, युगोस्लाविया ने पाकिस्तान को कोई सैनिक विमान नहीं बेचे हैं ।

Report of Study Team for Trade with Poland

1504. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had sent a Study Team to Poland to explore the possibilities of trade with that country ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid team has stated in its report that goods of small scale engineering industries in India can find an extensive market in that country ;

(c) if so, the steps taken by Government in the country and with the cooperation of Government of Poland in this direction with a view to expanding the trade of the country with Poland ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Presumably the Hon'ble Member is referring to a Study Team which visited Poland from 12th June to 4th July, 1969 sponsored by the Indo-Polish Chamber of Commerce and Industry. This Team indentified possibilities for the export from India to Poland of goods such as auto-ancillaries, castings and forgings, abrasives, small and hand tools, sanitary fittings, etc. These items have been taken into account while formulating the list of goods to be exchanged between the two countries.

रक्षा के लिये "रोलिंग फाइव ईयर प्लैन"

1505. **श्री सीताराम केसरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की रक्षा के लिये "रोलिंग फाइव ईयर प्लैन" नाम की एक योजना जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उससे क्या लाभ होंगे ?

प्रतिरक्षा इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, यह योजना 1-4-1969 से लागू है ।

(ख) योजना इस संकल्पना पर आधारित है कि एक 5 वर्षीय योजना बनाने के बजाय अब योजना को एक लगातार प्रक्रिया को स्वयं दिया जाये, "आवृति योजना" प्रत्येक पूरित वर्ष को निकाल कर तथा एक और वर्ष को जोडकर तैयार की जायेगी । रक्षा योजना 10 साल की सैनिक आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जायेगी । किसी भी निश्चित समय पर सेनाओं के समक्ष एक पंचवर्षीय योजना अपने पूरे फंड के साथ तैयार रहनी चाहिये । 30 अप्रैल 1969 को लोक सभा के अतरांकित प्रश्न संख्या 8189 के उत्तर में 1969-74 की योजना के कुछ ब्यौरे दिये जा चुके हैं ।

(ग) इस नये दृष्टिकोण से हथियारों के देशी डिजाइन तैयार करने, उनका विकास तथा उत्पादन करने की दिशा में और अधिक प्रभावशाली प्रयास किये जाने में सहायता मिलेगी । इससे सेनाओं को भी खतरों की लगातार जायजा लेते रहने में सहायता मिलेगी और तदानुसार उपलब्ध साधनों से योजना को परिवर्तित तथा परिवर्धित करने के अधिकाधिक लाभ हो सकेगा । इससे सेनाओं को रक्षा व्यय में मितव्ययिता लाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और उससे अधिक प्राथमिकता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी ।

Self-sufficiency in Uranium Fuel

1506. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the time by which India would be self-sufficient in uranium fuel and its import would be stopped ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : Except for half the initial fuel requirements of the first unit o the Rajasthan Atomic Power Station which has been imported from Canada, all the fuel requirements of natural uranium reactors in India will be fabricated indigenously utilising uranium obtained from sources in India.

The Tarapur Atomic Power Station however uses enriched uranium as fuel. The initial requirements of fuel for this Station were imported from U. S. A. The first replacement of fuel required by this Station will also be imported. While the enriched uranium required for the second and subsequent replacements will be imported, this material will be processed and fabricated into fuel elements indigenously.

Residential Quarters for Military Personnel in Ladakh

1507. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangements to provide residential quarters to the military jawans and officers posted in Ladakh in order to keep their families with them ; and

(b) if not, the time by which Government propose to make such arrangements ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir. Ladakh is an operational area where married accommodation is not authorised to military personnel.

(b) Does not arise.

Release of Kumari Shanti Naidu and Other Persons of Indian Origin Arrested by South African Government

1508. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2480 on the 6th August, 1969 and state :

(a) whether such persons of Indian origin, Kumari Shanti Naidu in particular, as were arrested by the Government of South Africa, have since been released ;

(b) the number of persons released from jail so far and the number of persons still in jail and the number of persons under prosecution ; and

(c) whether some more arrests have been made there after July, 1969 and if so, the number of arrests made ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). As far as Government are aware no persons of Indian origin taken into custody by the Government of South Africa earlier this year under the Terrorism Act, including Kumari Shanti Naidu, have been released. The exact number of persons in jail is not available, but it is believed that 12 to 15 persons are serving gaol sentences for alleged offences under the Terrorism Act. Apart from this approximately 40 persons have been placed under detention between January and July this year of whom 22 have so far been charged and are awaiting trial.

(c) Information as to whether the South African Government have made more arrests under the Terrorism Act since July 1969 is unfortunately not available.

चैकोस्लोवाकिया के मामले को हल करने के लिये भारत का प्रयास

1509. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 20 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4148 के उत्तर तथा 8 अप्रैल, 1969 को दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 अगस्त, 1969 को लोकसभा में प्रधान मंत्री द्वारा भारत की नीति स्पष्ट किये जाने के बाद आन्तरिक मामलों में रूस के हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष करने में चेकोस्लोवाकिया के प्रति सहानुभूति प्रकट करने तथा उसे संपूर्ण समर्थन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या भारत रूस और चेकोस्लोवाकिया के साथ —दोनों देश संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न हैं — सम्पर्क स्थापित कर रहा है ;

(ख) क्या रूस के प्रधान मंत्री के साथ काश्मीर के विषय में इस वर्ष अनेक बार हुई बैठकों में उनकी इस बारे में बातचीत हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों के साथ हमारे जो प्रगाढ़ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है, उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार आपसी हित के मामलों पर उनके साथ हमेशा सम्पर्क बनाये हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्य सम्भवतः इस बात से अवगत होंगे कि इन दोनों प्रभुत्व सम्पन्न सरकारों के बीच पिछले महीने सहयोग के लिये उनके आपसी सम्बन्धों को नियमित करते हुए कुछ समझौते हुए हैं ।

(ख) से (घ). ये विचार विमर्श गोपनीय प्रकृति के हैं और इस प्रकार की बातचीत बताने की प्रथा नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति

1510. **श्री लतीफत अली खां** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार निगम को जुलाई और अक्तूबर, 1969 के बीच की अवधि की साप्ताहिक विवरणी से पता चलता है कि निगम तथा उसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में व्यापार में कमी आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापार तथा आधुनिक सामान के निर्यात में सुधार न कर सकने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख), निर्यातों तथा आयातों के लक्ष्य राज्य व्यापार निगम द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित किये गये हैं, जिसमें निर्यातों तथा आयातों दोनों के मामलों में मौसम सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए साप्ताहिक विवरणियां निगम की पूर्ण सफलताओं का संकेत नहीं देती चालू वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्यातों तथा आयातों में वृद्धि करने के लिए निगम द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

तिब्बत में चीनी परमाणु संयंत्र

1511. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
श्री जे० के० चौधरी : **श्री शशि भूषण** :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अपने परमाणु संयंत्रों का नया मुख्यालय तिब्बत में स्थापित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को इस बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तानी सरकार द्वारा पाक अधिकृत काश्मीर प्रशासन को अधिकार में लेना

1512. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रावलपिंडी द्वारा पाक-अधिकृत काश्मीर के प्रशासन को सीधे अपने अधिकार में लेने के वैधानिक प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को कोई औपचारिक विरोध पत्र भेजा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर निरन्तर ही पाकिस्तान के गैर-कानूनी फौजी कब्जे में रहा है और यह स्थिति अब भी बनी हुई है । हाल ही में एक नया कठपुतली तथाकथित राष्ट्रपति बनाया गया था और पुराने को हटाया गया था । हम इस तरह के गैर-कानूनी उपायों पर ध्यान नहीं देते ।

Use of Hindi in Offices Under Charge of the Prime Minister

1513. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of offices subordinate to the Ministries/Departments under her control and of the autonomous bodies in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra alongwith the names of the places where they are situated ;

(b) the number out of them in which the entire work is carried on in Hindi and the time by which Government propose to start work in Hindi in the remaining offices ;

(c) the time by which the Ministries/Departments under her charge propose to start entire correspondence with these offices in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Hindi typist and one Translator in each of the offices under her and those of the autonomous bodies under her control in the States mentioned in part (a) so that the work could be started in Hindi ; and

(e) if not, the manner in which Hindi work is likely to be disposed of ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (e). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

चीन द्वारा प्रशिक्षित नागाओं का भारत में सीमा-प्रवेश

1514. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त-सितम्बर 1969 के दौरान चीन द्वारा प्रशिक्षित 500 से अधिक विद्रोही नागाओं ने अपर बर्मा से उखरूल सब-डिवीजन से होकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रविष्ट हुए नागाओं की अनुमानित संख्या कितनी तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार यह जानती है कि छिपे नागा लोग भारत-बर्मा सीमा के नजदीक घूम रहे हैं और भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अगस्त-सितम्बर 1969 के दौरान किसी भी संगठित नागादल ने भारतीय प्रदेश में प्रवेश नहीं किया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयुध कारखानों द्वारा टैंकों का निर्माण

1515. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आयुध कारखानों द्वारा निर्मित भारी टैंक अपेक्षित मांग तथा स्तर के अनुरूप नहीं है ;

(ख) क्या सशस्त्र सेना द्वारा भारी टैंकों की मांग देखते हुए किसी आयुध कारखाने को अपेक्षित स्तर तक आधुनिक उपकरणों सुसज्जित करने तथा उसका विस्तार करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मध्यम दर्जे के देशी टैंकों का निर्माण शुरू हो गया है । यह टैंक अपेक्षित स्तर के हैं और संसार में अन्यत्र इसी किस्म के टैंकों के समान हैं । इनका उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आशा है कि अपेक्षित जरूरतें पूरी हो जाएगी ।

(ख) इस समय भारी टैंकों के देशी उपकरणों से बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत तथा काश्मीर में अल-फतह के केन्द्र

1516. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की यात्रा करने वाले 'अल-फतह' के तीन सदस्यों के क्या नाम है तथा अरब के इन तीन उग्र क्रान्तिकारियों को भारत आने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि 'अल-फतह' के इन तीन सदस्यों का विचार भारत तथा काश्मीर में अपने केन्द्र स्थापित करने का है ताकि काश्मीरी मुसलमानों की भारत के विरुद्ध संघर्ष में सहायता हो सके ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 'अल-फतह' को भारत में अपना "सूचना कार्यालय" खोलने की अनुमति दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके वास्तविक कारण क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्री मोहम्मद अबू मिजार, श्री मोउनिर अबल और कुमारी गिहानी एल हेलू प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे। अफ्रीकी एशियाई एकता की भारतीय संस्था के निमंत्रण पर, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, इस प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की यात्रा की।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को वहां से निकल जाने के नोटिस

1517. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान में मीरपुर खास के जिले के 30 हिन्दू भूमिपतियों को "अवैध कब्जेदार" घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा गया है कि उन्हें पाकिस्तान से क्यों न तुरन्त निष्कासित कर दिया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार के नोटिस हैदराबाद तथा सक्कर के हिन्दू-निकासियों के नाम जारी किये गये हैं ताकि उन्हें पाकिस्तान से निकाला जा सके ; और

(ग) पश्चिम पाकिस्तान में ऐसे कितने हिन्दू हैं जिनके ऊपर पश्चिम पाकिस्तान छोड़ने का निरन्तर दबाव डाला जा रहा है तथा उनकी सहायता करने के लिये हमारी सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है।

(ग) सरकार पाकिस्तान में हिन्दुओं की दुखद स्थिति से अवगत है और उन्होंने बार-बार अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति उनकी सरकार के दायित्व का स्मरण कराया है। पाकिस्तान की 1961 की जनगणना के अनुसार, पश्चिम पाकिस्तान में 621,805 हिन्दू थे। आज जो हिन्दू वहां रह रहे हैं उनकी सही संख्या मालूम नहीं है।

सूती कपड़े का उत्पादन

1518. श्री एस० आर० दामानी : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की भीतरी मांग को पूरा करने तथा निर्यात के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि सूती कपड़े तथा सूती धागे के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) संगठित क्षेत्र, शक्ति चालित करघों तथा हथकरघों के लिये कितनी-कितनी मात्रा नियत की गई है ; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के उद्देश्य से नये कारखानों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (1973-74) तक सूती कपड़े (सम्मिश्रण सहित) के उत्पादन का लक्ष्य 93.50 करोड़ मीटर वार्षिक निर्धारित किया गया है । इस में से 85.50 करोड़ मीटर आंतरिक खपत तथा 80 करोड़ मीटर सभी प्रकार की निर्यातों के लिये है । सूत के उत्पादन का लक्ष्य लगभग 11.50 करोड़ किलो ग्राम का है ।

(ख) संगठित क्षेत्र शक्ति चालित करघे तथा हथकरघा क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक अभी तक कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है । किन्तु, विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

(ग) लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता के संदर्भ में नये एककों को लाइसेंन्स न देने की विद्यमान सरकारी नीति की समीक्षा की जा रही है ।

छोटे कस्बों में बन्द कपड़ा मिलें

1519. श्री एस० आर० दामानी : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख से ढाई लाख की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में बन्द कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं ;

(ग) मिलों को पुनः खोलने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कितनी मिलों को बन्द करना उचित समझा गया है तथा उस मामले में इससे प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) पांच ।

(ख) इन मिलों के उपस्थिति-रजिस्टर में 4131 कर्मचारी थे ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक मिल की जांच हो चुकी

है और इसके प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। बाकी मिलों के मामलों पर सम्बद्ध सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा नियंत्रित मदों का निर्यात तथा आयात

1520. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों की सूची क्या है जो कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात अथवा आयात के लिये केवल राज्य व्यापार निगम तथा खनिज व धातु व्यापार निगम के द्वारा भेजी जाती रही है ;

(ख) क्या सभी मामलों में ये सौदे बिना किसी अन्य विचार के केवल सर्वाधिक अपेक्षित शर्तों पर किये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक लेन-देन में इन संस्थानों द्वारा कितने प्रतिशत लाभ उठाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2113/69]

(ख) जी हां।

(ग) विगत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उपार्जित कुल निबल लाभ निम्नलिखित है :

वर्ष	राज्य व्यापार निगम (करोड़ रु० में)	खनिज तथा धातु व्यापार निगम (करोड़ रु० में)
1966-67	0.9	4.70
1967-68	2.3	1.26
1968-69	4.00	अभी उपलब्ध नहीं है।

सौदेवार लाभ बताना इन निगमों के व्यावसायिक हित में नहीं है।

वियतकांग के साथ अधिक निकट के सम्बन्ध

1521. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री दमदम में प्रेस प्रतिनिधियों से हुई अपनी भेंट-वार्ता, जो कि दिनांक 9 सितम्बर, 1969 को कलकत्ता के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में कहा गया था कि भारत दक्षिण वियतनाम में नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट द्वारा स्थापित अस्थायी क्रान्तिवादी सरकार से निकट सम्बन्ध स्थापित करना चाहेगा, के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में अपनी नीति निर्धारित कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख). दक्षिण वियतनाम में राष्ट्रीय मुक्त मोर्चा द्वारा बनाई गई अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार वियतनाम की राजनीतिक स्थिति का महत्वपूर्ण अंग है। भारत के लिए जिसकी वियतनाम में विशेष जिम्मेदारियां हैं यही लाभदायक होगा कि इन सभी अंगों से जिन में अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार भी शामिल है निकट सम्पर्क बनाये रखे।

कोहिमा में विद्रोही नागा नेताओं से प्रधान मन्त्री की बात-चीत

1522. **श्री चपलकांत भट्टाचार्य** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि-गत विद्रोही नागा नेताओं ने कोहिमा में उनसे भेंट की थी तथा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस बात-चीत और ज्ञापन पत्र का ब्यौरा क्या है।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). छिपे नागाओं के संगठन में फिजो-विरोधी वर्ग के नेता, श्री स्कातो स्व् 25 सितम्बर, 1969 को कोहिमा में प्रधान मंत्री से मिले थे और प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने राजनीतिक बात-चीत पुनः शुरू करने के लिए अपील की थी।

यह बातचीत फिर शुरू करने के प्रश्न पर सरकार पहले कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। नागा समस्या का समाधान 1960 में हो चुका है और छिपे नागाओं के साथ कोई और बातचीत करने का सरकार का इरादा नहीं है। लेकिन, भारतीय नागरिक के रूप में प्रत्येक नागा नागालैंड की बेहतरी के लिए नागालैंड के राज्यपाल अथवा नागालैंड की सरकार को सुझाव दे सकता है।

एक सैनिक अधिकारी का श्री जैड० ए० फिजो की पुत्री के साथ विवाह

1523. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कप्तान सोमप्रसाद आनन्द ने छिपे नागा नेता श्री जैड० ए० फिजो की पुत्री श्रीमती टुट्टू रायसिनों के साथ विवाह कर लिया है ;

(ख) क्या इस विवाह के लिये सरकार की अनुमति ली गई थी ;

(ग) विवाह गुप्त रूप से तथा पंजाब में करना क्यों जरूरी समझा गया ; और

(घ) क्या नागा लड़कियों के साथ भारतीय सैनिकों के विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है अथवा उसकी अनुमति दी जाती है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, किन्तु वह भारतीय नागरिक है।

(ख) से (घ). जब कोई सेना कार्मिक किसी भारतीय नागरिक से शादी करना चाहता हो तो उसे सरकार से इजाजत लेने या सरकार द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Power to Issue Visa by Indian Consulate in German Democratic Republic

1524. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to to state :

(a) whether Government propose empower the Indian Consulate to issue visa in German Democratic Republic in the near future ;

(b) the number of Indian students getting education in German Democratic Republic at present ; and

(c) the time by which Government propose to empower Indian Consulate office in Germany to issue visa so as to enable students and other people of Germany to come to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External affairs (Shri Surendra Pal-Singh) : (a) and (c). There is no Indian Consulate in the German Democratic Republic today. Visa work arising in the German Democratic Republic is usually attended to by the Visa Section of Indian Embassy, Prague. Plans for improvement of this arrangement are under consideration.

(b) Forty-five.

Incitement to Anti-National Elements by Israeli Representatives

1525. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the information that Government have in regard to the encouragement extended to the anti-national elements in India in creating vicious political atmosphere by the Israeli representatives in connection with the participation of India in the Rabat Conference and their reaction thereto ; and

(b) the details of action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):
(a) Government have no information.

(b) Does not arise.

Prices of Shoe Manufactured by Bata Shoe Co. for Export

1526. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the shoe which is sold at Rs. 45/- per pair in India by the Bata Shoe Co. is on its export sold at double the price at the shops of this Company in foreign countries ;

(b) whether it is also a fact that a pair of shoes sent to shop of this Company in foreign countries is exported at half the price at which that is sold in shops located here ;

(c) whether Government have made efforts to investigate into this new method of transferring Indian money to foreign countries ; and

(d) if so, with what results ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Export prices of items exported from India are usually lower than the prices at which these are sold in the country.

(c) and (d). Do not arise.

नागाओं को चीनी हथियारों की प्राप्ति को रोकने के लिए कार्यवाही

1527. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अब भी नागाओं को हथियार तथा गोला बारूद आदि देकर विद्रोही नागाओं की सहयता कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो हथियारों की इस प्राप्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) गत मार्च में चीनी गोला-बारूद तथा हथियारों के साथ मोवू अंगामी और आइजक स्व् के नेतृत्व में इन गिरोहों के भारत में घुस आने के बाद, छिपे नागाओं को चीन से हथियार और गोला-बारूद की कोई और नई खोज मिलने की कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन चीनी प्रचार तंत्र छिपे नागाओं को निरन्तर ही सरकार के खिलाफ उकसाते रहे हैं।

(ख) इस इलाके में सुरक्षा सेनाएं और आसूचना अभिकरण (इन्टेलीजैन्स एजेन्सीज) सीमा पार से हथियार अथवा गोला-बारूद लाने के प्रत्येक प्रयास को विफल करने के लिए सजग हैं।

नागा विद्रोहियों को पाकिस्तानी सहायता रोकने के उपाय

1528. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए नागा विद्रोहियों की शस्त्रास्त्रों से अब भी सहायता कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही को रोकने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। पाकिस्तान अब भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी सुरक्षा सेनायें सजग रही है और उन्होंने अगस्त, 1968 से हथियार और प्रशिक्षण लेने के लिए गिरोह पाकिस्तान भेजने की बार-बार की गई उनकी कोशिशें नाकामयाब कर दी हैं।

Concentration of Pakistani and Chinese Forces on Indian Borders

1529. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is concentration of Pakistani and Chinese Forces on the Indo-Pak and Indo-Chinese borders respectively ;

(b) if so, the estimated strength thereof ;

(c) the other details in regard thereto ; and

(d) the steps taken by Government to meet any future danger ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). China has been deploying about 1,30,000 to 1,50,000 troops in Tibet. Pakistan has 12 Infantry Divisions and 2 armoured divisions besides a large number of para military and irregular forces which have been deployed on different roles against India. The Pakistani and Chinese troops deployed across our border continue to remain in strength and no significant change in this position has been noticed recently. Our state of defence preparedness takes into account the threats which confront the country.

भारतीय बन्दरगाहों में रूस के जंगी जहाजों का आना

1530. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1969 में रूस के कुछ जंगी जहाज भारतीय बन्दरगाहों और नौसैनिक अड्डों पर आये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस हिन्द महासागर में घुसपैठ करने का प्रयत्न कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हिन्द महासागर में रूस तथा कुछ अन्य देशों के जहाज चल रहे हैं । यद्यपि सरकार चाहती है कि हिन्द महासागर तनाव से मुक्त रहे, लेकिन हम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की अवहेलना भी नहीं कर सकते । जिसके अनुसार अन्य देश भी बड़े महासागरों का प्रयोग करने में स्वतन्त्र हैं ।

पिछड़े राज्यों के विकास के बारे में योजना आयोग द्वारा किया गया विश्लेषण

1531. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा किये गये एक विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हो गई है कि सरकारी क्षेत्र में विनियोजन 1951 से पन्द्रह वर्षों में पिछड़े राज्यों के सामान्य औद्योगिक विकास में सहायक नहीं रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान

और जम्मू तथा काश्मीर अब भी पिछड़े हुए ही हैं और वास्तव में कुछ राज्य पहले जैसी स्थिति में भी नहीं रह गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में प्रगति में गिरावट आने के क्या कारण हैं और चौथी योजना अवधि में इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की असफलता के कारणों तथा यह पता लगाने के लिये कोई राज्यवार विश्लेषण किया गया है कि क्या उपर्युक्त राज्यों में सरकारी क्षेत्र में विनियोजन पूर्व सोच विचार के बाद नहीं किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखने का है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जी, नहीं । वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना से इन राज्यों के औद्योगिक विकास में योगदान मिला है ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में इन सभी राज्यों में अधिक उद्योग स्थापित किये गये हैं लेकिन कुछ राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति की है ।

(ग) अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की मुख्य मंत्रियों की समिति ने सितम्बर, 1969 में कुछ निर्णय किये हैं, जो इस प्रकार है :—

(1) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा आकर्षित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को एक उदार ऋण नीति अपनानी चाहिए तथा प्रोत्साहन योजनायें बनानी चाहियें । चुने हुए पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रियायतें और प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए ।

(2) योजना आयोग वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों के परामर्श से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के चयन के लिये अपनाये जाने की नीति सम्बंधी कसौटी का निर्णय करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गये 9 राज्यों (अर्थात आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में से प्रत्येक में दो दो चुने हुए जिलों में तथा अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक जिले में 50 लाख रुपये तक की कुल अचल पूंजी विनियोजन वाले दो उद्योगों के अचल पूंजी विनियोजन के 1/10 भाग तक का सीधा अनुदान अथवा राज्य सहायता दे सकती है । 50 लाख रुपये से अधिक अचल पूंजी विनियोजन वाले नये उद्योगों की योजनाओं और परियोजनाओं पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए । योजना आयोग यह निर्धारित करे कि एक जिले की इकाई क्या होनी चाहिए ।

(घ) और (ङ) यह अन्तर्निहित विचार ठीक नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में बिनापूर्व सोच-विचार के विनियोजन किया गया ।

भारतीय आप्रवासियों और ढाका निवासियों के बीच मुठभेड़

1532. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री समर गुह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 नवम्बर, 1969 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार ढाका में स्थानीय बंगालियों और भारतीय आप्रवासियों के बीच भारी झगड़ा हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने मुठभेड़ होने के कारणों का पता लगा लिया है तथा अन्य ब्यौरा प्राप्त कर लिया है ; और

(ग) कितनी जानों, विशेषकर भारतीय मूल के लोगों की जानों का नुकसान हुआ है, तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). समाचारों के अनुसार नवम्बर, 1969 के पहले सप्ताह में ढाका जिले के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के दो वर्गों में यानी बंगाली मुसलमानों और गैर-बंगाली मुसलमानों में झगड़े हो गए थे । इस झगड़े की वजह यह भी थी कि गैर बंगाली मुसलमानों ने यह मांग की थी कि मतदाताओं के फार्म और मतदाता-सूचियां बंगाली के अतिरिक्त उर्दू में भी छपनी चाहिए। पाकिस्तानी समाचार-पत्रों के अनुसार इन झगड़ों में 10 व्यक्ति मारे गए और 43 घायल हो गए जिनमें 40 पुलिस के सिपाही भी शामिल हैं । इसकी लपेट में कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं आया ।

पाकिस्तान की सशस्त्र सेना में वृद्धि

1533. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती करनी आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या पाकिस्तान की सशस्त्र सेना बढ़ जाने से पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारी सीमाओं पर सशस्त्र घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान के समाचार पत्रों में पाकिस्तान की सशस्त्र सेना में काफी बड़ी संख्या में इंजीनियरों, डाक्टरों तथा कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं । भर्ती के लिए आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है ।

(ख) तथा (ग). पाकिस्तान की गतिविधियों के तौर-तरीकों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमा पर लगातार चौकस रहती हैं ।

अमरीका द्वारा राडार उपकरण की सप्लाई

1535. **श्री देवेन सेन :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने देश में राडार व्यवस्था की स्थापना हेतु अमरीका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इंडियन एटोमिक इनर्जी एस्टैब्लिशमेंट तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स जैसी भारतीय कम्पनियों को इस काम को करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) सम्पूर्ण देश के लिए पर्याप्त राडार व्यवस्था करने पर कुल कितनी लागत लगेगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सीमित राडार व्यवस्था करने की पेशकश सम्बन्धी उनके स्पष्ट पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मूल्यांकन समिति उन पर विचार कर रही है । तीनों ही प्रस्तावों में विदेशी फर्मों से सहयोग करने तथा कुछ देशी साधनों से उत्पादन की व्यवस्था करने का काम अन्तर्निहित है ।

(ग) 200 करोड़ रुपये से अधिक ।

सेना के कपड़ा आदि तैयार करने वाले कारखानों में काम की कमी

1536. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के कपड़ा आदि तैयार करने वाले कारखानों, अर्थात शाहजहांपुर पैराशूट फैक्टरी, कानपुर, गवर्नमेंट हाइनैस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर और क्लोदिंग फैक्टरी, अवाडी में अब भी काम कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण इन कारखानों के स्थान पर विभिन्न ठेकेदारों को काम देना है ; और

(ग) इन कारखानों के लिए पर्याप्त काम की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, और विशेषकर कपड़ों के कारखानों में ।

(ख) जी हां । चूंकि कपड़ों की कमी का अधिकांश भाग 1963 तथा 1964 में पूरा कर लिया गया था, अतः बाद के वर्षों में मांग में काफी कमी रही और परिणामतः कपड़ों के कारखानों में काम घट गया ।

(ग) कपड़ों के कारखानों में सेना के लिए तम्बू, दरियां, चादरें आदि जैसी मदों का निर्माण करके उनके कार्यों की दिशाएं बदली गई । केन्द्रीय सरकार के विभागों से वर्दियों व वस्त्रों

के आर्डर लेकर कपड़ों के कारखानों को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि भारत में बिक्री के लिए तथा निर्यात करने के लिये सिविलियन कपड़े तैयार किये जाएं।

औद्योगिक कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उपार्जित अवकाश का नहीं दिया जाना

1537. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ औद्योगिक कर्मचारियों को, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, इसमें भाग लेने के कारण उपार्जित अवकाश नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें उपार्जित अवकाश लेने की अनुमति देने के लिए इस बीच आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, 19 सितम्बर 1968 से पूर्व की गई सेवाओं के लिये।

(ख) तथा (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

Recommendation made by Administrative Reforms Commission regarding Ceiling on Number of Ministers

1538. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether any recommendation regarding Ceiling on the number of Ministers in the Centre and in the States has been made by the Administrative Reforms Commission ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken thereon ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Administrative Reforms Commission have made some recommendation regarding the size of the Union Cabinet in their Report on "The Machinery of the Government of India and its Procedures of Works." This Report is still under consideration of Government. As regards the number of Ministers in the States, the recommendation made by the Commission in their Report on "State Administration" will be for the State Governments to consider. This Report was presented by the Commission only this month.

Setting up of Jute Mills by Indian in Nepal

1539. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that jute goods and mixed jute goods imported from Nepal into India are very cheap in Nepal because of low taxation in Nepal as compared to India ;

(b) if so, whether traders working in India have shifted their business to Nepal : and

(c) if so, whether any precautions have been taken to see that Indian traders may not face any difficulty

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). Government have no information.

(c) Does not arise.

जापान में गांधी पदकों का विक्रय

1540. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान विश्व शान्ति समिति द्वारा जापान में चांदी, सोने तथा प्लाटिनम के गांधी पदकों के विक्रय से प्राप्त राशि में से कितना भारत को दिया गया है ; और

(ख) उपरोक्त कार्य से भारत में किन सहायता-परियोजनाओं को लाभ होगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). पदक विक्रय का काम चल रहा है और एक वर्ष तक चलता रहेगा। भारत सरकार का ख्याल है कि इसके संयोजकों की यह योजना है कि इस विक्रय से प्राप्त राशि को वे भारतीय सहायता कार्यों के लिए दे देंगे। और विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

लैटिन अमरीकी देशों में संयुक्त उद्यम

1541. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लैटिन अमरीकी देशों में और संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार विदेशों में विनियोजन सम्बन्धी योजनाओं में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). अप्रैल-मई 1969 में एक भारतीय आर्थिक एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने भारत और लैटिन अमरीकी देशों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग के विस्तार की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए इन देशों की यात्रा की। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके प्रतिनिधि मंडल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया)

1542. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कुछ वरिष्ठ सेवा निवृत अधिकारियों ने सेवा निवृत होने के तुरन्त बाद कुछ निर्माता फ़र्मों में जो कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) को सामान सप्लाई करती हैं, नौकरी प्राप्त करली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अधिकारियों के जो सेवा निवृत्त होने से पहले इन फर्मों के सम्पर्क में थे, वास्तविक आचरण की जांच कर ली है और क्या इस बात की जांच कर ली गई है कि उनके कार्यकलाप किस सीमा तक संगठन के हितों के विरुद्ध थे ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की, ताकि उच्च अधिकारी सेवा निवृत के तुरन्त बाद अथवा कम से कम पांच वर्ष तक किसी संभरणकर्ता संगठन में नौकरी न करें, कोई नीति बनाई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) केवल एक ही ऐसा मामला सरकार के ध्यान में आया है और यह मामला एक ऐसे सिविलियन अफसर से सम्बन्धित है जो कि डिपो प्रबन्धक के पद का है। वह 1966 में सेवा निवृत हो चुका है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कि संबंधित अफसर की मदाशयता पर या उसके व्यवहार पर संदेह किया जा सके।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार कर्नल या उसके ऊपर के पद के सैनिक अधिकारी सेवा से निवृत होने की तारीख से दो साल तक बिना सरकार की पूर्व इजाजत के वाणिज्य-रोजगार प्राप्त करने से वंचित कर दिये गए हैं और ये प्रतिबन्ध पर्याप्त समझे गए हैं. चूंकि इस समय विभाग में कर्नल या उससे ऊपर के समकक्ष पद के कोई सिविलियन नहीं है और सिविलियनों के पद गैर-पेंशनी भी हैं, अतः विभाग के सिविलियन अफसरों पर उसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या में कटौती

1543. **श्री एन० किया शिवप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या कम कर दी गई हैं;

(ख) क्या "टीथ टू-टेल' (प्रहार अंग और सहायक अंग) अनुपात के प्राप्त होने के बाद ऐसा किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के अनुभव संबंधी प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत-बल्गेरिया व्यापार

1544. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री एस० आर० बामानी :

क्या **बैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बल्गेरिया ने दोनों देशों के बीच व्यापार को दुगना करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) बल्गेरिया से कौन-कौन सी मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा और भारत का विचार किन-किन वस्तुओं का निर्यात करने का है ; और

(ग) कुल निर्यात और उसका मूल्य कितना होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग). हाल ही में एक बल्गेरियन व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आया। व्यापार वार्ता की समाप्ति पर, 13 अक्तूबर, 1969 को एक व्यापार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें 1970 के दौरान दोनों देशों के बीच 4.4 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की व्यवस्था की गई है। परम्परागत वस्तुओं के अलावा, भारत से बल्गेरिया को निर्यात की प्रमुख मदें ये होंगी : वेल्लित इस्पात उत्पाद, तार रस्सी, तैयार तथा अर्ध-तैयार चमड़ा, गढ़ी तथा ढली हुई वस्तुएं, बुनाई मशीनें टिपर ट्रक तथा अन्य इंजीनियरी माल, औषधियां तथा भेषजें, एल्यूमीनियम की पन्नियां आदि। भारत में बल्गेरिया से आयात की प्रमुख मदें ये होंगी : यूरिया, ट्रेक्टर, औषधियां तथा भेषजें विशेष इस्पात तथा वेल्लित इस्पात उत्पाद, के प्रोलेक्टम तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल, अलौह धातु और मशीनों की विविध मदें। इस व्यापार की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

औद्योगिक कच्चे माल का आयात

1545. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 31 सितम्बर, 1969 तक भारत में कितने तथा किस मूल्य के औद्योगिक कच्चे माल का आयात किया गया था ;

(ख) इसमें से कितना राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पहले ही आयात किया जा रहा है ; और

(ग) उसके अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अप्रैल-जुलाई 1969 की अवधि में आयात किये गये कच्चे माल तथा मध्यवर्ती पदार्थों का मूल्य 17258 लाख रु० था। बाद के महीनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अग्रिम क्षेत्रों में जवानों की उपलब्धियां

1546. **श्री हेमराज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न अग्रिम क्षेत्र में सेवारत जवानों के लिए दिये जा रहे मूल वेतन तथा विभिन्न प्रकार के भत्तों के रूप में मिल रही कुल अन्य उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) अग्रिम क्षेत्रों में सेवा कर रहे सीमा सुरक्षा दल (पुलिस) के जवानों को मिल रहे मूल वेतन तथा अन्य उपलब्धियों की तुलना में ये कैसे हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सूचना रक्षा मंत्रालय को 1968-69 की रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' (133 से 139 पृष्ठ) में दी गई है।

(ख) सामान्यतया सेना के जवानों को मिलने वाले कुल वेतन और उसके साथ राशन

तथा दूसरी रियायतों को मिलाकर उन्हें सीमा सुरक्षा दल (पुलिस)के सैनिकों को मिलने वाली राशन तथा अन्य रियायतों सहित मिलने वाली उपलब्धियों की अपेक्षा अधिक मिलता है।

जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा की सुरक्षा

1547. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल रिजर्व इंजीनीयरिंग फोर्स के कर्मचारियों को एक समझौते के आधार पर तीन वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है और उसके बाद इसका प्रति वर्ष नवीकरण किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस व्यवस्था ने कर्मचारियों में बहुत असंतोष पैदा कर दिया है और वे अपनी सेवा अवधि की असुरक्षा के कारण पूरे मनोयोग से कार्य करने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कुशलता के लिए उनको स्थायी बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). प्रारम्भ में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स का गटन पूरी तरह एक अस्थाई संगठन के रूप में किया गया था। इसके कर्मचारियों की सेवा की अवधि तीन वर्ष रखी गई थी और उसके बाद हर वर्ष उनकी सेवा का नवीकरण किया जाता था। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कर्मचारियों में नौकरी के सुरक्षित बने रहने की भावना उत्पन्न करने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इस फोर्स में स्थाई विभाग बनाया गया है और उनकी सेवा की शर्तों में संशोधन किया गया है। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के अन्य कर्मचारी अब तीन वर्ष की सेवा करने के बाद स्थाईवत् होने के पात्र बन गए हैं।

भारत से ऊनी "होजीयरी" का निर्यात

1548. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा इस वर्ष पहली बार भारत से ऊनी होजियरी का आयात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इससे सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित किये जाने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी नहीं। वर्ष 1968-69 में कनाडा को ऊनी होजरी के माल के कुछ निर्यात हुए थे।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ;

तामिल नाडु में राष्ट्रीय छात्र सेना दल को फिर से चालू करना

1549. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री हेमराज :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडू सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय छात्र सेना दल को फिर से चालू करने के लिए योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : तमिल नाडू में राष्ट्रीय कैडेट कोर को सितम्बर, 1969 में फिर से चालू किया गया है ।

(ख) तामिल नाडू में राष्ट्राय कैडेट कोर को फिर से चालू करने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था स्वीकार की गई है—

(क) (i) कैडेटों की कमांड के अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

(ii) कैडेटों को हिन्दी समानार्थक शब्द भी सिखाये जायेंगे जिससे वे इन दोनों में से किसी भी एक भाषा में की जाने वाली परेड में दक्षता पूर्वक भाग ले सकें ।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर में स्वैच्छिक आधार पर भाग लिया जायेगा ।

Memorandum from M.Ps Re-Israelis charged of Espionage in Arab Countries

1550. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Members of Parliament had presented a memorandum to the Prime Minister requesting the Government to make efforts in the name of humanity so as to save the lives of Israelis who are to be hanged to death on the charge of espionage in Arab countries ; and

(b) the action taken by Prime Minister and the Government of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir ; but it refers to Jews in Iraq and not Israelis.

(b) As this is an internal affair of Iraq, the Government of India do not consider it desirable to take any action in the matter.

Co-operation to Tibetan Revolutionary Youth Question

1551. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the Formusa News Agency, the freedom loving Tibetan youth have started an armed revolt against China for the Independence of Tibet ; and

(b) the steps being taken by Government to extend co-operation in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Government have seen news reports to this effect, but have no direct or authentic information.

(b) The question does not arise.

6 अप पंजाब मेल के सैनिक माल डिब्बों से विस्फोटकों की चोरी

1552. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1969 को रात्रि को हरदा और भुसावल के बीच चलने वाली 6 अप पंजाब मेल के सैनिक माल-डिब्बों के बमों और विस्फोटकों आदि की चोरी की घटना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). 22 अगस्त 1969 की रात को नारदा तथा भुसावल के बीच 6 अप पंजाब मेल में सेना के डिब्बों से बमों या विस्फोटकों की चोरी नहीं हुई, परन्तु 20 अगस्त 1969 को गुलगांव से पठानकोट जाने वाली एक विशेष रेलगाड़ी के एक डिब्बे के एक दरवाजे को भुसावल के पास खिरकिया स्टेशन में 21 अगस्त 1969 को खुला पाया गया था। जांच करने पर पता चला कि नय गोला बारुद का एक पैकेट गायब था। बाद को पुलिस ने इसे खोज निकाला।

(ग) जिन कुछ व्यक्तियों ने चोरी का अपराध स्वीकार कर लिया है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में पख्तूनिस्तान का मामला

1553. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पख्तूनिस्तान का मामला उठाया और इस समस्या को पख्तूनों के आत्म निर्णय के अधिकार के आधार पर हल किये जाने के लिए पाकिस्तान से कहा ; और

(ख) इस मामले का समर्थन करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। आम बहस में अफगानिस्तान ने इस मामले का उल्लेख किया था।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि ने भी इस मामले का उल्लेख महासभा में किया था किसी दूसरे देश ने इसका समर्थन नहीं किया।

एक भारतीय विद्यार्थी की गियाना में ठहरने की प्रार्थना का अस्वीकार किया जाना

1554. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गियाना सरकार ने दिल्ली के एक स्नातक डा० आर० श्रीवास्तव की गांधी शिक्षा संस्थान में एक अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिये 2 वर्ष तक वहां ठहरने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). इस मामले के ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) तथ्य प्राप्त हो जाने पर ही इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

Increase in Per Capita Debt after Independence

1555: **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the progress made in the economic, social and political fields of the country since 15th August, 1947 till date is not to the extent it should have been ;

(b) whether it is also a fact that progress in industrial and agricultural fields is also not upto the expectations ; and

(c) if so, the remedial steps which are proposed to be taken by Government in the matter ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Attention of the Hon'ble Member is invited to review of progress of the developmental efforts since 1950 in : (i) Chapter 1 of the Fourth Five Year Plan—a Draft Outline presented to Parliament in August, 1966 ; and (ii) Chapter 1 of the Fourth Five Year Plan—1969-74—Draft, presented in March, 1969. It is true that what has been achieved is less than what was needed and anticipated. But this should not divert one's attention from the fact that an economy which had for decades prior to adoption of planning being growing at the rate of 1 per cent per annum, has, since 1950-51 been expanding at over thrice that rate.

(c) In formulating the Fourth Five Year Plan (1969-70 to 1973-74) the success and failures so far, the observed continuing trends in the economy and the specific experience in recent years are being kept in view.

भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिये मंडियां

1556. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिये और अधिक मंडियों पर अधिकार करने के लिये एक पंच सूत्री कार्यक्रम क्रियान्विति करने का विचार है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके कब तक लागू किये जाने की सभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) (क) से (ग). अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है । उनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है ।

(2) हस्तशिल्प के नये निर्यात अभिमुख डिजाइनो के विकास तथा युवा शिल्पियो को

प्रशिक्षण देने हेतु देश मे अनेक स्थानों पर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है ।

(3) शिल्पियों को औजार तथा उपकरण देने की योजना चालू है ।

(4) शिल्पियों को एम्पोरियम के माध्यम से कच्चे माल के लिए ऋण सुविधायें दी जाती हैं ।

(5) हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार तथा संवर्धन हेतु भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं ।

(6) विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था की जाती है ।

(7) विदेशों में प्रदर्शन कक्ष तथा दुकानें खोल दी गई हैं ।

(8) भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों से व्यापार सम्बन्धी पूछताछ की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है और उन्हें आवश्यक जानकारी दी जाती है ।

(9) भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जाती है ।

(10) बैंकों द्वारा शिल्पियों को ऋण सुविधायें दी गई हैं ।

उल्लिखित योजनाओं के अतिरिक्त, भारतीय हस्तशिल्प उत्पादनों के लिये अधिक बाजार प्राप्त करने के लिए चालू तथा आगामी वर्षों में निम्नलिखित उपाय किये जाने का विचार है :

(1) पूर्व यूरोपीय देशों में हस्तशिल्प उत्पादों के लिये बाजार सर्वेक्षण करना ;

(2) विदेशी प्रचार हेतु हस्तशिल्प उत्पादों पर रंगीन वृत्त-चित्र तैयार करना तथा प्रदर्शित करना ;

(3) विदेश में अध्ययन-सह-बिक्री दल भेजना ;

(4) वस्त्रालंकरण में प्रशिक्षण देने हेतु शिल्पियों का भेजना ; तथा

(5) व्यापार संविदाएं करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यातकों तथा आयातकों की एक निदेशिका प्रकाशित करना ।

Radio Peace and Progress and Radio Peking Broadcasts

1557. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Sharda Nand :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Radio Moscow, Radio Peace and Progressive and Radio Peking had criticised the different political parties and leaders of India during the Presidential Elections in August, 1969 ;

(b) whether Government regard it as an interference in the internal affairs of India ; and

(c) the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). The information is being collected.

पाकिस्तान द्वारा बांध के काटे जाने से पश्चिम बंगाल मे धान की भूमि का जल मग्न होना

1558. **श्री क० प्र० सिंह देब :** **श्री रा० बरुआ :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू : **डा० सुशीला नायर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में भारतीय सीमा के पार पाकिस्तान द्वारा एक बांध के काटे जाने के कारण बाढ़ के परिणाम स्वरूप 4,000 गांवों पर प्रभाव पड़ा और धान की 1000 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए सरकार से कहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम स्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई है ;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस बारे में बातचीत की है और क्षतिपूर्ति मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में भारतीय सीमा के उस पार पाकिस्तान द्वारा एक बांध काट दिए जाने से बाढ़ के परिणामस्वरूप काफी गांवों पर असर पड़ा ।

(ख) जी हां ।

(ग) क्षति का अनुमान इस प्रकार लगाया लगाया गया है :

धान जिसका मूल्य 22,49 600 रु० है ।

414 घर जिनका मूल्य 820,00 रु० हैं ।

(घ) सरकार ने पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दी है कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों की कार्यवाई के परिणामस्वरूप जो क्षति हुई है, उसकी क्षति पूर्ति के दावे का अधिकार हम सुरक्षित रखते हैं ।

(ङ) पाकिस्तान सरकार से अभी कोई उत्तर नहीं मिला है ।

लैटिन अमरीकी देशों को गये व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन

1559. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल-मई में लैटिन अमरीकी देशों को गये आर्थिक तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां तो भारत के व्यापार के प्रसार और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं के बारे में प्रतिनिधिमण्डल द्वारा किये गये मूल्यांकन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने यदि कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिशों एवं निष्कर्षों का सारांश संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या० टी० 211/4/69**]

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। प्रतिवेदन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

पटसन, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, वर्स्टेड धागा और रेशम मिलों में उत्पादन

1560. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1961, 1966, 1968 और 1969 में पटसन मिलों, सूती कपड़ा मिलों, ऊनी वर्स्टेड धागा मिलों, रद्दी ऊनी सूती मिलों और रेशम मिलों का उत्पादन क्या था ; और

(ख) क्या लक्ष्य पूरे हो गये थे, और यदि हां, तो इन वर्षों में कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू उद्योग को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा की बचत करने सम्बन्धी योजना

1561. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तम्बाकू उद्योग को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा की बचत करने के सम्बन्ध में कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारत

विश्व में तम्बाकू के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में एक है। फिर भी, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार उच्च कोटि के सिगरेटों के उत्पादन के लिए अपेक्षित मिश्रण करने के लिए तम्बाकू के थोड़े परिमाण का आयात भी किया जाता है। तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् ने आयातकों को यह सलाह दी है कि भविष्य में तम्बाकू के आयात की अनुमति भारत में उत्पादित सिगरेटों के निर्यात के ऐवज में दी जाएगी।

	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (रुपयों में)
1966-67	110	23,67,366
1967-68	630	1,32,8 ',229
1968-69	334	44,14,590

इसरायल के साथ बातचीत

1562. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसरायल सरकार उनके मंत्रालय के साथ इसरायल तथा अरब देशों के बीच हाल के मतभेदों के बारे में बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में नौसैनिक अड्डा

1563. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन के नौसैनिक अड्डे का विस्तार कार्य किस अवस्था में है ; और

(ख) क्या केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव आया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कोचीन नेवल ने वेस का विकास योजना के अनुसार हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

रक्षा उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र को सुविधायें

1564. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 के चीनी आक्रमण तथा 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन के लिये सुविधायें तथा प्रोत्साहन देने की पेशकश की जाये जिससे आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके ; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार द्वारा गैर सरकारी क्षेत्रों की संस्थाओं को सुविधायें तथा प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं जिससे कि वे रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भाग ले सकें :

(i) आयात के प्रतिस्थापन कार्य के लिए रक्षा पूर्ति विभाग का अलग से गठन किया गया है ।

(ii) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में नमूना कक्षों को स्थापित किया गया है जहां पर बहुत सी मदों को प्रदर्शित किया गया है । इच्छुक निर्माता इन नमूना कक्षों में आते हैं तथा तकनीकी व्यक्ति उनका पथ प्रदर्शन करते हैं ।

(iii) जिन फर्मों को आदेश दिये जाते हैं उनको नियंत्रित तथा अभावपूर्ण कच्चे माल की प्राप्ति में सहायता दी जाती है ।

(iv) यदि आवश्यकता हुई तो तुलनात्मक उपस्करों को प्राप्त करने के लिए आयात-लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं ।

(v) कच्चे माल तथा पुर्जों को खरीदने के लिए 'लेखा भुगतान' सुविधा प्रदान की जाती है ।

(vi) जहां विकास कार्य पर लागत अधिक हो या जहां खरीदार को बहुत से प्रयोग या परीक्षण विशिष्टियों को प्राप्त करने के लिये करने होते हैं । सरकार उसके लिये खर्च देती है ।

(vii) निर्माता जो किसी मद का विकास करता है उसे पहली साल की आवश्यकताओं का 100%, दूसरी साल की आवश्यकताओं का 80% तथा बाद के सालों की आवश्यकताओं का काफी बड़ा भाग पूरा करने के लिए आदेश दिया जाता है ।

(ख) अब तक लगभग 4 करोड़ रुपयों की मदों के लिये आदेश जा चुके हैं तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुछ बहुत जटिल तथा सूक्ष्म रक्षा मदों के उत्पादन के लिए व्यवस्था की गई है ।

Difficulties Experienced by Villagers of Mehrauli Block due to Firing from Army Training Camp

1565. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the villagers of Fatehpur, Beri and Moonger in Mehrauli Block of the Capital have to face difficulties due to frequent firing of shells and bullets from the Arms Training Camp ;

(b) whether it is also a fact that many persons have been killed and injured as a result of these firings ; and

(c) if so, the action taken by Government to save the residents of this area from the danger of death on this account ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) There is no difficulty in the village Fatehpur Beri due to firing but inhabitants of Moongar and some other villages which are located in the range area have to face some

difficulty as they have to evacuate from their villages for safety when firing takes place.

(b) In the last three years two persons have died and one injured due to shell bursts outside the danger zone. In the same period three persons died and five injured due to their violating the danger zone and entering the prohibited area to collect metal scrap.

(c) According to the existing procedure, the following precautionary measures are taken to prevent accidents and keep people and cattle out of the ranges when firing is in progress :

(i) Advance notice is given through civil authority to clear the villages in the danger area.

(ii) Only when the civil authority certifies that the range is clear, firing is conducted.

(iii) Permanent notice boards are put up to warn people against entering the range when firing is in progress.

(iv) Sentries wit red flags are posted to prevent entry of people and cattle.

(v) A record of unexploded shells is kept and these are searched and destroyed after every day's firing.

Muslims in Rajput Regiment

1566. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the percentage of Muslims recruited in the Rajput Regiment as also the present number of companies of Muslims in the said Regiment ; the number of Muslim Jawans in these companies, who lost their lives during the Chinese aggression ;

(b) the number of Jawans in the minority companies under Rajput Regiment, who were given awards for their display of valour and courage during Indo-Pak conflict ;

(c) the steps being taken by Government to ensure that maximum number of Jawans of minority community are recruited in the Army ;

(d) whether Government propose to draw up any scheme to recrult Muslims, Boudhs and Christian youth in each Indian regiment (Artillery) on the basis of these qualifications ; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Muslims from one Company equal to 25% of the streng h of one Battalion of the Rajput Regiment. It is not the practice to keep separate figures of lives lost or awards earned, community-wise.

(c) to (e). All Indian nationals, including Muslims, Boudhs and Christians are already eligible for recruitment to the Army, subject to prescribed physical and educational standards, and no special measures in this regard are considered necessary.

Formation of Boudh and Christian Regiments in the Army

1567. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the reaction of Government in regard to the formation of Army regiments on the basis of caste, community and religion such as Sikh, Rajput and Jat Regiments ;

(b) the piace of Harijan Youth in Jat Regiment ;

(c) whether Government propose to raise Boudha Regiment in Ladakh and Christian Regiment in other places on the lines of the other regiments raised in the Army on the basis of religion ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to abandon the police of raising the regiments on the basis of above considerations and adopt the policy of forming them after the names of national heroes so that Government's secular policy is evident here also ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (e), Though some Regiments still retain class nomenclature, the policy of Government is to gradually re-organize the Army so as to do away with class distinctions. In view of this policy, the Government are unable to accept requests for establishment of new regiments with class nomenclature.

Harijan youths are, at present, given representation in a number of Regiments and Corps, but not in the Jat Regiment.

वृद्धि दर के आंकड़े

1568. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1961 से 1967 तक के लिये विश्व बैंक की एटलस में प्रकाशित किये गये वृद्धि-दर के आंकड़ों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत की स्थिति कैसी है ;

(ग) वार्षिक वृद्धि दर कितनी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति आय की प्रतिशतता बहुत कम है और यदि हां, तो इस की जिम्मेदारी किस पर है ?

प्रधान मंत्री वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ). 1961 से 1967 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक की एटलस में प्रकाशित किये गये आंकड़ों को सरकार ने देखा है।

हमारी योजनाओं के बारे में समय समय पर संसद् को जो विविध दस्तावेज उपलब्ध किये गये हैं उनमें तथा नियतकालिक आर्थिक सर्वेक्षणों में हमारी उपलब्धियों तथा कमियों के बारे में पूरी सूचना दी गई है।

संसद् इस बात को जानती ही है कि अभूतपूर्व सूखे तथा औद्योगिक मंदी के कारण 1965 से 1967 की अवधि के दौरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तब से, विशेषकर कृषि उत्पादन क्षेत्रों में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई है, उनसे भी संसद् परिचित है।

रक्षा स्टोरों में ह्रास के कारण होने वाली हानि को कम करना

1571. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टोर परिरक्षण के वैज्ञानिक तरीके अपनाने से सरकार रक्षा स्टोरों में ह्रास के कारण होने वाली हानि को बहुत हद तक कम करने में सफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार कितना धन बचाया गया ; और

(ग) इस कारण होने वाली हानि को दूर करने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). 1951-52 के वित्तीय वर्ष में फौज के स्टोरों में पड़े सामान और उपकरणों के खराब हो जाने के कारण 75.3 ल.ख रुपये की हानि हुई थी। वर्षों से स्टोर परिरक्षण के वैज्ञानिक तरीके अपनाने से इस प्रकार होने वाली हानि काफी कम होती गई है। पिछले 10 वर्षों में सामान के खराब होने में जो हानि हुई, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	कुल
	(रुपये लाखों में)
1959-60	20.69
1960-61	7.87
1961-62	4.88
1962-63	7.32
1963-64	4.27
1964-65	3.62
1965-66	2.31
1966-67	4.00
1967-68	0.93
1968-69	2.28

2. हानि न होने देने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम :—

(i) अन्तर-सेवा स्टोर-परिरक्षण संगठन द्वारा संचालित कोर्सों में रक्षा स्टोर कार्मिकों को परिरक्षण कीट नाशक तकनीक सिखायी जाती है। प्रतिवर्ष एक उच्च और आठ प्रारम्भिक प्रशिक्षण कोर्स चलाये जाते हैं। प्रशिक्षित स्टाफ की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कानपुर में एक रक्षा स्टोर परिरक्षण और पैकेजिंग संस्था स्थापित की जा रही है।

(ii) सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में होने वाली खराबियों और हानि न होने देने के लिए समुचित पैकिंग व्यवस्था की जा रही है।

(iii) समय समय पर रक्षा स्टोरेज संस्थाओं में स्टोर परिरक्षण पैम्फलेट/बुलेटिन बांटे जाते हैं।

(iv) परिरक्षण और कीटनाशी व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए शोधकार्य किये जा रहे हैं।

रूस तथा यूरोपीय देशों की यात्रा करने के लिये लोगों को अनुमति

1572. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में जो गैर-सरकारी व्यक्ति रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों में गये हैं उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) उन्हें बाहर जाने की अनुमति देने के क्या कारण थे तथा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ; और

(ग) क्या इन देशों में गये कुछ व्यक्तियों को जाने की अनुमति देने से पहले सरकार इस बात से संतुष्ट हो गई थी कि उनकी बीमारी का इलाज देश में नहीं हो सकता है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

अमरीका के साथ सैनिक संधि

1574. **श्री पी० विश्वम्भरन** : **श्री नाथ पाई** :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री एस० एम० कृष्ण** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 के आरम्भ में सरकार ने अमरीका के साथ एक सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किये थे ;

(ख) यदि हां तो क्या वैदेशिक सचिव ने अमरीका के तत्कालीन राजदूत प्रो० जे० के० गैलब्रथ को प्रतिरक्षा योजना का एक प्रारूप दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उप योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या वर्ष 1962 में चीनी युद्ध के समय इस योजना को क्रियान्वित किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।
(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वायुसेना में एक ही रैंक के अधिकारियों के लिये भिन्न नियम

1575. **श्री पी० विश्वम्भरन** : **श्री नाथ पाई** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना में एक ही रैंक के अधिकारियों के मूल वेतन भत्तों तथा पदोन्नतियों के बारे में भिन्न भिन्न नियम है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन भिन्न भिन्न नियमों का उपबन्ध होन के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मेडिकल अफसरों को छोड़ कर भारतीय वायुसेना की जनरल डयूटी ब्रांच को छोड़कर शेष सभी ब्रांचों में समान पद के अफसरों के लिये समान वेतनमान हैं । जनरल डयूटी ब्रांच के अफसर उड़ान का काम करते हैं विभिन्न ब्रांचों के अफसरों को मिलने वाले भत्ते भी समान हैं केवल जनरल डयूटीज ब्रांच को छोड़कर जिनको अतिरिक्त उड़ान भत्ता मिलता है । भारतीय वायुसेना के अफसरों को मिलने वाले वेतन तथा भत्तों का ब्यौरा मंत्रालय की 1968-69 की वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट ख में (पृष्ठ 155-160) में दिया गया है । जैसा कि वेतन के लिए व्यवस्था है भारतीय वायुसेना के विभिन्न ब्रांचों के अफसरों के लिए मूल पदों पर पदोन्नति के समान नियम हैं, केवल जनरल ड्यूटीज ब्रांच इसके लिए अपवाद स्वरूप है । वायुसेना में पदोन्नति के लिये सेवा सीमा को एक विवरण में दर्शाया गया है जो कि संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2115/69]

जनरल ड्यूटीज ब्रांच तथा ग्राउन्ड ड्यूटी ब्रांच में भिन्न भिन्न वेतनमान तथा पदोन्नति के नियम निर्धारित किए गये हैं चूंकि इन ब्रांचों में अफसरों को अधिक जोखिम का काम करना होता है और दूसरे में जनरल डयूटीज ब्रांच में जिम्मेदारी के विभिन्न स्तरों पर अधिक युवा अफसरों की आवश्यकता होती है ।

सेवा निवृत्ति की आयु होने पर सैनिक कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि

1577. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री लखन लाल कपूर :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में यह एक सामान्य प्रथा नियम है कि 48 वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्ति के समय, उनके सेवा काल को सामान्यता दो वर्षों के लिये बढ़ा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 48 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद इंफेन्टरी के एक अधिकारों की सेवा काल में वृद्धि प्राप्त करने के लिये किन-किन विशिष्ट बातों की आवश्यकता होती है ; और

(ग) क्या सब ऐसे मामलों में इन बातों का पालन किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत जो कि 31 दिसम्बर, 1971 तक लागू हैं । लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर पद के प्रत्येक अधिकारी (जैसे आर्मरड कोर, रेजीमेंट आफ आर्टीलरी, कोर आफ इंजीनियरस, कोर आफ सिगनलस और इन्फेंट्री के) जिनकी सेवा निवृत्त की आयु सीमा 48 वर्ष को है । चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ की सिफारिश पर 50 वर्ष तक की आयु तक सर्विस कर

सकता है। कोर आफ इंजीनियर्स के लेफ्टनेंट कर्नलों की सेवा अवधि 52 साल तक निम्न शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है :—

(1) 48 वर्ष की आयु पर पहुंचने पर अफसर बी-1 से नीचे की मेडिकल श्रेणी का न हो।

(2) अफसर अपने सर्विस रिकार्डों के आधार पर सेवारत रहने के योग्य पाया जाये और

(3) अफसर ऐसा होना चाहिये जिसकी सेवाओं की जरूरत सेना के लिये सार्वजनिक हित में हो।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में अधिक कर्मचारी

1578. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में अधिक कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आलोचना के आधार पर इस मामले की जांच की गई है और क्या सरकार की राय में विद्यमान संख्या उचित है और कैसे है ;

(ग) विद्यामान संख्या की तुलना में तीन वर्ष पूर्व दूतावास के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तुलनात्मक संख्या कितनी थी ; और

(घ) तब से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता कैसे उत्पन्न हुई ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। हाल में इस विषय पर "हिन्दुस्तान टाइम्स" में रिपोर्ट छपी थी।

(ख) विदेश सेवा निरीक्षकों ने हाल में मिशन का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट देते समय निस्संदेह वे सभी पक्षों पर विचार करेंगे, जिनमें कुछ ऐसे पक्ष भी शामिल हैं जिनका उल्लेख अखबार में हुआ है।

(ग) और (घ). संलग्न विवरण में आवश्यक सूचना दे दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1578/2116/69] मिशन की वर्तमान कर्मचारी संख्या तीन वर्ष पूर्व की अपेक्षा कम है।

रुपयों में भुगतान के आधार पर व्यापार का भारतीय चाय के निर्यात पर प्रस्ताव

1579. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1969 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें रुपयों में भुगतान के आधार पर व्यापार से भारतीय चाय के निर्यात पर हुए कुछ कुप्रभावों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) रुपयों में भुगतान वाले देशों द्वारा भारतीय चाय के अन्यत्र निर्यात को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इस मामले का निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है । व्यापार वार्ताओं के दौरान इस विषय में सावधानी बरती जाती है कि रुपये में व्यापार करने वाले देशों को होने वाली चाय का निर्यात उनकी स्वदेशी खपत की माँग के अनुरूप हों । उद्यम स्तर पर दिशापरिवर्तन के छुट-पुट मामले समय-समय पर सरकार के ध्यान में आये हैं । परन्तु इनका परिमाण नगण्य रहा है ।

केलों का निर्यात

1580. **श्री रा० कु० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में केलों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 3 प्रतिशत बढ़ गया है और इस से निर्यात करने वाले देशों को लगभग 5 लाख डालर की आय हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 में केलों के व्यापार में भारत का भाग कितना था ; और

(ग) किन-किन देशों में भारत के केलों का निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). वर्ष 1968 में केलों का देशवार निर्यात निम्नलिखित था ;

देश	मात्रा	मूल्य
	(मे, टन)	(हजार रु०)
बहरीन द्वीप	2072	1014
जापान	971	55
कुवैत	4811	2393
मस्कट ट्रुशल ओमान	850	436
अन्य	121	109
योग :	8825	4007

निर्यातकों को अफगानिस्तान को गैर-परम्परागत सामान का निर्यात करने की अनुमति

1581. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्यातकों को जो अफगानिस्तान को गैर-परम्परागत सामान निर्यात करते है, उस देश से ताजे फलों तथा मेवों का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यह अनुमति किन शर्तों पर दी गई है ; और

(ग) कितने समय के लिये अनुमति दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी, भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालय के पब्लिक नोटिस संख्या 145-आई० टी० सी० (पी० एन०)/69 में दी गई है जो दिनांक 30 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग में प्रकाशित हुआ था ; जिसकी प्रति संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

बिहार में पूर्णिया और सहरसा जिलों में पटसन कारखानों की स्थापना

1582. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में पूर्णिया और सहरसा जिलों की मुख्य फसल पटसन है और समूचा पटसन कलकत्ता भेजा जाता है ;

(ख) क्या इन जिलों में सरकारी क्षेत्र में पटसन के कारखानें खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) बिहार राज्य के पूर्णिया और सहरसा जिलों में पटसन का उत्पादन होता है । बिहार स्थित पटसन के कारखाने अपने रेशे की आवश्यकता की पूर्ति इन जिलों में उत्पादित पटसन से करते हैं और बकाया पटसन ही बाहर भेजा जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में मणिपुर हथकरघा बिक्री भंडार

1583. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार द्वारा नई दिल्ली में अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए एक हथकरघा बिक्री भंडार खोला जा रहा है ।

(ख) क्या उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा मणिपुर सरकार को कोई प्लाट दिया गया है ; और

(ग) मणिपुर हथकरघा उद्योग के संकट को दूर करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) मणिपुर में हथकरघा उद्योग के किसी संकट की सरकार को जानकारी नहीं है। मणिपुर हथकरघा उत्पादों की बिक्री अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपण सहकारी समिति के हथकरघा बिक्री भंडारों के विभाग से और निजी व्यापारियों के माध्यम से की जा रही है।

त्रिपुरा में पटसन मिल

1584. **श्री किरित बिक्रम देब वर्मन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 7 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मैसर्स इंडस्ट्रियल डिव्लपमेंट सिंडीकेट, अगरतला (त्रिपुरा) के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि वे आवश्यक मशीनों के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की ऋण सम्बन्धी अपनी आवश्यकता को अन्तिम रूप नहीं दे सके थे तथा क्या त्रिपुरा में पटसन मिल स्थापित करने के और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी लागत, विदेशी मुद्रा के कितने खर्च तथा स्थापित किए जाने वाले मिल की क्षमता कितनी होगी ; इस सम्बन्ध में क्या पेशकश की गई है ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में पटसन मिलों की कितनी और क्षमता स्थापित की जायेंगी और इस योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में पटसन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए यदि कोई योजना बनाई गई हैं तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस समय त्रिपुरा में पटसन मिल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक त्रिपुरा में पटसन की खेती का सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीय योजना में 1.83 लाख पटसन और मेस्टा की गाँठों का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। यह उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जाना है :—

(1) पटसन एवं मेस्टा से सम्बन्धित एक विशेष पैकेज कार्यक्रम जिसमें प्रमाणिक बीजों का संभरण, यूरिया की मुफ्त सप्लाई तथा कम वाल्यूम के पावर स्प्रेयरस की सप्लाई, रैटिंग टैंकों का निर्माण आदि शामिल हैं ; और

(2) राज्यीय सधन कार्यक्रम।

मनीपुर में इम्फाल पालेल रोड में अतिरिक्त हवाई अड्डे के अंतर्गत आई भूमि की बिक्री

1585. श्री एम० मेघ चन्द्र : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में इम्फाल पालेल रोड से 28 वें मील पत्थर पर अतिरिक्त हवाई अड्डे के अन्तर्गत आई भूमि को बेचने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमि को बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस काम में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी तक मामला विचाराधीन है ।

Rules for Maintenance of Stocks by Textile Mills

1586. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have framed some rules in regard to maintenance of stock and purchase of cotton by the various textile mills in the country ;

(b) if so, whether the aforesaid rules are applicable to the co-operative textile mills and the Co-operative spinning mills also ; and

(c) if so, the details of the rules and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Cotton Control Order, 1955 contains provisions empowering the Textile Commissioner to regulate purchase and stocking of cotton. While the Textile Commissioner has not prescribed any limits or conditions for purchase of cotton, he has fixed stock limits for this commodity, which also apply to co-operative mills with a degree of relaxation.

(c) Relevant clauses of the Cotton Control Order, 1955 are attached. The notifications dated 25-5-1968 and 18-6-1969 specifying stock limits in respect of cotton are also attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2117/69.] There is considerable fluctuation in the level of cotton production giving rise to variations in the availability and prices of cotton. Statutory provisions for the regulation of stocking and purchases of cotton help in the orderly marketing and equitable distribution of the available quantities of cotton at reasonable prices.

Sale of Stainless Steel quota in Black Market by certain Factories in M.P.

1587. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the number of new factories in Madhya Pradesh which were issued licences last year for importing stainless steel ;

(b) whether Government have received any complaints to the effect that some of these factories do not manufacture goods and sell their quota in the black market ;

(c) if so, whether Government have conducted any inquiry in this regard and if so, the result thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Haj Pilgrims from Madhya Pradesh

1588. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons from Madhya Pradesh who have been granted permission by Government to undertake Haj pilgrimage this year ;

(b) the number of persons who had applied therefor ; and

(c) the amount of foreign exchange allocated this year for Haj pilgrimage ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) On the basis of Muslim population, Madhya Pradesh has been allotted :

404 seats by sea

27 seats by air.

Thus a total of 431 persons will be allowed to proceed on Haj pilgrimage from Madhya Pradesh during Haj 1969-70.

(b) The number of persons who applied from Madhya Pradesh for booking their seats by sea is 1040. Only two persons have so far applied for booking of their seats by air. (Last date of receipt of air applications is 16-12-1969).

(c) Rs. 2,36,25,000 (in foreign exchange).

Grant of Licences to actual users in Madhya Pradesh

1589. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names as well as designations and addresses of those persons of Madhya Pradesh who have been granted actual users licences from the Ist April, 1966 to October, 1969, yearwise, under the existing import policy and the gauge and quota of sheets for which licence has been granted to each of them ; and

(b) the names of those persons who have actually use their quota ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Details of all licences are published by the Chief Controller of Imports and Exports in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", except the licences issued by the Iron and Steel Control Licensing authorities during the periods from 1.1.1967 to 31.3. 1967 and 1.10.1967 to 30.9.1968. The bulletin contains the number, date and value of the licence, a brief description of goods, name and the address of the licences, and the country/area from which import is to be made. Copies of the bulletin are available in the Parliament Library. The collection of information for the periods for which it is not available in the published bulletins and the collection of information regarding the specific gauge of sheets for which each licence has been issued, would require the scrutiny of several thousand files, and the time and labour involved in compiling the information will not be commensurate with the advantage sought to be derived therefrom.

(b) Statistics of the utilisation of licenees are not maintained.

Supply of Raw Silk to Madhya Pradesh

1590. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of raw silk which would be supplied to Madhya Pradesh in the current financial year ;

(b) whether it is a fact that Madhya Pradesh State has not paid adequate attention to the schemes regarding the production of silk ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) There is no system of supply of silk to the States.

(b) No, Sir. The production of tasar raw silk in Madhya Pradesh during January-June 1969 was 95,000 kgs. as against 1.35 lakh kgs. produced during the year 1968.

(c) Does not arise.

Indian Soldiers 'Sailors' and Airmen Board

1591. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the date and the purpose for which Indian Soldiers 'Sailors' and Airmen's Board, New Delhi was set up ;

(b) the number of employees of each category working in the Board since its inception ; and

(c) the details of functions performed by them ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) The Indian Soldiers' Board was constituted in 1919, for ex-Army personnel. It was re-constituted in 1944 as the Indian Sailors', Soldiers' and Airmen's Board, so as to include within the scope of its activities ex-servicemen of the Navy and the Air Force also. In March 1951, it was re-named as the Indian Soldiers', Sailors' and Airmen's Board. The purpose of this Organisation is to deal with various matters affecting the welfare of ex-service-men and families of serving and deceased personnel of the Defence Services.

(b) The staff of the Board has varied from time to time. The permanent establishment sanctioned in 1961 and working at present is as under :—

Designation	Post	
Secretary	1	Col. (Part-time)
Accounts Officers	1	
Superintendent (Gazetted Class II)	1	
Accountant	1	
Clerks	12	—3 Assistants 4 UDCs 5 LDCs
Stenographer	1	
Daftry	1	
Peons	2	

(c) (i) Implementation of the policy laid down by the ISS and A Board.

(ii) Administration of Funds for the Welfare and Resettlement of ex-servicemen.

(iii) Co-ordination of the work of the State Soldiers' Soilors' and Airmen's Boards.

(iv) Exercising over-all supervision and budgetary control over the District Soldiers' Sailors' and Airmen's Boards.

निर्यात (किस्म) नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 में संशोधन

1592. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात (किस्म) नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि विदेशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिए हमारी वस्तुओं की किस्म का निरीक्षण करते हेतु इस अधिनियम को और अधिक प्रभवकारी बनाया जाय ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) निर्यात (गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के विद्यमान उपबन्ध, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित निर्यात-माल के कारगर गुण निरीक्षण के लिए पर्याप्त पाये गये हैं । इससे अन्यथा होने पर निर्यात पाल के गुण के कारगर रूप से सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई होने पर अधिनियम में संशोधन किया जायेगा ।

ब्रिटेन में रंग भेद

1594. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंग भेद के कारण ब्रिटेन में तीन लाख से भी अधिक भारतीय नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; जैसा कि ब्रिटेन की इंडियन एसोसियेशन के चेयरमैन ने 7-9-69 को कलकत्ता में कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यूनाइटेड किंगडम में में भारतीयों को जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं उसके बारे में समय-समय पर सरकार को देखने में समाचार आये हैं ।

(ख) जब कभी जरूरत होती है यूनाइटेड किंगडम में भारत का हाई कमिश्नर इस मामले को यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ उठाती है ।

मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रधान मंत्री तथा विभिन्न मन्त्रालयों के बीच प्रभावी कड़ी बनाने का प्रस्ताव

1595. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री मण्डल सचिवालय को प्रधान मन्त्री तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक प्रभावी कड़ी बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). मंत्रिमण्डल तथा उसकी समितियों को सचिवालय सहायता देने के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल सचिवालय आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय मन्त्रालयों के कार्य-कलाप के समन्वय में पहले से ही उपयोगी कार्य कर रहा है। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं जान पड़ता।

अहमदाबाद में दंगे

1596. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों से मिले संकेतों के अनुसार, क्या प्रधान मन्त्री की एक केन्द्रीय मन्त्री के विरुद्ध, जो अहमदाबाद में दंगों के दौरान वहां गए थे, राज्य के मुख्य मन्त्री तथा अन्य संगठनों की ओर से गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या उन शिकायतों की जांच कर ली गई है तथा क्या गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों से उन शिकायतों की पुष्टि हो गई है ;

(ग) यदि शिकायतें न्यायसंगत हैं तो सम्बद्ध मन्त्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं तथा किन वास्तविक तथ्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होते हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार के उप-विधि मन्त्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम के गुजरात के दौरे के बारे में प्रधान मन्त्री जी को गुजरात के मुख्य मन्त्री से दो पत्र मिले। इस विषय पर, कुछ संसद् सदस्यों से भी पत्र प्राप्त हुए। श्री सलीम ने भी अपने दौरे और स्थिति के मूल्यांकन के बारे में एक रिपोर्ट प्रधान मन्त्री जी को भेजी। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

बीकानेर डिवीजन में उद्योग

1597. **डा० कर्णी सिंह** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीकानेर देश में ऊन की सब से बड़ी मण्डी है और इस क्षेत्र में बार-बार अकाल पड़ने के कारण वहां बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उस डिविजन में होजरी, गलीचा तथा ट्वीड गर्म कपड़ा उद्योग आरंभ करने का है क्योंकि वहां उनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की बहुत अधिक सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में राजस्थान वूल इण्डस्ट्रीज डिवलपमेंट कम्पनी बीकानेर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना स्वदेशी कच्ची ऊन का प्रयोग करते हुए कालीन और ट्वीडस आदि बनाने के लिए ऊनी होजरी एकक तथा हथकरघे स्थापित किये जा सकते हैं लेकिन होजरी एककों की पूंजीगत परिसंपत्ति 25 लाख रु० से कम होनी चाहिये। ऊनी कताई एकक स्थापित करने के लिये भी मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है बशर्ते कि ये एकक केवल स्वदेशी कच्ची ऊन और मशीनों का प्रयोग करें। अतः निजी उद्यमी अथवा राज्य सरकार ऐसा करना चाहे तो इन एककों की स्थापना में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Distribution of Magazines by Pakistan Information and Publicity Centre in India

1598. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indian language newspapers and magazines distributed by the Pakistani Information and Publicity Centre functioning in India at present ; and

(b) their language-wise break up ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The Pakistan High Commission in India distributes the undermentioned publicity material—

(i) Pakistan Press Release

(ii) Radio Pakistan News

(iii) Pakistan News.

These publications are issued in English language.

Allotment of Land to Ex-Servicemen

1599. **Shri Bansh Narain Singh** :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Sharda Nand ;
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the ranks of the army personnel who are allotted agricultural land in various States as ex-Servicemen and the area of land being given to each person ;

(b) the ranks land length of service of the ex-Servicemen who were allotted land in various districts of U.P. and the area of land allotted for agricultural purposes respectively ;

(c) the area of agricultural land already possessed by each of such persons individually or as a number of undivided family who have been allotted land as ex-servicemen ;

(d) the names of persons who have applied for allotment of land and who are in the regular employment of the State Government and the Central Government ; and

(e) the action being taken by Government in regard to allotment of land to such persons ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) to (e). The information is not available and time and effort involved in collecting it will not be commensurate with the results likely to be achieved.

Naga Rebels

1600. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total number of Naga rebels who surrendered in the months of July aud August last ;

(b) the action being taken by the Government for the security of such Naga rebels as have surrendered ; and

(c) whether the weapons handed over at the time of surrender are kept by the Central Government or the Border Security Force keeps them in its own way ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) 373.

(b) Those who surrender are given an option to go back to their villages, where the protection afforded by the security posts located in or close to their villages is available to them, or to be in selected locations where Security Forces are deployed.

(c) Service pattern weapons handed over to the Army, and the non-service pattern weapons are handed over to the State Government.

पश्चिमी बंगाल में कुछ गांवों पर कथित हमलों के बारे में
RE : REPORTED RAIDS ON CERTAIN VILLAGES IN WEST BENGAL

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : आज के समाचारपत्रों में पश्चिम बंगाल से बहुत चिन्ताजनक समाचार छपा है कि 2000 लोगों ने एक गांव पर हमला किया और दो व्यक्तियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये बताया जाता है कि हमला करने वाले लोग भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) के सदस्य थे । इन लोगों ने केवल थाने पर ही घेरा नहीं डाला, अपितु घेरा तभी उठाया जब गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया दिया । सरकार राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाकर इस पर वक्तव्य दे ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर 4 बजे चर्चा होगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच निर्धारित वायु मार्ग का पाकिस्तानी विमानों द्वारा उल्लंघन किए जाने का समाचार

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक

महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच भारत के राज्य-क्षेत्र के ऊपर निर्धारित वायु मार्ग का पाकिस्तानी विमानों द्वारा लगातार और जानबूझ कर उल्लंघन किये जाने के समाचार"

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि 30 अक्तूबर, 1969 को पाकिस्तान की वायुसेना के सी-130 विमान, जो ढाका और कराची के बीच भारतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था, 160 मील की दूरी पार करते हुए पूर्व-निश्चित रास्ते के बाहर पांच मील तक उड़ा। यह किसी भी हालत में भारतीय हवाई क्षेत्र का एक गम्भीर उल्लंघन था। कलकत्ता में स्थित फ्लाइट कंट्रोल से इसे बार-बार पूर्व निर्धारित रास्ते पर वापिस जाने के लिए कहे जाने के बावजूद भी वह उड़ता रहा। पाकिस्तान का यह विमान अपने पूर्व-निर्धारित मार्ग पर तब गया जबकि हमें अपना विमान उसके पिछे भेजना पड़ा।

हमने अपने क्षेत्र के उपर पाकिस्तानी विमान द्वारा पूर्व-निर्धारित मार्ग का लगातार और बार-बार उल्लंघन करने के विरुद्ध पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा है। हमने पाकिस्तान सरकार को कहा है कि वह भारतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ने वाले सभी विमानों के चालकों को इस आशय के सख्त आदेश दें कि वे पूर्व-निर्धारित मार्गों पर ही उड़ान भरते रहें।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : प्रतिरक्षा मन्त्री तो केवल विरोध प्रकट करने का हथियार ही प्रयोग में लाते हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : दो वर्ष पूर्व भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए एक करार के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को भारतीय राज्य क्षेत्र पर से उड़ने की सुविधा प्राप्त हुई है जिसके बदले में पाकिस्तान भारत को अपने राज्य क्षेत्र के ऊपर केवल एक सैनिक पत्रवाहक विमान की उड़ान भरने देता है। उस पर भी इस विमान की करांची में पूरी तलाशी ली जाती है, फोटोग्राफी की कोई सामग्री उसमें नहीं रह सकती और विमान कर्मचारियों को हवाई अड्डे से बाहर नहीं आने दिया जाता। परन्तु भारत ने उसे सभी प्रकार के सैनिक तथा लड़ाकू विमानों की उड़ान भरने, सभी प्रकार का सैनिक साज-सामान लाने ले जाने, लखनऊ में रुकने तथा विमान कर्मचारियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने तथा असैनिक लोगों से मिलने जुलने आदि की सभी सुविधाएं दे रखी हैं। इस करार से वास्तव में भारत को हानि हुई है। यह विरोध पत्र भी 23 दिन के बाद भेजा गया था और वह भी एक इसी प्रकार की घटना के बारे में पाकिस्तान द्वारा भेजे गये अन्य विरोध-पत्र प्राप्त होने पर।

प्रश्न यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ ऐसा करार करने की क्या आवश्यकता थी जो भारत के हितों के इतना अधिक प्रतिकूल है? क्या उस पर तत्कालीन वायु सेनाध्यक्ष की सलाह के विरुद्ध हस्ताक्षर किये गये थे? प्रारम्भ से ही पाकिस्तान द्वारा अनेक बार हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है? विरोध-पत्र इतनी देर बाद क्यों भेजा गया? भारत ने इस विमान को क्यों नहीं मार-गिराया जबकि पाकिस्तान ने इसी आधार पर कुछ समय पहले एक भारतीय विमान

गिराया था ? क्या पाकिस्तान को रूस तथा अमरीका द्वारा हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ किये जाने के बाद हमारी वायु सेना के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं ?

मेरा अन्तिम प्रश्न ताशकन्द समझौते के बारे में है जो अब एक मृत-दस्तावेज के रूप धारण कर चुका है और जिसकी न तो रूस परवा करता है और न ही पाकिस्तान क्या इन घटनाओं को देखकर, भारत ताशकन्द समझौते का खण्डन करने के लिये तैयार है ताकि इसे हर मौके पर अपमान सहन न करना पड़े ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना गलत है कि इस करार से भारत को हानि हुई और यह करार भारत के हित में नहीं है। यह एक पारस्परिक करार है जिसके अन्तर्गत एक राज्य के विमान दूसरे राज्य के ऊपर से होकर जाते हैं, सी 130 एक मालवाहक विमान था। जहां तक इस विशेष सीमा उल्लंघन का सम्बन्ध है, जैसा कि सभा को पता है, इसका एक पूर्व निर्धारित मात्रा होती है। जिस मार्ग से होकर एक देश के विमान दूसरे देश के राज्य-क्षेत्र के ऊपर से होकर उड़ते हैं। यदि कोई विमान इस मार्ग का उल्लंघन करता है, तो एयर कंट्रोल उसे चेतावनी देता है कि वह पूर्व निर्धारित मार्ग से बाहर हो गया है अतः वह वापस ठीक मार्ग पर आ जाये और यदि वह वापस उस मार्ग पर नहीं आता, हम तो उसका पीछा करने के लिये अपना विमान छोड़ते हैं।

इस विशेष मामले में हमारा विमान ऊपर गया और पाकिस्तानी विमान को पूर्व निर्धारित मार्ग पर वापस ले आया। जहां तक विमान को मार-गिराने का प्रश्न है, मालवाहक विमान को गिराना अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के विरुद्ध है।

जहा तक विरोध पत्र विलम्ब से भेजे जाने का सम्बन्ध है विरोध पत्र वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा भेजे जाते हैं और इस विशेष मामले में मैं समझता हूँ विरोध पत्र 15 नवम्बर को भेजा गया था।

जहां तक पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र के ऊपर इस करार के अन्तर्गत विमान उड़ाने का संबंध है, हम भी लड़ाकू विमान उड़ाते हैं और हमें भी यह सुविधा प्राप्त है और वास्तव में हमने उनका उपयोग भी किया है।

जहां तक इस करार का सम्बन्ध है, यह कहना गलत है कि उसे वायु सेनाध्यक्ष की सलाह के विरुद्ध किया गया था।

Shri Rabi Roy (Puri) : May I know whether any Pakistani bomber military air-craft had violated our air space after the air corridor agreement with Pakistan has been signed and if so, whether any attempt was made to shoot it down and if not, whether the lack of requisite and suitable equipment or courage was main reason for not undertaking this step and whether Government propose to shoot down such aircrafts which dared violate our air space in future ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक करार के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त उड़ानों का सम्बन्ध है, वे चाहें भारतीय विमान हों, अथवा पाकिस्तानी, उन्हें यथास्थिति भारत अथवा पाकिस्तान के किसी हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा ताकि उन्हें आगे जाने की अनुमति मिल सके। यदि कोई विमान चाहे वह पाकिस्तान का हो अथवा अन्य किसी देश का, हमारी वायु सीमा उल्लंघन करता है, तो हम उसे मार गिरायेंगे इसके लिये हमारे पास उपकरण विद्यमान है, जहां तक साहस का संबध

है, माननीय सदस्य में सहास की कमी हो सकती है, लेकिन हमारी वायु सेना से अपेक्षा से भी अधिक साहस है।

यह एक सर्व मान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है कि अतिक्रमणकारी सैनिक विमान को मार गिराया जा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के बिल्कुल अनुरूप है हमारे पास सब उपकरण विद्यमान हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : According to our assessment the agreement as exploited by the other country, is not in our national interest and it is the result of our Government's policy of appeasement. It may be feeling of the Government that this will normalise and improve our relations with Pakistan but the way she is behaving with us, the humiliation we had to suffer at Rabat at the hands of Pakistan and refusing permission to the plane carrying Khan Abdul Gaffar to Pakistani territory, shows the hostile attitude she has adopted towards us. I want to know the number of Indian aircrafts which overflew Pakistani te itory as aiso the number ot Pakistani aircrafts which overflew our territorry during the last two years when the agreement came in force. I would also like to known whether Government would revise their policy with regard to this agreement and scrap it so that this one-way traffic, whether it is in regard to her hostile attitude or Tashkent Declaration or Rabat conference or Gurilla war fare, is closed and a tit for tat policy is adopted. Lastly, may I know whether it is a fact that Government have issued instructions that the I. F. A. will not shoot down such planes in any case ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना बिलकुल गलत है कि हम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। हमें ऐसी नीति का अनुसरण करना है जो देश के सर्वाधिक हित में हो और इस समस्या के प्रति वास्तव में हमारा दृष्टिकोण यही है। यह पारस्परिक हित में एक सीधा सादा करार है। केवल इस आधार पर कि हमारी और समस्याएं हैं, जिनसे दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं, पारस्परिक हित के सभी करारों को रद्द करना अच्छा नहीं है और इसलिये हम इस करार को रद्द नहीं करेंगे।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस करार को क्रियान्विति के पश्चात् कितने भारतीय विमान पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र से होकर उड़े हैं और कितने पाकिस्तानी विमान भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़े, मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से यह मामला हमेशा मेरे सामने रहता है और मैं कह सकता हूं इस दृष्टि से स्थिति भारत के प्रतिकूल नहीं है। हमारी ओर से ऐसी धारणा बनाना कि यह इतरफ़ा कार्यवाही है, गलत है स्थिति ऐसी नहीं है।

जैसा कि मैं बता चुका हूं, अतिक्रमण करने वाले विमानों को मार-गिराना उचित है। भारतीय वायु सेना को ऐसे कोई अनुदेश नहीं दिये गये कि वह किसी भी विमान को न गिरायें। ऐसे आदेश न किसी वायु सेना को दिये जा सकते है और न ही कोई सरकार ऐसे आदेश दे सकती है। हर मामले में स्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है।

श्री चेंगल राया नायडू (चित्तूर) : इस विशेष मामले में, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विमान को किस हवाई अड्डे पर लाया गया था। मन्त्री जी ने बताया है कि हमारे विमान ऊपर गये और उसे वापिस लाये। विमान वापस नहीं लाया गया था। वास्तव में होना यह चाहिए कि ऐसी स्थिति में उस विमान को हमारे किसी हवाई अड्डे पर उतरने को कहा जाये ताकि उसकी जाच हो सके कि वह कैसा विमान है और उसमें क्या-क्या चीजें हैं और उसमें कोई

फ़ोटोग्राफ़ी के उपकरण आदि तो नहीं लगाये गये हैं। किन्तु मन्त्री जी हमारी वायु सेना को जान-बूझ कर ऐसे आदेश नहीं दे रहे।

मैं जानता हूं कि हमारी वायु सेना पूरी तरह से सुसज्जित है और उसमें साहस हैं, किन्तु मंत्री जी में यह कहने का साहस नहीं है कि ऐसे विमानों को मार गिराओ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी वायु सेना की क्षमता तथा साहस के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ कहा है उसका श्रेय वास्तव में हमारी वायुसेना को प्राप्त है। इस मामले में मेरी सहासी अथवा कायर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सभी सैनिक विमानों को चाहे वे लड़ाकू, बमवर्षक या परिवहन विमान हों, भारतीय राज्य क्षेत्र पर से उड़ते समय हमारी पसन्द के भारतीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता है। किसी भी पाकिस्तानी सैनिक विमान को भारतीय हवाई अड्डे पर उतरे बिना भारतीय राज्य क्षेत्र पर से उडान भरने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई है। इस मामले में भी यही हुआ है। यह विमान भी हमारे राज्य क्षेत्र में उतरा था।

यह प्रश्न सीधा सादा है। यह पूर्व-निर्धारित मार्ग के उल्लंघन से सम्बन्धित है। पूर्व-निर्धारित मार्ग का उल्लंघन एयर कंट्रोल द्वारा चेतावनी दिये जाने पर समाप्त करना होता है। यदि इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारा विमान उड़ान भरता है और विमान चालक को चेतावनी देता है कि विमान को पूर्व-निर्धारित मार्ग का अनुसरण न करने पर गिरा दिया जायेगा। यदि वह इसे मान लेता है और पूर्व-निर्धारण मार्ग पर चला जाता है तो मामला समाप्त हो जाता है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री प्रश्न को टालने में बड़े चतुर हैं। उन्होंने इतना कह कर छुट्टी पाली है कि वह विमान केवल पांच मील तक ही हमारे क्षेत्र में घुस आया था। पाकिस्तान हमारे साथ शत्रुता की नीति अपनाए हुए है। मेरा प्रश्न सीधा सादा है। माननीय मन्त्री के अनुसार हमारे देश के प्रति पाकिस्तान का इरादा क्या है ?

विदेश मन्त्री भी यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को कहा था कि उनकी पाकिस्तान के विदेश मन्त्री से बातचीत हुई थी और कि उन्हें पाकिस्तान के रवैये में निश्चित परिवर्तन का आभास मिला था। परन्तु अगले ही दिन पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने घोषणा की कि पाकिस्तान के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह अपनी ही कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं।

मैं दो-तीन स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह सच है कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के बाद ही हमारी ओर से विरोध प्रकट करने की बात सोची गई ?

माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह करार हमारे हित के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु 11 दिसम्बर 1968 को श्री रणजीत सिंह के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 1966 और 11 सितम्बर 1966 के बीच 57 पाकिस्तानी विमानों को भारतीय राज्यक्षेत्र पर से उड़ने की अनुमति दी गई जब कि इसी अवधि में 23 भारतीय विमान पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र पर से उड़े। जब 1966 में यह अनुपात थी तो 1967-1968 और 1969 का अनुपात क्या है ? मन्त्री महोदय अपने कथन को किस आधार पर सही सिद्ध करने का

प्रयास कर रहे हैं कि यह करार हमारे हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है ? आज प्रश्न संख्या 221 के उत्तर के सम्बन्ध में, जो ताशकन्द करार से सम्बन्ध रखता है, सरकार की ओर से बताया गया है कि ताशकन्द करार के अनुच्छेद 6 कार्यान्विति में पाकिस्तान केवल उन्हीं उपायों पर सहमत हुआ जिनसे उसे फ़ायदा होगा है। वे केवल वही कार्य कर रहा है, जिनसे उसे लाभ हो वह हमारे साथ इक्के-दुक्के करार कर रहा है जो हमारे हित के विरुद्ध जाते हैं, तो भारत सरकार पाकिस्तान के पक्ष में करार करने के लिये क्यों राजी हो जाती है ? ताशकन्द करार के बारे में गत पांच वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ताशकन्द करार को पूर्णतः खत्म करने के लिए तैयार है ? हमें पाकिस्तान को साफ़-साफ़ बता देना चाहिये कि हम पाकिस्तान के साथ आपसी हित के आधार पर ही सम्बन्ध बनाए रखने की नीति का अनुसरण करेंगे । क्या वह ऐसा करेंगे ?

श्री **स्वर्ण सिंह** : पाकिस्तान के साथ हम जो नीति अपनाते हैं उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि पाकिस्तान का रवैया हमारे प्रति निरन्तर शत्रुता का ही रहा है । हमारी प्रतिरक्षा योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीति इसी बात पर आधारित है । मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इस बारे में पूर्णतया सचेत है ।

इस विशेष मामले में पाकिस्तानी वायु सेना मुख्यालय है । (न कि विदेश कार्यालय) ने हमारे वैमानिक सलाहकार को बुलाया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनका विमान पूर्ण निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा था और हमने उसे पूर्व निर्धारित मार्ग पर ले जाने के लिये अपने लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया था । इसलिये इससे पहले कि हम विरोध प्रकट करें उन्होंने हमारे वैमानिक सलाहकार को बुला कर इसका कारण पूछा । हमारे वैमानिक सलाहकार ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी । इस मामले में केवल विरोध प्रकट करने का ही प्रश्न नहीं था बल्कि जैसे ही पूर्व-निर्धारित मार्ग के उल्लंघन की ओर हमारा ध्यान गया, हमारे लड़ाकू विमान ऊपर पहुंच चुके थे और उनके द्वारा उसे पूर्व-निर्धारित मार्ग पर लाया गया ।

श्री **बलराज मधोक** : तब विरोध प्रकट करने की क्या जरूरत थी ?

श्री **स्वर्ण सिंह** : पूर्वनिर्धारित मार्ग के मामले में हमें राजनयिक सूत्रों के माध्यम से विरोध प्रकट करना ही चाहिये । इस करार के बारे में उन्होंने 1966 के आंकड़ों का उद्धरण दिया है । ये तीन वर्ष पुराने आंकड़े हैं यदि अब मैं यह कहता हूँ कि करार हमारे विरुद्ध नहीं जाता तो मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ ।

श्री **सु० कु० तापड़िया** (पाली) : तो आंकड़े दीजिये ।

श्री **स्वर्ण सिंह** : यदि वह पृथक प्रश्न का नोटिस देंगे तो मैं अवश्य ही सूचना दे दूंगा ।

ताशकन्द करार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । उचित समय पर विदेश मन्त्री इस पर प्रकाश डालेंगे ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बंगाल नागपुर काटन मिल्स के प्रबन्ध आदि के बारे में अधिसूचना

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक): मैं लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4433 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 4434 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव, के प्रबन्ध के बारे में है। **ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी० 2098/69]

(1) निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, फ्रागलेक्स का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4537 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 2099/69]

(3) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963, की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, कपड़ा समिति (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2172 में प्रकाशित हुए थे।

(4) इलायची बोर्ड के वर्ष 1967—68 के कार्य सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धिपत्र का एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 2100/69]

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पचपनवां प्रतिवेदन

श्री भाल जी भाई परमार (दोहद) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 55 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : 17 नवम्बर 1969 को स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री दिनेश सिंह ने कहा था कि धार्मिक सम्मेलनों में भाग लेना भारत के हित में है। उन्होंने यह बात इस ढंग से कही थी जैसे नेहरू जी भी इसके हामी थे। या उनके भी ऐसे ही विचार थे।

उन्होंने आपको जो सूचना भेजी है मैंने उसे पढ़ा है। मंत्री महोदय ने उसमें जो कुछ कहा है वह सदन के उन अधिकांश बुजुर्ग सदस्यों की सामान्य जानकारी के विरुद्ध है जो नेहरू को जानते हैं और जिन्होंने सभा में विदेश मामलों पर हुए वाद-विवाद में नेहरू द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का अध्ययन किया है। उन्हें उनके इस कथन से बड़ा आश्चर्य और क्षोभ हुआ है। उन्होंने जो सूचना भेजी है उससे ऐसा आभास मिलता है जैसे वह किसी दस्तावेज से उद्धृत की गई है।

उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने इस विषय पर इस तरह विचार व्यक्त किये हैं जिससे नीति की सही झलक मिलती है और सभा को गुमराह नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सम्बन्धित फाइलें गोपनीय है।

मैं इस समय राजनीतिक गणित का प्रश्न नहीं उठाना चाहता। इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों की जानकारी तथा श्री नेहरू के रिकार्डों के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि श्री नेहरू ऐसे धार्मिक सम्मेलनों में भाग लिए जाने के कतई विरुद्ध थे क्योंकि उनके विचार में ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने से भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को आघात पहुंचता है और आधुनिक विश्व व्यवस्था की स्थापना में भारत जो योगदान दे सकता है उसका सामर्थ्य कम हो जाता है।

मंत्री महोदय ने जिस तरह से सभा के सामने तथ्य रखे हैं वह केवल एक अनियमतता ही नहीं है अपितु मामले के मर्म को भी छूती है क्योंकि गत बीस वर्षों से भारतीय विदेश नीति के बारे में हमारा जो अनुभव तथा जानकारी है उसका यह खण्डन करती है।

इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर अपने वक्तव्य को दुरुस्त कर लें या पूरे तथ्य सभा के सामने रखने की कृपा करें।

इस मामले का सम्बन्ध केवल नेहरू तक ही सीमित नहीं है अपितु उनके निकट तथा विश्वसनीय सहयोगी जैसे मौलाना आजाद आदि से भी इसका सम्बन्ध है। मैं चाहता हूँ कि श्री नेहरू की स्मृति तथा विदेश नीति की हमारी सैद्धान्तिक समझ के प्रति न्याय करने हेतु इस मामले में कार्यवाही की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को सभा सदों के स्पष्ट चिन्तन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्हें तो अपना इरादा बनाने में सदस्यों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आप चाहें तो एक बैठक बुला सकते हैं जिसमें आप मंत्री महोदय तथा विरोधी नेता मिलकर इस मामले में विचार कर सकें या इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रश्न है, नियम इसकी अनुमति नहीं देते। हमें नियमों के अनुसार ही कार्य करना है। हां, यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो वे उत्तर दे सकते हैं।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : आपने माननीय सदस्य के पत्र की एक प्रति मुझे भेजी थी और मेरे विचार जानने चाहे थे। मैंने वे आप को भेज दिये थे। श्री सोंधी ने गोपनीय दस्तावेज के बारे में कहा है। मैंने उस दिन भी बताया था, कार्यवाही वृतान्त से इसकी पुष्टि हो सकती है। चूंकि यह एक गोपनीय फाइल है इसलिए मैं उससे उद्धरण कैसे दे सकता हूँ। मैं कह चुका हूँ कि ये कागजात गोपनीय हैं और इन्हें मैं माननीय सदस्यों के समक्ष नहीं रख सकता हूँ।

श्री सोंधी ने इसे संदर्भ से अलग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नेहरू ऐसे सम्मेलनों में लोगों को भेजने के पक्ष में थे। यह ठीक नहीं है। रिकार्डों के अध्ययन से पता लग जायेगा कि अनेक वर्षों से हमने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। मैंने कहा था कि 1955 में यह महसूस किया गया था कि ऐसे सम्मेलनों में लोगों को जाने से रोकना हमारे हित में नहीं होगा, और लोगों के उनमें भाग लेने से भारत में मुसलमानों की स्थिति का सही-सही चित्रण किया जा सकेगा। परन्तु सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा गया था। गैर-सरकारी व्यक्ति ही उनमें भाग लेने के लिए गये थे।

मैंने ऐसे सम्मेलनों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है जो धर्म के नाम पर हुए थे परन्तु उनमें राजनीतिक विषयों पर विचार किया गया था। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि प्रत्येक सम्मेलन के बारे में उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए और यही हम करते रहे हैं।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

नवाँ प्रतिवेदन

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के नवें प्रतिवेदन से, 19 नवम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के नवें प्रतिवेदन से जो 19 नवम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—जारी
MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The most improvement clause in the Motor Vehicles Act is regarding the issue of permits and the people have to suffer a lot on this account. The permits are being sold in market even at a cost of rupees one lakh. So, I fail to understand why Government is hesitant to issue more permits. I think it is because the Governmet employees want to indulge in corrupt practies that such a situation has been created. In order to improve the Government should resort to the old arrangement which

was prevalent prior to 1920 *i.e.* they should give permits to all the applicants whose applications are certified by them, so that they might ply their buses on any route. In this case tough competition will be there, which will be to the benefit of the passengers.

In case Government is not in an agreement with the suggestion given by me above, then in order to check corruption they should adopt better system for the purpose of issuing permits. It is only then that corruption can be checked.

Government says that there were some capitalists in the country who had monopoly in industries and that they would put an end to monopoly system and give relief to the poor. If they are sincere in their slogan then I would like to tell them that there is monopoly in the field of buses and trucks also. In some cases there are twenty or fifty permits for plying buses. Hence in order to remove monopoly in this field, Government should adopt a policy to issue one permit to one person. Cooperative societies should be given preference in the matter of issuing permits. Government should also see that that permits-holder plies the bus himself. A permit-holder who does not ply the bus and sells his permit further should be punished and his permitshould also be cancelled.

There is a provision under clause 4I that in case an announcement is made regarding the nationalisation of some route then all the permits will be cancelled and the persons concerned will be required to get temporary permits and at the time of modified scheme permits will be cancelled. In such cases persons concerned should be compensated.

As far as the question of inter-state permit is concerned the difficulty has arisen in the case of new states. In this connection states quo should be maintained *i e.* new permit should not be required in case an area of 16 kilometres of another state falls on the route for which permit has already been issued.

The announcement for the application of permits should be made not only in the gazette but also in a daily and a local newspaper also.

The slogan of nationalisation is being heard from Government's side every now and then, but nationalisation should be done only where it is beneficial for the masses. So far as transportation is concerned, Government do not haye enough buses to meet the requirements of all the areas. Government will therefore have to depend upon private buses and trucks. Hence before nationalisation Government should see to the interests of the the masses. I would request the hon. Minister to visit the Delhi Inter-State bus stand and see the conditions prevalent there. He will find a lot of difference between private and Government buses. In the private buses there are no difficulties but in the Government buses the employees do not work efficiently. They do not cooperate with the people. They do not bother about the convenience of the people because they get fixed emoluments from the Government. This is the reason that all Government buses run in loss. So, my suggestion is that in order to create competition private buses should also be allowed on the routes on which Government buses are plying Hence instead of nationalising transport buses should be run through cooperative societies.

I would like to say one thing about drivers also. The largest number of accidents occur in this country. In has been reported in the newspapers today that five persons die in Delhi on accounts of accidents every day. The root cause of it is that the drivers are not given proper training. So I would like to suggest that training schools should be opened and the drivers should be given licences after they get training from these schools. The condition to produce a medical certificate should be imposed on others also alongwith drivers.

The number plates should be both in English and Hindi. Similarly mile stones ould also appear in English and Hindi, alongwith the regional languages.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन से लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at six minutes part Fourteen of the clock.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए]
[Shri M. B. Rana *in the Chair*]

कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में छंटनी के बारे में
RE: RETRENCHMENT IN CERTAIN DEFENCE ESTABLISHMENTS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज सुबह मैंने, श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य सदस्यों ने कुछ आयुध कपड़ा कारखानों में छंटनी किये जाने की आशंका के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी । ये आयुध कारखाने शाहजहांपुर, कानपुर तथा अवदी में स्थित हैं जहां लगभग 3000 श्रमिकों को फालतू घोषित किया गया है, क्योंकि माननीय मंत्री द्वारा सभा को दिये गये आश्वासन के विपरीत कार्यभार गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया गया है । यह सरकार समाजवादी होने का दावा करती है परन्तु आयुध कारखानों का कार्यभार गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है । मैं अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ का प्रधान होने के नाते प्रतिरक्षा मंत्री को बताना चाहता हूँ कि इस कारण पांचों आयुध कारखानों में हड़ताल होने वाली है तथा उन्हें इस बारे में यहां एक वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri George Fernandes (Bombay South): We also extend our support to it. He should given an assurance here.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं भी इसका समर्थन करती हूँ ।

सभापति महोदय : सभा के सामने कोई नियमित प्रस्ताव नहीं है । परन्तु यदि अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति दे दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं ने तो अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा था ।

समापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 3000 व्यक्ति हड़ताल करने वाले हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक स्पष्ट मामला है जहाँ प्रतिरक्षा मंत्री ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है ।

सभापति महोदय : यदि यह मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के भंग का प्रश्न है तो आप आश्वासनों सम्बन्धी समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—जारी

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL—*CONTD.*

***श्री आर० एस० अरुमुगम** (टेंकासी) : मैं समझता हूँ कि इस विधेयक से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। डा० केसकर समिति ने सिफारिश की है कि समूचे देश में मोटर गाड़ियों पर समान कर लगाया जाना चाहिए। परन्तु इस सिफारिश को लागू करने के लिए इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इस विधेयक से इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर उन्हें हानि ही होगी। इस विधेयक के अन्तर्गत उन्हें परमिट का नवीकरण कराने के लिए डाक्टरी प्रमाणपत्र देना पड़ेगा जिसे प्राप्त करने के लिये उसे काफी असुविधा होगी। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें।

धारा 17 के अन्तर्गत बस केवल उसी मार्ग पर चलाई जा सकती है जिसके लिये परमिट दिया गया है। परन्तु हम देखते हैं कि कभी-कभी गाड़ी खराब हो जाती है। उस स्थिति में उसे अन्य मार्ग से भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि निकटतम स्थान पर उसकी मरम्मत कराई जा सके।

मूल अधिनियम की धारा 47 में संशोधन किया जाना चाहिए तथा तत्सम्बन्धी रियायतें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भी दी जानी चाहिए। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि यह सुविधा उन्हें इस लिये नहीं दी जा रही है क्योंकि सरकार यह समझती है कि वे लोग 75,000 रुपये व्यय करने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि अन्य लोग भी तो बैंकों से अग्रिम राशि लेकर ही गाड़ियां खरीदते हैं तथा उन्हें भी ऐसी सुविधायें मिल सकती हैं, विशेषकर अब जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। अतः यह तर्क उचित नहीं है। संविधान खण्ड 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग आर्थिक दृष्टि से उन्नति नहीं करते देश में आर्थिक विकास नहीं हो सकता। परन्तु आर्थिक दृष्टि से उनका विकास करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। समाजवाद का नारा केवल नारे के लिए ही नहीं लगाया जाना चाहिए। चाहे रघुरामैया ने अपनी असमर्थता प्रकट की है परन्तु इसके सम्बन्ध में अब भी संशोधन लाया जा सकता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ कि जिसे परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री ने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके सम्बन्ध में डा० वी० के०

---

* मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

* Summarised translation of the English translation of speech delivered in Tamil.

आर० वी० राव ने संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिए कहा था जिसे बाद में नियुक्त किया गया था। उस संयुक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सदस्यों को प्रस्तुत कर दिया है। इस विधेयक को देशवासी चिरकाल से मांग करते आ रहे हैं क्योंकि पुराने 1939 के अधिनियम से वर्तमान आवश्यकतायें पूरी नहीं होती थीं। जब अंग्रेजों के शासनकाल में 1939 यह अधिनियम बनाया गया था तो उनके दृष्टिकोण से आवश्यकतायें भिन्न प्रकार की थीं। अतः उस अधिनियम में बहुत त्रुटियां रह गई थीं। उन त्रुटियों के कारण सड़क परिवहन की प्रगति में बाधा पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए सड़क परिवहन का विकास होना आवश्यक है। इस संदर्भ में समूचे अधिनियम में संशोधन करने वाला एक व्यापक विधेयक लाना आवश्यक था। परन्तु दुर्भाग्यवश वर्तमान विधेयक पर्याप्त नहीं है। यदि हमें ग्रामीण क्षेत्रों को देश के सभी भागों से मिलाना है तो सड़क परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। परन्तु प्रोत्साहन तो दिया ही नहीं गया है बल्कि उसके रास्ते में रोड़े अटकाये गये हैं। इस सारी व्यवस्था पर इतने कर लगाये गये थे कि सड़क परिवहन सम्बन्धी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये अपना व्यापार जारी रखना मुश्किल हो गया है।

ऐसा कहा जाता है कि हमारी मोटर गाड़ियों पर विश्व में सब से अधिक कर लगाये जाते हैं। अतः इस दिशा में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। हम इस बात से प्रसन्न हैं कि सड़क परिवहन कर जांच समिति ने इस बात का उल्लेख किया है। केसकर समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के कार्य को महसूस न करना तथा उसके रास्ते में रोड़े अटकाना, जिससे सड़क परिवहन का विकास रुक जाये, अत्यन्त हानिकारक बात है। अतः मोटर गाड़ियों के करों में कुछ राहत दी जानी चाहिये।

लगभग 20 वर्ष तक परिवहन संगठन से सम्बद्ध होने के नाते मैं यह बताना चाहता हूँ कि लोक सेवा के लिए गाड़ियां चलाने का व्यापार करना नामुमकिन हो गया है। हमें टायर भी काले बाजार में मिलते हैं। हमें फालतू पुर्जे भी 200 प्रतिशत तक अधिक दाम खर्च करके काले बाजार में खरीदने पड़ते हैं। पेट्रोल आदि की कीमत भी बहुत बढ़ गई हैं। अतः उन्हें चलाने की लागत लगभग 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पास लगभग 2 लाख 75 हजार ट्रक, लगभग 80,000 बसें तथा लगभग 35,000 टैक्सियां हैं तथा 90 प्रतिशत मोटर गाड़ी मालिक ऐसे हैं जिनके पास केवल एक मोटर गाड़ी है। अतः उनके लिए उचित रूप से हिसाब-किताब रखना कठिन है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम देश में बेरोजगारी केवल सड़क परिवहन से ही हल कर सकते हैं। एक ट्रक से 12 से 15 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। अतः परिवहन का अवश्य ही विकास किया जाना चाहिए।

श्री तुलसीदास जाधव ने कहा है कि चुंगी लगाना आवश्यक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि यह केवल उनकी राय ही नहीं है अपितु सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति का भी यही मत है।

हमें अन्तर-राज्य परिवहन की ओर भी ध्यान देना है। अन्तर-राज्य परिवहन आयुक्त

अपनी सीमाओं के कारण अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सका। सड़क परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें आवश्यक शक्तियां अवश्य ही प्रदान की जानी चाहिएं। इस विधेयक में इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।

कुछ राज्यों में बसों में बहुत ही भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है। अतः हमें इस ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं यह ही कहना चाहता हूं कि माननीय उप-मंत्री जी व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने के वचन को पूरा करें।

*श्री किरतिमन (शिवगंज) : मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है तथा अब उस पर इस सभा में चर्चा हो रही है। इस विधेयक पर तमिल में बोलने का अवसर दिये जाने पर मैं आपका आभारी हूँ।

यह विधेयक 1965 में ही लाया जाना चाहिए था। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की ओर से मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

मैं नहीं समझता कि इस विधेयक से सम्बन्धित लोगों की सारी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। माननीय मंत्री ने स्वयं सभा को यह आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में एक व्यापक विधेयक लायेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह व्यापक विधेयक शीघ्र लाने की कृपा करें।

हमारे देश में सड़कें बहुत कम हैं। अतः जब तक हमारे देश में सड़कें काफी नहीं हो जातीं, सड़क परिवहन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। राष्ट्र की कुल आय में सड़क परिवहन का अंशदान 20 प्रतिशत है। हमें सड़क परिवहन से लगभग 400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मि जाते हैं परन्तु हम सड़कें बनाने तथा उनके रखरखाव पर केवल 140 करोड़ रुपये व्यय करते हैं। तमिल नाडु के लोगों को यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार ने तमिल नाडु में सड़क परिवहन के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया है।

परिवहन उप-मंत्री जब हाल में तमिल नाडु गये थे तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ईस्ट कोस्ट रोड को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाये। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह तमिल नाडु के लोगों की इस मांग को पूरा करें।

मुझे खेद है कि इस विधेयक में इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है कि मील पत्थरों पर किस भा ा में शब्द लिखे जायें। जन संघ के एक सदस्य ने कहा था कि हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये। परन्तु मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली एक ऐसा देश है जहां केवल विभिन्न राज्यों के लोग ही नहीं अपितु अन्य देशों के लोग भी आते हैं।

बहुत से सदस्यों ने इस विधेयक की धारा 41 का उल्लेख किया है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि यह धारा इस विधेयक में तमिल नाडु सरकार के सुझावानुसार ही लाई गई

* मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

* Summarised translation of the English translation of the speech delivered in Tamil.

है । विभिन्न क्षेत्रों की ओर से बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया है । अतः मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य धारा 41 का समर्थन करेंगे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने हाल ही में समाजवाद की बातें अधिक करनी आरम्भ करदी हैं । मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय मंत्रियों की तुलना में राज्य सरकार तथा राज्यों के मंत्रियों के सम्पर्क जनता से अधिक होते हैं । अतः अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं, अर्थात जब सत्तारूढ़ दल में विभाजन हो गया है, तो सरकार को संविधान में संशोधन वाला एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिससे राज्यों को अधिक शक्तियां दी जा सकें ताकि वे अपने लोगों की इच्छायें तथा आकांक्षायें पूरी कर सकें ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : In the big cities ring roads have been constructed, but on the highways passing through big villages accidents occur frequently. Hence I would like to suggest that ring roads or by-passes should be constructed in big villages through which national highways pass. You have taken an appreciable step by asking the State Governments to make arrangement for constructing roads in the villages adjacent to national high-ways. It will be beneficial both to the people and the Government People will get facilities and the Government will get money is the form of taxes.

Arragements should be made to construct sheds on the bus stands on national high-ways. Efforts should also be made to reduce over-crowding in buses. Government should pay head to the charter of demands submitted by drivers, conductors and others.

I feel that contractors and transports should be represented in R. T. A. Its constitution should be most democratic.

I am of the view that permit system should be abolished as it leads corruption. In case it is not possible to do so, then the poor person, Harijans and ex-service men should be given preference in this regard.

I would like to bring one thing more to the notice of the hon. Minister that in villages there are *Kutcha* treks. Therefore 50 per cent rural routes should be given to good transport companies so that some improvements may be made there also.

I am very happy that Government has made a provision for the tribunal in the Bill.

I am in favour of nationalisation of transport throughout the country. All the big routes should be nationalised.

I want mileage on bus routes should be fixed afresh as passengers have to pay more at present. The real distance from Sonepat to Rohtak is thirty miles but on paper it has been shown as 35 miles. Moreover, passengers have to pay total distance, although the actual distance for which they travel is less.

Local buses should also be introduced upto district headquarters. This facility should be extended to ruralites.

Scooterwalas are doing a lot of mischief. They charge much more than the acutal charges. They are also responsible for more accidents. Government should take steps to avoid overlouding in them.

Tractors should also come in motor Vehicles Act. They should be permitted to carry more persons in tractors.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : जब 1939 में मोटर गाड़ी अधिनियम बनाया गया था तब अंग्रेज लोग सभी शक्ति अधिकारियों के हाथों में रखना चाहते थे । 1939 के बाद सबसे पहले विधेयक 1965 में इस सभा के विचारार्थ लाया गया था तथा उसके बाद अब यह 1969 में सभा के विचारार्थ लाया जा रहा है ।

1959 में सड़क परिवहन का पुनर्गठन करने लिये एक समिति बनाई गयी थी जिसने कुछ सिफारिशें भी की थी। परन्तु 959 से लेकर 1969 तक की भारत में काफी परिवर्तन आ गये हैं। राष्ट्रीय राजपथ बनाये गये हैं, जिनके कारण ड्राइवरों, कंडक्टरों तथा यात्रियों के लिये कुछ नई समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं। इसलिये अच्छा होता यदि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक व्यापक विधेयक लाया जाता।

परिवहन व्यवस्था से चार किस्म के लोगों का विशेष रूप से सम्बन्ध होता है। (एक) यात्री लोग (दो) ड्राईवर, कण्डक्टर आदि तथा उनकी आवश्यकतायें, आशायें आदि (तीन) सरकार तथा (चार) वे लोग जिनके हाथ में परिवाहन व्यवस्था हो। मुझे खेद है कि इस विधेयक में इन चारों किस्मों के लोगों की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

परमिट प्रणाली मे सरकारी अधिकारियों को इतनी निहित शक्तियां मिल गई हैं कि इससे भ्रष्टाचार पनपने लग गया है। मुझे खेद है कि तत्सम्बन्धी धारा 55 में संशोधन नहीं किया जा रहा है।

1939 में अंग्रेजों ने यह सोचा था कि परमिट देने के मामले में सरकारी क्षेत्र को वरीयता दी जानी चाहिये परन्तु यह नियम कागजों पर ही रहा तथा उसे लागू नहीं किया गया। बहुत से इंजीनियर तकनीशन आदि बेरोजगार हैं। अतः इस विधेयक में कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये थी जिससे सहकारी समितियां बनाने में उनकी सहायता की जा सकती। गत 10 वर्षों में जनसंख्या काफी बढ़ गयी है। तथा भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर अधिक बसों की व्यवस्था की जानी चाहिये थी परन्तु इस अधिनियम में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

मैं समझाता हूं कि परमिट देने का सारा काम न्यायिक न्याधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिये। यह न्यायाधिकरण प्रत्येक मामले के गुण दोषों को देखकर परमिट देने का निर्णय करेगा।

भ्रष्टाचार कई प्रकार से किया जाता है। धन लेकर परमिट देना एक तरीका है। दूसरा तरीका है बेनामी लेन-देन हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सरकारी विभाग में जान पहचान होती है तो उसे तो दो तीन परमिट मिल जाते हैं। वह व्यक्ति बस को अपने नाम पर ही रखकर उसे दूसरों से चलवाता है। इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने का कोई उपबन्ध नहीं है।

अब मैं कुछ बातें ड्राइवरों और कंडक्टरों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हम समाजवाद की बात तो करते हैं परन्तु हमें परिवहन कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था इस विधेयक में भी करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है।

मैं समझाता हूं कि ड्राइवरों और कंडक्टरों का व्यवहार इसलिये ठीक नहीं होता है कि वे वेतनमान अच्छे न होने के कारण निराश रहते हैं। अतः उनके वेतनमानों में सुधार किया जाना चाहिये। कलकत्ता में स्नातक तथा स्नातकोत्तर ये काम करते हैं। उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।

1959 में बनाई गई सड़क परिवहन समन्वय समिति ने देहाती क्षेत्रों में बसें आदि चलाने

के लिये परमिट देने के बारे में बहुत अच्छा सुझाव दिया था। सभी को लाभप्रद मार्गों के साथ अलाभप्रद मार्ग भी दिये जाने चाहिये। परन्तु विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस बारे में अधिक विचार करना चाहिये तथा एक व्यापक विधेयक विचार भविष्य में लाना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Mr. chairman, Sir, this Bill has so many short comings that it would have been better to wait for another six months and to bring forward a foot-proof comprehensive bill. We find that 30 to 40 thousand applications are received but permits are issued only to three or four persons, which leads to corruption. There should be a simple law that anybody with a vehicle getting it registered, will be granted a permit. The control and permit system gives birth to corruption and it should be abolished.

Secondly, there should be no law restricting the maximum speed of a vehicle. It is a pity that people are challaned here for overspeeding, when the whole world is racing forward. Contiary to it, in other countries people are challaned for underspeeding. I will suggest that people, who drive at a speed or less than 80 miles per hour would be challaned. Then the vahicles with low ceiling, such as Fiat and Standard cars, cause diseases like T. B. Such vehicles should be utilised for carrying primary school children.

A provision has been made in this Bill for production of fitness certificate by a truck driver after every one or two years. When there is no provision for fitness certificate for passengers, why should there be a provision to this effect for a driver. It is against our constitution which guarantees a fair field and no favours to all of us. Lastly, coming to my amendment, I would submit it is a best on our country to retain the provision of displaying of registration number on vehicles in Roman words and Arabic numerals even after independence. We should pass a law making it obligatory to display the numbers in Hindi and in regional language beneath English number.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : It is most welcome that Government are taking steps towards the goal of socialistic economy but certain limits are imposed in such legislations which defeat their very purpose. There are about 89,000 buses and 2.75 lakh trucks in our country and crores of our people are working in this industry, but no provision has been made to check corruption in the matter of issuing road permits. There are cases where one individual owns 50 buses There are some big congress leaders who obtained road permits and later sold them away. There should be some check on such malpractices.

The big financiers and capitalists are advancing money to people for purchase of buses, trucks and taxis and realise in advance the interest for the next ten years but if by force of circumstances one defaults in repayment of just one instalment, his vehicle is seized. In these circumstances, I will urge upon the Government to arrange for advancing of loans to the poor for purchase taxis and buses at cheap rate of interest be the nationalised banks. Such a provision should be incorporated in this Bill.

Then priority should be given to the cooperative societies and weaker sections of the society in issuing road permits. The transport industry should also be nationalised so that more funds may be available for improving the bus services and the condition of roads. The issue of language of numerals on the number plates was discussed in detail in the select committee. Some members wanted these to be written in all the 14 Indian languages. How far it is practicable. The Roman numerals are the recognised international numerals and they are understandable for the police constables throughout the country. Therefore, I would favour the English numerals. At the most these may be written in Hindi as well as English.

Some hon. members complained of overcrowding in buses. In case of overcrowding, operators are challanged and even permit is cancelled. The drivers have to yield to the

threats of the passengers to accommodate them in buses as permits issued are not sufficient to meet the demands of the travelling public. Otherwise people may assault them and damage their buses. Therefore, I would appeal that to meet the needs of the people and to avoid overcrowding in buses, permits should be issued liberally. This should, however, be ensured that no second permit is issued to one party. The disposal of applications for renewal of permits is very slow steps should be taken to ensure their expeditious disposal. The poor drivers should not be asked to produce medical certificate periodically once they have produced a medical certificate.

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh) : The original Act now being amended was passed in 1939. Since then the position has changed considerably. Therefore, it would have been better to bring forward a new comprehensive Bill instead of the present amendment Bill. The numerous restrictions on the issue of permits in each state are the cause of overcrowding in buses. As a result of heavy bidding on permits only rich people are able to obtain them. Therefore. I will urge upon the central Government to issue instructions to the State Governments to grant permits liberally. This will result in healthy competition among bus operators and increased facilities for the passengers. Now the buses are detained by police inspectors according to their convenience which causes hardship and inconvenience to passengers. Such things should be checked and the buses should run on schedule

The condition of not only regional roads but of national highways also is very bad. The national highway No. 26 from Sagar to Nagpur *via* Gwalior, Jhansi, Lalitpur is in such a bad shape *Kucha* roads are better than this national highway. More funds should be made available to the states for repair and maintenance of roads. There are disputes over the sharing of costs of construction of bridges on rivers on national highways by various states. The construction of a bridge on river Japne at Ghoontaghat between Jhansi and Tikamgarh, a decoit-infested area, for which a provision of Rs. 16 lakhs is understood to have been made, should be expedited. Construction of such bridges, wherever necessary should be expedited.

We find that North Avenue, where M. Ps. live, is very well kept but rural areas where 80 per cent of our people live are neglected. Very low claims were made in the First Plan about improving the conditions in the rural areas but those dreams are yet to be realised. The Union Government should provide sufficient funds to various states so that they may attend to repairs of roads in the rural areas.

We find that road transport has been partly nationalised by state Governments with the result that private as well as Government roadways fly on one and the same route. Private operators bribe conductors and drivers of Government roadways and take away bulk of the passenger traffic while Government buses carry a few left-over passengers. Therefore, routes should be fully nationalised and private buses should not be allowed to operate on these routes. In my tehsil headquarter Niwari the bus stand is located as far as five miles. Inspite of my repeated requestes in writing to U. P. Government, no bus-stand has been provided near this place. With these words I support this measure.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, the hon. minister said while moving the bill that he will be bringing forward a comprehensive Bill on the subject. May I know then the necessity to bring the present measure ? It has been stated in clause 1(2) of this Bill that it shall come into force on such date as the central Government may, by notification, in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act. May I know which of the provisions will be enforced earlier and which one later on ? I feel no provision is going to be enforced and this Bill will lead only to malpractices and corruption.

Pandit Jawahar Lal Nehru said that India was in Bicycle age but they want to prove that we have entered the motor age. In fact in India there is one motorcar for every 5,000

people, whereas in U. S. A, which is on top in this respects, there is one motorcar for every three persons. Then we can not even dream the facilities provided for pedestrians in foreign countries, For example, in case of roads in school zones in U. S. A., there are signboards reading 'School-Go-Slow' indicating the maximum permissible speed. But there is no such provision in the present bill.

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : This provision is there in the main Act.

Shri Shiv Chandra Jha : There is no provision about not blowing of horn near hospitals.

This Bill provides for prosecution of those who do not obtain licences or permits. This will lead to corruption in courts or tribunal who will try such cases.

I am in favour of bringing passenger traffic and good transport in the public sector. But where it is not possible for Government to make their own arrangements, private sector should be encouraged by giving permits and loans. Attention should also be paid to the rural areas, which are utterly lacking in transport facilities. In such areas all facilities should be provided to the cooperatives.

This Bill empowers the officers of courts etc. to carry out search without a warrant. This is against the constitution. Then we should create a sense of duty in the hearts of conductors and provide recreational centres and other entertainment facilities to them. I, therefore, appeal that all these suggestions should be accepted and a new comprehensive Bill should be brought forward so that the problems of the road transport are solved and transport facilities are increased. With these words, I oppose this measure.

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : यह विधेयक राष्ट्र की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य में असफल रहा है। किसी मोटर गाड़ी विधेयक के तीन मूल उद्देश्य होने चाहिए आम जनता के लिए एक सुविधाजनक परिवहन साधन की व्यवस्था, उद्योगों के विकास के लिये सस्ते माल परिवहन की व्यवस्था तथा कर से रूप में सरकार को कुछ आय। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि दुर्घटना होने पर यात्रियों को तथा माल के गुम अथवा क्षतिग्रस्त होने पर माल भेजने वालों को प्रतिकर के दावों का शीघ्रता से निपटारा और भुगतान हो। अब हमें देखना चाहिए कि क्या यह विधेयक इन उद्देश्यों को पूरा करता है।

जहाँ तक यात्रियों की सुविधाओं का प्रश्न है, हम देखते हैं कि जहां यातायात अधिक हैं वहां बसों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं। इसका कारण यह है कि बस मालिक चाहते हैं कि इन मार्गों पर और बसें न चले तथा वे अपनी बसों में अधिक से अधिक यात्रियों को ले जाकर खूब धन कमा सकें। इससे एकाधिकार के पनपने के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परमिट और लाइसेंस व्यवस्था एकाधिकार के पोषक हैं, इसलिये एकाधिकार को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय रूट परमिट व्यवस्था समाप्त करना है। इससे प्रतियोगिता होगी, किराये कम होगे। सुविधाएं बढ़ेंगी और आम जनता को लाभ होगा। एक अन्य तरीका किसी मार्ग को पूरी तरह अपने हाथ में लेकर और अधिक बसें चलाना है। अन्यथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को अधिक से अधिक बसें चलाने दिया जाये। परमिट व्यवस्था से केवल बस मालिकों और नौकरशाही को लाभ होता है। इस परमिट व्यवस्था के समर्थन में एक तर्क यह दिया गया कि अन्यथा रेलवे को नुकसान होगा तथा यात्री किराये तथा माल भाड़ा दरें कम हो जायेंगी और रेल से कोई यात्रा नहीं करेगा। रेलवे में पहले ही काफी गड़बड़ी है। हमें एक अकुशल व्यवस्था

को चालू रखने के लिये दूसरी व्यवस्था को भी अकुशल नहीं बनाना चाहिये । बस चलाने वाले व्यक्तियों को भी कुछ कठिनाइया आती हैं । यदि आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बम्बई में बसें चलाना चाहते हैं, तो आपको रूट परमिट लेने के लिये चार भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थानों में जाना पड़ेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि समूचे देश के लिये परमिट देने के लिये एक केन्द्रीय अधिकार होना चाहिये ।

किसी यात्री की अंग-हानि अथवा मृत्यु होने पर प्रतिकर के दावों पर विचार करने के लिये एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई हैं, परन्तु 2000 अथवा इससे अधिक मूल्य के माल की हानि के मामलों के लिये पृथक न्यायालय की व्यवस्था की गई है । दो भिन्न-भिन्न अधिकार बनाने के क्या कारण हैं ? सभी दावों के निपटारे के लिए एक ही न्यायाधिकरण होना चाहिये । बस-ट्रक मालिकों के लिये विभिन्न शुल्कों के स्थान पर एक समेकित शुल्क होना चाहिये । करों के प्रश्न के बारे में मेरी धारणा यह है कि यदि अधिक बसें चलाई जायेंगी, तो कर के रूप में अधिक राशि प्राप्त होगी । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रूट परमिट व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : आजकल क्षेत्रीय प्राधिकार एक राज्य के लिये परमिट देते हैं तथा दूसरे राज्य के लिये दूसरे प्राधिकार से उसको पृष्ठांकन कराना पड़ता है । इस प्रकार यह पासपोर्ट और वीजा के समान ही हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी बाधाओं को और पाबन्दियों को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है । इससे तो ऐसा आभास होता है कि सभी राज्य स्वतंत्र हैं । जब एक राज्य एक लारी अथवा कार के लिये लाइसेंस देता है, तो उसे बिना किसी पृष्ठाँकन के सभी राज्यों में जाने की छूट होनी चाहिये, विशेषरूप से जबकि इन सबका आधार केन्द्रीय विधान है ।

सड़क परिवहन पर बहुत अधिक कर लगाये गये हैं परन्तु इनके बदले में उन्हें क्या मिलता है ? हमारे देश के कुछ भागों में तारकोल की सड़कें 12 फुट चौड़ी भी नही हैं और हमारे राष्ट्रीय राजपथ केवल 12 फुट चौड़े हैं । इसके अतिरिक्त सड़कों के दोनों ओर का कच्चा भाग सड़क के समतल नहीं है जिसके कारण बसें गिर जाती हैं । क्या सुविधाजनक दूरी पर शैड़ बनाना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? बर्मा शैल वाले अनेक स्थानों पर मोटल बना रहे हैं । हमारे राष्ट्रीय राजपथों पर यात्रियों ड्राइवरों और कंडक्टरों के विश्राम करने तथा जलपान करने के स्थल होने चाहिए तथा वहां पर पुरुषों तथा महिलाओं के लिये उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये । आज राष्ट्रीयकरण की चर्चा है । आप कुछ जिलों में राष्ट्रीयकरण करें और कुछ में गैर-सरकारी बसों को चलने दें, ऐसा नहीं हो सकता है । चुनाव के समय इन गैर-सरकारी बस मालिकों से निर्वाचन कोष के लिये धन-संग्रह किया जाता है । इसलिये राष्ट्रीयकरण युक्तिसंगत आधार पर होना चाहिये । आप राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करें और गैर सरकारी व्यक्तियों को शटल सेवायें चलाने दें । परन्तु राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ हमें राष्ट्रीयकृत सेवाओं की कुशलता की ओर भी ध्यान देना चाहिए । आज दिल्ली अथवा हैदराबाद में राष्ट्रीयकृत बस सेवा में पुरानी और धुंआ छोड़ने वाली बसें चल रही हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इस विषय में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है । यदि मंत्री महोदय इस बारे

में विशेष रुचि नहीं लेते तो राष्ट्रीयकरण बदनाम हो जायेगा। इन राष्ट्रीयकृत सेवाओं के 50 प्रतिशत अधिकारी वास्तव में राष्ट्रीयकृत बस सेवा में विश्वास नहीं रखते हैं।

आज भारत में प्रतिदिन लगभग 150 व्यक्ति मोटर गाड़ियों के नीचे आकर मरते हैं। आज सारे देश में सड़क दुर्घटनायें एक सामान्य बात हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। निर्धारित रफ्तार से तेज रफ्तार पर मोटर गाड़ी चलाने तथा बसों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों को बैठाने पर दंड देने के लिये चलते फिरते न्यायालयों की व्यवस्था किये जाने और साथ ही उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि मजिस्ट्रेटों पर हमले किये जाने के समाचार आते रहते हैं। बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ को कम करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I congratulate my hon. friend who has taken some steps towards progress. Being a transporter himself, he has got rich experience of this industry.

I endorse the views expressed by Shri Viswanatham that if a lorry or a car is registered in one State, it must have free access throughout the country. The bus and truck operators rendered a valuable service to the country during the Indo-Pak conflict and many of them laid down their lives. I would appeal that they are allowed to pay all their dues to one central authority. They should not be made to go from one authority to another.

I belong to Punjab which has made the largest contribution to the transport industry throughout the country. Punjabis are playing a dominant role in the transport industry in each and every part of the country. After the division of Punjab they are required to pay taxes at three different places. Then there is difficulty in obtaining tyres. ESSO and B. O. C. had been selling the lubricants at 11 paise more per litre for a number of years. It is welcome that Government is gradually taking over this industry in their own hands.

The provision regarding arrest without warrant is not proper. Clause 41, 54 and 62 need to be reconsidered and made liberal. I hope more progressive steps would follow and a comprehensive Bill will be brought forward.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Mr. Chairman, Sir, whatever legislation we make here, it should do maximum good to the maximum number of people. The measure under consideration fails to achieve this objective. The conditions have completely changed since 1949 when the Motor Vehicles Act was passed and the number of vehicles, cars, taxis, buses etc. have registered manyfold increase. Nothing short of a new comprehensive Bill can meet the situation and the problems of the transport industry.

The transport service have been badly neglected in the rural areas. The buses are very old and are in warnout condition. In these buses people have to travel in pitiable conditions on roofs and footboards. I had the honour of serving on the Select Committee on this Bill. I have appended a note of dissent to the report suggesting a provision to abolish the licence and permit system which restricts the number of buses on any route. I am happy to see that this demand has found wide support from all sections of the House. Now the big business houses and rich man are able to obtain permits. With the increase in the number of buses, competition and facilities will grow and the general public will benefit from it. Our Government talk of socialism but they are working in view of the interests of business class.

Some of my friends suggested nationalisation of routes but more nationalisation will not solve the problem. We have got the example of Calcutta, where people have to travel on footboards and hang on to the doors risking their lives. Buses should be provided in

adequate numbers or else private operators should be allowed to operate. As regards number-plates, these should be in Hindi and regional languages, which can be understood easily. The provision regarding contributory negligence in cases of payment of third party insurance claims is not proper. The octroi levied at various places, as in the case of Hardwar and other places in U. P. should be abolished.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : I had the honour of serving on the Select Committee on this Bill. I was told in the Committee that a comprehensive Bill will be brought forward shortly. The Act, now in force, is full of shortcomings which have resulted in widespread corruption. The rich persons who own large number of buses and have influence on District Magistrate or Police Officers, are dominating the transport industry and are dictating terms suited to their interests and convenience. The conditions of poor operators who own 1 or 2 buses or trucks only is pitiable. The incidence of taxation, which is very high now, should be reduced.

The small operators are facing great difficulty in obtaining tyres and spare parts. They have to pay exorbitant prices in black-market. All workers in this industry, conductors, drivers, cleaners, etc., are temporary. Many of them have put in more than 20 years of service but still they do not have any security of job or other facilities such as weekly wages, medical attendance, annual increments although a number of penalties have been provided for them in the Act. All these points should be incorporated in the comprehensive Bill.

Accidents take place as the drivers and conductors are forced to overload and operate the defective vehicles by the owners and they have so choice but to obey such instructions as their job is at stake. Drivers are asked to carry 12 to 14 tons of goods in a truck of 7 tons capacity and cover a particular destination in a given period of time irrespective of the speed-limit. They have to work at odd hours. Some provision ought to be made to dispense with these ills. By making provision for production of medical certificate at specific intervals, they are arming the transport owners with another weapon to harass drivers.

As regards nationalisation, private buses should also be allowed to run side by side with nationalised transport. We have the experience of West Bengal before us, where private buses had to be allowed after 10 years of nationalisation**.

Mr. Chairman : Now you may please resume your seat, your name was not there. What you are now speding will not be recorded.

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह): सभापति महोदय माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। खण्डों पर चर्चा के समय हम उन पर विचार करेंगे। कुछ सदस्यों ने ऐसे विषयों का उल्लेख किया है, जो वर्तमान विधेयक के विषय-क्षेत्र से बाहर हैं, जैसे राष्ट्रीय राजपथों की दशा में सुधार।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि जब एक व्यापक विधेयक लाने का विचार है तब यह विधेयक क्यों लाया गया है यह विधेयक 1965 में श्री राजबहादुर द्वारा लाया गया था और श्री पुनाचा पुनः इस विधेयक को लाये तथा तीसरी लोक-सभा के बाद दोनों सदनों ने इस विधेयक पर एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की। वर्तमान विधेयक इस समिति की सिफारिशों पर आधारित है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें विलम्ब करना उचित नहीं है। इसलिये इस विधेयक में उनका

****कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

****Not recorded.**

समावेश किया गया है। व्यापक विधेयक लाने से पहले एक मॉडल विधेयक बनाया जायेगा जिसपर परिवहन विकास परिषद् विचार करेगी। इस विधेयक को मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है, इसलिये राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है और साथ ही समूचे देश के लिये समान व्यवस्था करनी है। इन सब कारणों से इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए कुछ विषयों को इतने समय तक टालना उचित नहीं है। यह विधेयक इसी कारण लाया गया है। हम व्यापक विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्यों के सुझावों के व्यापक प्रभाव हैं, जिनके बारे में हमें राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करनी होगी।

कुछ सदस्यों ने परमिट व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया है। मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि राज्य सरकारें इससे सहमत होंगी अथवा नहीं। एक बात मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जहां तक माल परिवहन का सम्बन्ध है परमिट निर्बाध रूप से मिल रहे हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। किसी भी राज्य में कोई पाबन्दी नहीं है। हम माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करेंगे और परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने तथा लोगों को सुविधाएं देने के लिये कार्यवाही करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो रहा है। हम राज्य सरकारों से भी शीघ्रता से सुविधायें प्रदान करने के लिये कहेंगे।

सभी सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा एक सुझाव अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन आयोग के बारे में दिया गया है, यह आयोग बहुत पहले स्थापित किया गया था, किन्तु राज्य सरकारें अनेक बातों के बारे में कहती रही हैं कि वे कार्यवाही कर रही हैं तथा उस आयोग को और अधिक शक्तियां दी जायेंगी, हमें वास्तव में अन्तर्राज्यीय परिवहन का विकास करना चाहिए जिससे दूर के यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। जो भी कठिनाइयां मार्ग में आयेंगी, उनको दूर किया जायेगा, इसके लिये हम और अधिक शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं और उनको कारगर ढंग से क कार्यवाही करने के कह रहे हैं। आशा है, इससे इस मामले में और अधिक सुधार होगा।

जहाँ तक पर्यटक यातायात और पर्यटन का सम्बन्ध है हम विधेयक में ऐसा उपबन्ध कर रहे हैं कि पर्यटक परिवहन का विकास किया जाय, वे निर्यात से सम्बन्धित आवश्यताओं को पूरा करते हैं और इससे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है और इसका विकास करना न केवल निर्यात के लिए आवश्यक है, अपितु देश की आवश्यकताओं, एकता तथा अन्य कोई उद्देश्यों के के लिए भी आवश्यक है। लोग धार्मिक उद्देश्यों तथा अन्य कई उद्देश्यों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आते जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये सभी सुविधायें उनको उपलब्ध हों ताकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से और अधिक आ-जा सकें।

जहां तक चुंकी का सम्बन्ध है, इस पर परिवहन विकास परिषद् द्वारा गत वर्ष विचार किया गया था, कई राज्य ऐसे हैं, जहां चुंगी नहीं है। हम अन्य राज्यों को चुंगी भी समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। यातायात के मामले में यह एक बहुत बड़ी अड़चन है। न केवल यही अपितु विलम्ब, भ्रष्टाचार जैसी कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। हम राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में पत्र लिख रहे हैं, परन्तु उनके सामने संसाधनों की समस्या है परन्तु फिर भी हम कार्यवाही अवश्य कर रहे हैं, कुछ राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं और कुछ राज्य अभी भी असहमत हैं। हम राज्य

सरकारों को चुंगी समाप्त करने के लिए कह रहे हैं ताकि माल तथा यातायात के निर्बाध आने जाने की स्थिति में और सुधार हो सके ।

श्री महाजन ने रेल-सड़क समन्वय तथा रेल-सड़क प्रतियोगिता का उल्लेख किया था । यह बहुत पुरानी बात है । मैं सोचता हूँ अब वैसी स्थिति नहीं है, जब हमारे देश की लम्बाई लगभग 36,000 मील है और कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार की सड़कें मिला कर कुल सड़कें लगभग 6 लाख मील लम्बी है । अनेक क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जायेगा और दूर के क्षेत्रों को परस्पर मिलाना पड़ेगा, जिनको यातायात के लिए खोलना होगा, अतः जो बात वह कह रहे हैं वह तो पुरानी कहानी है । इन क्षेत्रों से यातायात बहुत आ रहा है और हम इस यातायात की अवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं । हम और अधिक सुविधाएं देना चाहते हैं ताकि सड़कों का समुचित उपयोग हो सके । हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे कि समूची व्यवस्था में सुधार हो सके ।

परमिट जारी करने के बारे में कड़ी आलोचना की गई है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये सारे परमिट राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं । फिर भी हम इस अधिनियम में इस बात का उपबन्ध कर रहे हैं कि कोई ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे अर्ध-न्यायिक कार्यवाही आरम्भ की जा सके । हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि एक न्यायाधिकरण हो जिसमें ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाये, जिनकी अर्हतायें जिला न्यायाधीशों के बराबर हों । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, हमने कार्यवाही की है और राज्य सरकारें भी सहयोग दे रही हैं । हमने सांविधिक उपबन्ध किये हैं । आवेदन पत्रों के संबंध में स्थिति यह है कि जब दो राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय करार हो तो इसको राजपत्र तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि परमिट जारी किये जाने हैं और वे आवेदन पत्र दे सकें ।

इस संदर्भ में चौधरी रणधीर सिंह तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने अनुसूचित जातियों तथा भूतपूर्व-सैनिकों के बारे में कहा था । यहाँ उनके लिए कोई उपबन्ध नहीं है, किन्तु हम अनुसूचित जातियों तथा भूतपूर्व-सैनिकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन अवश्य देते हैं । जहाँ तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, उनके व्यक्ति आवेदन पत्र दे सकते हैं । इस प्रयोजन के लिए, हम सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हैं । पंजाब और हरयाणा जैसे कुछ राज्यों में सहकारी समितियों को परमिट दिये जाते हैं । इनको प्राथमिकता दी जायेगी । यदि कुछ और किया जाना संभव होगा तो हम इस पर भी विचार करेंगे, इस मामले हम राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे । यही बात भूतपूर्व-सैनिकों के सम्बन्ध में भी है । दस या बीस वर्ष पहले बहुत अधिक सहायता दी जाती थी, परन्तु अब उतनी अधिक नहीं दी जाती । हम राज्य सरकारों को उनके हितों का ध्यान रखने के लिये कह सकते हैं ।

जहां तक परमिट जारी करने का सम्बन्ध है यह पूर्णतया राज्य सरकारों के हाथ में है । हम उनसे कह सकते हैं और इन बातों की ओर उनका ध्यान दिलाया जा सकता है ।

श्री आर० एस० अरूमुगम (टेंकासी) : धारा 47 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्राथमिकता देने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है :

श्री इकबाल सिंह : सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के बारे में उपबंध है परन्तु यह सब पूर्णतः राज्य सरकारों के हाथ में है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आगे हम कुछ और कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर हम अगले विधेयक में विचार करेंगे। मैं नहीं कह सकता कि क्या यह इस विधेयक में किया जा सकता है क्योंकि हम इस समय उस खण्ड में संशोधन नहीं कर रहे हैं।

श्री नायडू ने कहा है कि हम दावों को फाइल करने की अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन क्यों करें। सम्भव है घायल व्यक्ति अस्पताल में हों। हो सकता है जिस स्थान पर वह घायल हुआ था वह स्थान जिला अथवा तहसील प्रधान कार्यालय के उस स्थान से बहुत दूर हो, जहां उसे दावा दायर करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों ने हमसे अनुरोध किया है कि उनके दावे काल बाधित हो गये क्योंकि वे अस्पताल में थे और समय पर दावे दायर नहीं कर सके। इसलिए हमने समय-सीमा बढ़ा दी है। दावे के साथ, उन्हें पुलिस रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है, विद्यमान समय-सीमा के अन्तर्गत कुछ पुलिस कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है, इसलिए यह वृद्धि की है।

यह भी पूछा गया है कि जब एक परमिट तीन वर्ष के लिए जारी किया जाता है तो सरकार की ओर से इस परमिट को जारी करने में विलम्ब क्यों होता है? परमिट में बिलम्ब काल भी शामिल कर दिया जाता है। पहले परमिट के लिए जब आवेदन पत्र दिया जाता था तो 60 दिन का समय लिया जाता था, अब हमने इसे बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। नवीकरण के लिए जब आवेदन पत्र दिया जाता था तो कुछ राज्यों में औपचारिकतायें 6 महीने अथवा 4 महीने अथवा महीने तक पूरी नहीं की जाती थी। कुछ मामलों में, परमिटों का मूल परमिट की समाप्ति तारीख से नवीकरण किया जाता था जबकि दूसरे मामलों में मंजूरी की वास्तविक तारीख से इसे लागू किया जाता था। हम इस कार्य के लिए एक निश्चित समय तथा समानता चाहते थे। अतः इस प्रक्रिया में जो भी समय लगता है उसे तीन वर्ष की अवधि में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिकायतें भी मिली हैं कि जानबूझ कर सारे मामले में विलम्ब किया गया है जिससे उनको अधिक लाभ मिल सके। हम किसी भी प्रकार से लाभ देना नहीं चाहते हैं। जब 3 वर्ष के लिए परमिट और जारी किया जायेगा, तो उस समय को भी शामिल किया जायेगा और शुल्क लौटा दिया जायेगा। विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नियम के लेकिन अब हमने उनको समान बना दिया है।

खण्ड 29 के अनुसार, जब एक राज्य की बसें दूसरे राज्य में से होकर गुजरेंगी तो उनको 8 किलो मीटर तक प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 16 किलो मीटर कर दिया जाय, हम इसे बढ़ा नहीं रहे क्योंकि यदि हम इसे 16 किलोमीटर कर दें तो कोई भी बस बिना परमिट के दिल्ली, चन्डीगढ़ आदि संघ राज्य क्षेत्रों से गुजर सकती है। इससे जटिलतएं बढ़ जायेंगी और इसलिए प्रवर समिति ने इसे 8 किलोमीटर निश्चित किया है। यदि यह दूरी 8 किलोमीटर से अधिक भी हो जाये तो इससे किसी व्यक्ति का जाना नहीं रुकता। उसे केवल उस राज्य से प्रतिहस्ताक्षर लेने होंगे जिससे वह गुजर रहा है। यदि हम अधिक दूरी की अनुमति दें तो जिस राज्य से बसें गुजरेंगी उसे राजस्व नहीं मिलेगा। इसलिये पहली बार

हमने यह सुविधा दी है। यदि अधिक में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अगले विधेयक में इसकी परीक्षा करेंगे।

अब तक तीन क्षेत्रीय प्राधिकारी के नाम से होकर जाना पड़ता था परन्तु अब हम राज्य सरकारों को अधिकार दे रहे हैं और प्रतिहस्ताक्षर एक स्थान पर लिये जा सकते हैं या तो राज्य स्तर पर अथवा क्षत्रीय स्तर पर। ये दो सुविधायें हम दे रहे हैं और हमारे विचार से इन सुविधाओं से कुछ सुधार होगा। यदि अभी वे ऐसा सोचते हैं कि छोटे राज्यों को हानि होगी, तो हम उसका ध्यान रखेंगे।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : It a Bus staffs from Delhi and Haryana, Punjab and Uttar Pradesh come in the way, will one go on taking signature ?

श्री इकबाल सिंह : सबसे बड़ी आपत्ति तो दिल्ली की ही है। इनकी आपत्ति सबसे बड़ी है।

हम माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी अन्य बातों पर उस समय विचार करेंगे जब भविष्य में कोई विधेयक तैयार किया जायेगा। यह विधेयक पिछले चार वर्ष से यों ही पड़ा था। इससे मजदूरों का लाभ होगा। पहले उनको स्टियरिंग चक्र पर 9 घन्टे काम करना पड़ता था, हम इसे घटाकर 8 घन्टे कर रहे हैं। खण्ड 41 राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। कई आपत्तियां उठाई गई थी इसलिए राष्ट्रीयकरण का मामला अनिर्णीत पड़ा रहा। इस विधेयक में उसकी व्यवस्था है और हम विलम्ब नहीं करना चाहते। हमने खण्ड 41 में ऐसा सूत्र दिया है जिस पर राज्य सभा में सहमति प्रकट की गई थी और इससे दोनों पक्षों में से किसी को भी कठिनाई प्रतीत नहीं होगी।

नम्बर प्लेटों को अंग्रेजी तक अन्य भाषाओं में लिखने के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये थे। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से पूछा है। हम सभी इाज्य सरकार के विचारों को जानने के पश्चात एक विधान लाना चाहते हैं। इससे कानून को लागू करने में मदद मिलेगी। यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दें तो एक कांस्टेबल को सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ सकने योग्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर नया-सूत्र क्यों न अपनाया जाय जिसमें केवल नम्बर ही होंगे। हम लागू करने के अत्याधिक कारगर तरीके पर विचार कर रहे हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : The most important thing is that Police will have to challan those vehicles which run away after accidents. Still you are examining whethre the number should be in English or regional languages.

Shri Iqbal Singh : Whatever is given in the Bill at present will be altered by us afterwards.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : It was suggested in the joint select Committee that the number should necessarily be in English and in regional languages also. The hon. Minister had promised to pay attention it.

Shri Iqbal Singh : I have stated that we were looking into it that the number should be in English as well as in Hindi and also in regional languages or there should be number only. We will take decision after consulting the State Governments. We shall do whatever is acceptable to them. So long the change does not take place, the present system will continue.

With there words, I request that this Bill should be taken for considration.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : पहले हम खण्ड 2 को लेते हैं। श्री लोबो प्रभु के 40 तथा 41 नम्बर के दो संशोधन हैं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 40 तथा 41 प्रस्तुत करता हूँ।

मुझे मोटर परिवहन प्रशासन का अनुभव है। मोटर परिवहन के प्रशासन में तीन या चार दोष मुख्य रूप से हैं।

पहला दोष हैं मोटर परिवहन की दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। इससे होने वाली दैनिक मृत्यु 350 तक है। इसका अर्थ यह हुआ कि मोटर परिवहन से जितनी हानि तीन दिन में होती है उतनी रेलवे से एक वर्ष में होती है।

दूसरा बड़ा दोष हैं, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 25 रुपये लिए बिना न कोई परमिट दिया जाता है और न ही किसी लाइसेंस का नवीकरण किया जाता है। मैंने सतर्कता आयुक्त को पत्र लिखा परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छे मार्ग के एक परमिट के हस्तान्तरण पर 30,000 रुपये कमाये जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमिट के मामले में भ्रष्टाचार की बड़ी गुंजाइश है। इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा भी भ्रष्टाचार किया जाता है। एक पुलिस स्टेशन की मासिक कमाई 3,000 रुपये तक है। उस मार्ग पर चलने वाली कोई भी ऐसी बस नहीं है, जिसके निरीक्षण पर वे 2 या 3 रुपये मासूल के रूप में न लें।

तीसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे देश में सड़क परिवहन बहुत महंगा है, रेल जहां चार पैसे में ले जाती है, वहां बस 9 या 10 पैसे लेती है। यह दर बहुत ही ऊंची दर है। ये ही तीन मुख्य दोष हैं। जिन को दूर करने के लिए मैं अपने संशोधन पेश कर रहा हूँ।

मेरा पहला संशोधन बसों के भार के बारे में है। बड़ी बसों के सम्बन्ध में इसे 8,200 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया गया हो और मध्यम आकार की बसों के बारे में 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है। ऐसी वृद्धि करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यद्यपि मशीनी साधनों के कारण बसों में सुधार हुआ हो परन्तु सड़क अथवा अन्य यातायात सम्बन्धी उनकी कठिनाइयां दूर नहीं हुई हैं। इसलिए जब बसों के भार में वृद्धि करने की बात सोचते हैं, तो आप निस्संदेह दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। अतः मैं कहता हूँ कि भार और गति

के संबंध में नियमों को नर्म बनाने से पूर्व आपको अच्छी सड़कें बनानी चाहियें और आपके पास अच्छे परिवहन मूल्य होने चाहिए ।

अन्य संशोधनों के बारे में, मैं कल बोलूंगा ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 40 को मतदान के लिए रख रहा हूँ ।

संशोधन संख्या 40 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 40 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब हम अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे । इस समय 4.30 बजे हैं ।

देश में तोड़ फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के बारे में प्रस्ताव

Motion re : Encouragement to Subversive and Violent Activites in the Country

सभापति महोदय : अब सदन 15 मई, 1969 को श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये । निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा : —

"कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा तथा कुछ अन्य देशों द्वारा देश में तोड़ फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाए ।"

हमारे पास केवल एक घण्टे का समय है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 5.30 बजे आधे घण्टे की चर्चा है । इसलिए यह चर्चा 4.30 से लेकर 5.30 बजे तक होगी । वाद-विवाद आज ही समाप्त नहीं होगा ।

सभापति महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Some political parties are encouraging subversive and violent activies in the country with the help of some foreign powers which have posed a challenge to our democracy and independence. Police Stations are being attacked and looted. Money, weapons and literature are coming from foreign countries. Political murders are on the increase In Police Services and other Government Services the recruitment is being made only to serve their motives and in the place of constitution armed conflict is being called After five days the Chief Minister of West Bengal is going to do Satyagraha out of his complete helplessness It is very serious and deplorable. You can well imaging how alarming the situation is in West Bengal.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

In some States, some political parties have set up their independent Courts and are giving punishment to people and imposing fines on them. In village Kanki of Dinajpur district in West Bengal a person was fined in a Court of this type. Such activities are mainly prevalent in border States like Andhra, Kerala, Orissa, Bihar, U. P., Punjab and Assam.

In the first instance, I would like to say something about what is happening in West Bengal.

During the seven months preceding October there have been 378 murders and 201 murders of the political workers in West Bengal. During August and September, 675 persons were injured in 65 clashes between the political parties. Eight women were molested in the cases other then Rabindra Sarover. The Headmasters of 36 schools were forced to tender resignations. The hospital employees were assaulted in 37 cases by violating the law and order situation. The police showed apathy in 292 cases. During these 7 unfortunate months there have been 551 strikes in the industrial Sectors upto August, 367 gheraos took place and there have been lock-outs in 73 factories. 5,74,000 employees were affected by strikes and lock-outs. 61,00,000 labour hours were wasted. The lands of the poor and middle class farmers was forcibly occupied. Such things happened in Best Bengal particularly in Darjeling, Jalpaiguri, Nodia, 24-Parganas, Hugli, Bardwan, Purulia, Midnapur and Calcutta. Such activities are gathering momentum in Srikakulam and other districts of Andhra Pradesh.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से यह एक मान्य संसदीय पद्धति है कि यदि किसी विशिष्ट राज्य के मामले में विस्तार से विचार किया जाता है तो वह ठीक नहीं है क्योंकि नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। किसी विशिष्ट राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में अपनी गणना के अनुसार ऐसे आंकड़े देना, जो विवादास्पद हों ठीक नहीं है, तथा अपने प्रस्ताव को उन पर आधारित करना नियमों के विरुद्ध है। अगर पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में आप क्या करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, रवीन्द्र सरोवर की घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है। यह अनुचित है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

Shri Jaipal Singh (Khunti) : I also same a point of order.

सभापति महोदय : मैंने उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री जयपाल सिंह : आप सदस्यों को व्यवस्था का प्रश्न उठाने से कैसे रोक सकते हैं।

सभापति महोदय : क्योंकि मुझे पहले ही उठाये जा चुके व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनर्णय देना है।

श्री जयपाल सिंह : तब विनिर्णय के पश्चात मैं अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा।

सभापति महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य के समाने यह बात स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव देश में हिंसात्मक कार्यवाहियों तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों की सामान्य स्थिति से सम्बन्धित है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे राज्य विधान मंडल तथा राज्य सरकार बीच में आ जाती है। वास्तव में, जब किसी की चर्चा हो रही है तो मैं सदस्यों को कुछ विशिष्ट घटनाओं का निर्देश करने से रोक नहीं सकता। मैं प्रस्तावकर्त्ता तथा अन्य सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि किसी विशिष्ट राज्य सरकार के विरुद्ध दोषारोपण न करें।

Shri Prakash Vir Shastri : Recently the Deputy-Chief Minister of Orissa, Shri Pavitra Mohan Pradhan told me that persons were killed brutally on the border of Andhra and Orissa.

A few days before the Finance Minister of Assam Shri Tripathi made a statement in the State Legislative Assembly that such elements were trying to ruin the Assam Government with collusion with the Naga rebels. They destroy railway bridges, pipe lines, patrol depot and aerodromes, etc. Such things have happened in U. P., Bihar, Punjab and Kerala also.

I do not want to go in details about these things and want to tell from where these things are starting and who is operating such activities. The hon. Members must be knowing that recently in the month of April the 9th Conference of Communist Party was held in China. The Deputy-Chief of the Party Shri Lin Piao alleged that the Indian Government was running under the influence of U. S. S. R., U. S A. and Britain. He further added that they were creating such an atmosphere here in India that a time would come when they will be able to topple Indian Government. All such schemes are being framed there. The schemes prepared by them in India on that basis are that power can be captured by bullet and not by constitution ; farmers, workers and students should be roused for armed revolution ; subversive activities should be done in industries and law and order should be taken into hands. Such instructions and directions are being received from Peking by the Parties here who act according to their directions There are instructions that they should perform all this secretly. The hon. Home Minister admitted in this House that the Chinese Embassy has sent Money Orders to some people at certain places in Kerala. The former Chief Minister of Kerala, Shri Namboodripad had also stated that the Left Communist Party Member Shri Kunnikanal Narayanan received money from Chinese Embassy for opening a shop.

The MInister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Vidya Charan Shukla admitted this fact that political parties receive money from foreign countries for doing their work. Such statements have been made by the Home Minister Shri Chavan also. I want to know that he should have state while replying whether according to Central Intelligence Bureau's informati n any party is receiving money from China for subversive activities.

Money and weapons, both are being received through Pakistan. The Maoist Communist Party is working in Nepal on the border of Bihar and U. P. It has established contacts with some of Indian also. Training is imported there and literature and money is distributed. All these things come into light when on 1st May, 1969 in Calcutta Shri Kanu Sanyal inaugurated information of his new party He explicitly stated that their main aim will be to follow the principles of Mao and they work underground. They will make preparations for an armed revolution in different parts of the country. They will get inspiration from Peking. Full benefits will be reaped out of the conditions of revolution. After saying all this I want to say that Government is responsible for all this. I may further add that either she is not aware of the seriousness of these preparations for revolt or there are some persons in the Government itself who have a soft corner for all such tendencies.

After all what is this, when the Government is aware that this is a challenge to democracy, why effective steps are not being taken and why the Government in keeping quite.

A newspaper "Deshvriti" is published from Calcutta. It was evidently declared in that paper that our President was Mao Tse Tung and not Shri V. V. Giri. Even then the Government is keeping mum. Such a policy of indifference cannot be tolerated.

When the Government are aware that such acts of conspiracy are being done openly before them, then why suitable measures are not being taken in this respect. We fail

to understand when Government think that they will solve this problem on Social level and not on the Government level.

The subversive activities of the several new groups namely Nagi Reddy Group, Red Flag, Marxist, Leninist, Deccan Communist etc. Should be curved. It is necessary.

The causes of these subversive and violent activities should be traced and done away with.

The organisations which have started planned compaign against the constitution and democracy should be crushed with a strong hand. Those political parties should be banned who believe in subversive and violent activities and have extra-territorial loyalities. The Central Government should not sit like a silent spectator in respect of those States who are giving official-protection to such anti-national tendencies. They should use their authority before the situation becomes grave. If it requires an amendment in the constitution for this purpose, this should be done. Diplomatic relations with Pakistan and China should be abandoned because they are creating disorder within our country besides war preparations on the border.

There should be ban on the sale of Mao's and Lin Piao's literature in India because it speaks against democracy.

The Government should remain vigilant about the new collision of the Communism and Communalism and should save the country from it.

The most important point is that no such steps should be taken which encourages Communalist element if you want to remain in power.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The truth is that the law and order situation existing today in West Bengal is going to prevail throughout the country. In West Bengal workers of one party are fighting with the other party. Business has gone to dogs. The economic condition is very bad.

In Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh and in many other states such things are happening. The enemies of the country who are living there are doing all these anti-national activities with the help of foreign powers. Those persons can be of any party. But it cannot be demied that efforts are being made to bring about a sort of revolution which is called bloody revolution.

One important thing which I want to say is that strict vigilance should be kept upon the members who have contracts with the foreign ambassadors. This is one of causes for these nefarious activities. Daily meetings are held with the foreigners in the Parliament. They visit them frequently at night. I can furnish the list of members. I would like that the hon. Home Minister should get it investigated through C. B. I. The members who are indulging in such activities at present should abandon it in the interest of the country They should stop taking money from abroad and should not indulge in corrupt practices otherwise the coming generation will condemn them. Such activities are dangerous to democracy. Those who are interested in toppling the Government and aspire to remove the Congress Party from power are not loyal to the country.

Therefore, I would like to request the hon. Home Minister to stop those forces with a strong hand which want to bring destruction. Even if it requires an amendment in the constitution, we should be prepared for that.

Shri Manubhai Patel (Dabhoi) : I endorse the views expressed by Shri Prem Chand Verma that strict watch should be kept over those people who have contracts with embassies however big they may be. We told the Home Minister previously also that ban should imposed on all the communl organisations. Why this was not done ? Why ban is not imposed on R. S S. and Muslim League ? I doubt that Home Minister will do it, because in doing so he will have to put ban on Shiv Sena also. Why ban is not imposed on Shiv Sena? Why such organisation are encouraged ? During the A. I. C. C. meeting a volunteer corps

was constituted. It was given the name of "Nehru Brigade" whether the word 'Brigade' connotes something or not ? What have do you want to use. Shri Shashi Bhushan mishandled the Congress Pressident. Shrimati Tarkeshwari Sinha was slapped. All condemned it. Even then why all those persons were taken back who took part in violent activities.

Whether such actions do not promote violence in the country. Reference of Bengal has been made here. There was a growing trend of terrorist activities in West Bengal. Train services on six out of seven divisions of the South Eastern Railway were dislocated on 52 occassions. The trains running in the West Bengal sector alone suffered 541 hours detention.

दिनांक 5-10-69 के दैनिक स्टेंसमैन के एक समाचार में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कई औद्योगिक तथा अन्य संस्थानों के निरंतर बन्द रहने से चिन्तित हैं, इसी प्रकार दिनांक 5-10-69 के 'युगान्तर' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पश्चिमी बंगाल के फारवर्ड ब्लाक के सचिव "श्री अशोक कोज ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं। श्री राजनारायण और श्री जयप्रकाश नारायण ने भी पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है।

Under these circumstances the Chif Minister of West Bengal had to resort to fast and satyagrah.

The Government have failed to provide any safety to Harijan. The tribals are being harrassed and are being converted.

We are all ashamed of the communal happenings of Ahemadabad. But we should not forget that a central Minister Shri Fakhruddin Ali Ahamed is connected with the committee who organised the demonstration an the question of Al-Aqsa. We have no objections on the slogans raised during demostration but slogan like "Pakistan Zindabad" was raised. The responsibility of such thing fall on Government. Why these Pakistanis, whose period of visa was expired, were allowed to stay in India. They have hands in the communal riots.

I do not want to go into the details of the attack on Jagannath Temple but I would like to remind that Shri Bhupesh Gupta was travelling with the same person named Shri Mohammed Sadiq at Lahore house the bomb was exploded. The communists and communalists are both interested to creat lawlessness.

The question is whether the Central Government are responsible for it or not ? The Prime Minister is trying to break the stability of state Governments (*Interruptions*) The means and methods which they have adopted are against the principles of Government. These unfair mean and wrong methods have its effect on the law and order.

At last I would like to ask what steps the Government are taking against those persons who talk of breaking the constitution or who have extra territorial loyalities. The Prime Minister is taking politics to streets. Pakistanis infiltration is going on. Chinese literature, Russian Money etc. are flowing to India. How you are going to ban all such things. May I know whether the Government would enforce a ban on R. S. S., Muslim league, Gopal Sena etc. If the Government are unable to do such things then law and order cannot be established in the country.

श्री इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन से तत्व देश में कार्य कर रहे हैं जो इस तरह की अव्यवस्था को फैला रहे हैं। इन सबके पीछे किसका हाथ है ? केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को परिपत्र भेज कर यह सूचित किया कि एकता दिवस को मनाया जाये। पश्चिमी बंगाल ने इसका यह उत्तर दिया था कि उन्हें एकता दिवस

में निहित इन वाक्यों पर आपत्ति है कि राजनैतिक, धार्मिक तथा भाषायी शिकायतों को दूर करने के लिए हिंसा का आश्रय न लिया जाये। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हिंसा को स्थान देना चाहते हैं यही कारण है कि कोई समारोह न हुआ।

गांधी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर बंगलौर में क्या हुआ ? वहां माओ से संबंधित मोर्चे पाये गये जिसमें गांधी शताब्दी विचार और नीतियों पर कटाक्ष किया गया है। यही बातें हिंसा को स्थान देती हैं। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता कि कांके में क्या हुआ। वहां एक गर्भिणी महिला की भाले से हत्या कर दी गई थी। यह मामला वापिस ले लिया गया था और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यह भारत के लिए शर्म की बात है कि इस मामले में अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, मार्क्सवादी श्रमिकों को भड़काते हैं कि मजूरी बोर्ड, के मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित पंचाट को पूरी तरह से लागू करने के लिए संघर्ष करो और मालिकों से कहते हैं कि मार्क्सवादी दल के कार्मिक संघों को मान्यता मिल जाये तो वे उन पंचाटों को पूरी तरह से लागू करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह समाचार कहां से लिया गया है ?

श्रीमती इलापाल चौधरी : यह समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। लगभग 2,000 व्यक्तियों ने 24 परगना के एक गांव में हमला किया और दो आदमियों को मार दिया। पुलिस ने भी इस मामले में कुछ न किया। मीमारी थाने में भी 3,000 से 4,000 तक व्यक्ति अपने घातक शस्त्रों से लैस होकर आए और उन्होंने कृषकों की धान की फसल को लूटा पर पुलिस ने कुछ न किया (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हम इस तरह वाद-विवाद को नहीं चला सकते। यदि माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो वे एक-एक करके कहें। यदि कोई "समाचार पत्र" का नाम जानना चाहते हैं तो वे बता देंगी।

श्रीमती इलापाल चौधरी : यह स्टेट्समैन में प्रकाशित हुआ है

हमें मीमारी थाना की घटना को तार द्वारा सूचित किया गया था तब मैंने प्रधान मंत्री को घोष आयोग के बारे में लिखा था वहां मेरे वकील जिरह नहीं कर सके क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। महीला वकीलों को बेइज्जत किया गया। इन सबके पीछे यह उद्देश्य था कि घोष आयोग के समक्ष कोई गवाही देने न आए और उनको अपना कार्य बंद करना पड़े। मैंने प्रधान मन्त्री को लिखा था कि वहां यह प्रचार किया जा रहा है कि जब सरकार ने बैंकों का कार्य अपने हाथ में ले लिया है तो हम भी क्यों न मछली पकड़ने के व्यवसाय और भूमि पर अधिकार कर लें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस बात पर विचार करें क्योंकि इससे देश की शान्ति और व्यवस्था को भारी खतरा पहुंचाया हुआ है (**व्यवधान**) सरकार यह नहीं कह सकती है कि वे संविधान के अन्तर्गत कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार बहुत कुछ कर सकती है और कठोर कार्यवाही द्वारा अव्यवस्था को दूर कर सकती है।

**आय कर की बकाया राशि

INCOME-TAX ARREARS

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : In reply to my question the Hon. Minister stated that the income-tax arrears amount to Rs. 554·08 crores. Who is responsible for such huge arrears. I think that the responsibility rests on the Government. The black-money is affecting the very foundation of the economy of the country. There are two types of money. A large sum of money of PL-480 is deposited in the Reserve Bank. The other is the unaccounted money which is in possession with many people. The black-money is responsible for rise in prices. The rise in prices creates a vicious circle of demand for more Dearness Allowance and agitations and strikes etc.

These things take place due to the faulty system of Income-tax department. The Income-tax officers do not act according to rules and the assess Income-tax in a arbitrary manner. With the result the businessman never show his real income. He keeps two registers for his income. One for the Government which is not real and the other for his house. He knows that the Income-tax officer will assess his Income-tax in an arbitrary manner. In this way they do not show their real income and black-money is increasing unchecked.

Not only myself but the Prime Minister has also stated that the Income-tax department is responsible for this, when it was pointed out that Shri Jagjiwan Ram has not paid his income-tax for the last ten years then the Prime Minister placed all the blames on the Income-tax officers.

There is a rule of the Income-tax department that penalty will be imposed on those persons who fail to fill up the return. It was stated in the Rajya Sabha by the Hon. Minister that penalty was not imposed on Shri Jagjivan Ram. Then what is the rule ? There may be hundred of such cases in which penalty has not been imposed. They are playing a joke with the country.

The amount of Rs. 554 crores, which the Hon. Minister has shown a Income-tax arrears, is a bogus figures. I would like to know the amount of money on which appeal has been made ; secondly the money on which penalty has been imposed and thirdly the amount of money which will not be realised by penalty. Many persons have gone to Pakistan after 1947, there are persons like Dharm Teja who left the country and there is no hope to realise money from them. Then why not the Government write off such amounts ?

It is the rule of the Income-tax department that assessment is made on the income of businessman or industrialist and he deposits the money. If he does not deposit money or makes delay then penalty is imposed on him. I admit that appeal are made on it but it takes 42 months for the appellant to make appeal in the Appellate Tribunal. I want to know whether the Government would make arrangement to simplify the procedure and expedite the disposal.

The percentage of success of appeals against the Government in Appellate Tribunal was 31 and 39 in 1965-66 and 31 and 41 in 1966-67. This clearly shows that the Income-tax department is bogus and its assessment is wrong. I would like to know what action is being taken against the Income-tax officers who harass both the Government and the businessmen.

I would like to say about the black-money. The Government had announced in the year 1962 if the persons reveal the black-money then income-tax will be assessed on 65 per cent and the rest 35 per cent will be exempted. But in practical such thing was not done. The Income-tax department used arbitrary manner in assessing the Income-tax. I

**आधे घण्टे की चर्चा ।

**Half-An-Hour discussion.

want to know the number of cases going on in the Supreme Court and High Court in which the persons concerned honestly showed the black-money.

Lastly I would like to know whether the Government are contemplating to find out a correct way for assessment so that businessmen may not be harassed and accumulation of black-money may be checked. I would also like to know whether the Government have made any effort to bring out the black-money.

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : बकाया आय कर की राशि के बारे में मन्त्री महोदय जो आंकड़े देते हैं, वे हमेशा गलत होते हैं । मैंने 15 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7100 के उत्तर में यह पूछा था कि 1 अप्रैल 1967 को आयकर की कितनी राशि बकाया थी । मंत्री महोदय ने बताया था कि यह 551.71 करोड़ रुपये की और यह अपील, संशोधन आदि के परिणाम स्वरूप घटकर 381.61 करोड़ रुपये हो गई, जब मैंने पूछा कि यह कैसे हुआ तो मुझे कहा गया कि वर्ष 1956-57 से पूर्व 55 करोड़ रुपये का आय कर बाकी था और 91 करोड़ रुपये का आयकर वर्ष 1957-58 से वर्ष 1963-64 तक का बाकी था । इस प्रकार बकाया आय कर राशि 235 करोड़ रुपया हुई ।

मैंने यह प्रश्न परामर्शदात्री समिति में भी उठाया था और यह कहा था कि मन्त्री महोदय इस प्रकार की गणना करवायें जिससे हमें सही आंकड़े उपलब्ध हो सकें ।

अभी हाल ही में समूचे भारत में एक समायोजन पखवाड़ा मनाया गया था जिसमें सभी आयकर अधिकारियों को अपील आदि के कारण दिए छूट के धन का समायोजन करने को कहा गया था । मैं जानना चाहता हूँ कि इससे बकाया राशि में और कितनी कमी हुई है ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Hon. Minister had stated that the arrears of Income-tax were of the order of Rs. 554 crores. It is really sad that such a huge sum of money is lying as arrears.

I want to know how much arrears pertain to the period of Morarji Desai as Finance Minister and how much pertain to the period of other Finance Minister ? Secondly how much arrears are due from Capitalists like Tata, Birla, Dalmia etc.

Lastly I want to know the steps the Government are taking to realise the arrears. Are they going to attach the property of those who fail to deposit the arrears ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I want to know whether it is not the fact that the cause of such huge sum of arrears is that there are large pending cases at the disposal of the Income-tax officers ? If so then what is the number of such cases ? Will the Hon. Minister adopt stringent methods to collect such arrears ?

The Income-tax officers play the role of Courts under Income-tax Act. Their findings are Judicial findings. If the party concerned make payments as imposed by Income-tax officers but inspite of this if they make charge against this decision then whether it is not the Contempt of Court.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : बकाया आयकर की राशि के सम्बन्ध में प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है और कभी यह 550 करोड़ रुपये और कभी 560 करोड़ बताया गया है । इससे यह संदेह पैदा होता है कि सरकार सही आंकड़े एकत्र करने के लिये अथवा बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रही है । मेरा प्रश्न यह है कि सरकार 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है गत एक सप्ताह से मंत्रियों पर कर की बकाया राशि के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया जाता रहा है ।

मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने आयकर का विवरण देते समय क्या कोई आय कृषि आय के अन्तर्गत दिखायी है जिस पर कि कर नहीं लगता है।

तीसरा, मैं जानना चाहता हूँ कि गत दो या तीन महीनों से बकाया राशि की वसूली के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 17 नवम्बर के प्रश्न के उत्तर में मैंने बकाया राशि के आंकड़े 554 करोड़ रुपये बताया था। यह शुद्ध बकाया राशि है। इसमें अनिर्णीत अपील के निपटान के लिए पड़ी राशि तथा वह राशि जिसमें भुगतान करने की अवधि-बढ़ायी गयी है शामिल नहीं है।

किसी मंत्री की अवधि की बकाया राशि बताना कठिन है। वर्ष 1959-60 और इससे पूर्व के वर्षों की बकाया राशि 64.28 करोड़ रुपये, वर्ष 1960-61 से 1967-68 की बकाया राशि 265.55 करोड़ रुपये और वर्ष 1968–69 की बकाया राशि 211.77 करोड़ रुपये है जबकि चालू वर्ष 1969-70 की बकाया राशि 12.48 करोड़ है।

मैं यह बताना चाहूँगा कि निर्धारितियों करदाताओं की संख्या वर्ष 1958-59 में 9,82,232 से बढ़ कर वर्ष 1968-69 में 27 लाख हो गई है, इसके अनुपात में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है।

वर्ष 1964-65 में आयकर की वसूली 580 करोड़ रुपये है और वर्ष 1968-69 में यह वसूली 673 करोड़ रुपये तक हुई, वसूली की गई धन की राशि और करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। करदाताओं की संख्या में वृद्धि होने से आयुक्तों के पास अनिर्णित कर निर्धारण के मामलों में वृद्धि हुई है। गत दो वर्षों से हमारा यह प्रयत्न रहा है कि कर निर्धारण का कार्य यथासम्भव पूरा हो। इस उद्देश्य के लिए हमने विशेष अभियान भी चलाया था। विभिन्न आयुक्तों के पास कर निर्धारण के अनिर्णित मामले लगभग 16 लाख हैं। हमने यह निदेश जारी किया है कि कर निर्धारण के अनिर्णित मामलों को अगामी दो वर्षों में पूरा कर दिया जाये।

जो बकाया राशि मैंने बतायी है, वह अनेक कारणों से हुई है जैसे, करदाताओं द्वारा अपील करना उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय द्वारा वसूली कार्यवाही पर रोक आदेश देना, भारत को छोड़कर बाहर गये व्यक्तियों से बकाया राशि लेना, दिवाला निकली कम्पनियों से धन की वसूली आदि।

मैं यह बताना चाहूँगा कि हमने गत वर्ष आयुक्तों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जिस राशि की वसूली होना असम्भव है उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाये यह एक पेचीदा काम है क्योंकि जैसे ही बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है त्योंही सन्देह पैदा होने लगता है। इसलिए संबंधित अधिकारी आश्वस्त हो जाने पर ही प्रभावी कार्यवाही करता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बकाया राशि की वसूली नहीं की जा रही है जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, हमने इस वर्ष 69 करोड़ रुपया वसूल किया है। अतएव बकाया राशि की वसूली तथा बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में संभावित कार्यवाही की जा रही है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने अपने गत 8 जुलाई के वक्तव्य में यह कहा था दिसम्बर, 1967 के अन्त तक बकाया राशि 587 करोड़ रुपया थी। अब आप कह रहे हैं कि यह 554 करोड़ रुपये है। इन दो वर्षों में वसूली केवल 34 करोड़ रुपये हुई जबकि आप इसे 64 करोड़ रुपये बता रहे हैं। यह कैसे हो सकता है ?

श्री प्र० चं सेठी : मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें 1968-69 की बकाया राशि यथा 211.77 करोड़ शामिल कर ली गई है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष का 12.48 करोड़ भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिये एक दी हुई अवधि में आंकड़ों की कभी भी गिनती करना सम्भव नहीं है क्योंकि कभी बकाया राशि की वसूली की जाती है और कभी उसमें कुछ राशि शामिल की जाती है।

जहां तक कर से राहत का सम्बंध है, प्रशासन सुधार आयोग जैसे विभिन्न निकायों ने इसका अध्ययन किया है। विभिन्न समितियों के सिफारिशों के परिणामस्वरूप कराधान नियम (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति के समक्ष लाया गया है। इसके अनुसार छोटे करदाताओं को अपने विवरणों को साथ लेकर आयकर कार्यालय जाना आवश्यक नहीं होगा। छोटे करदाता जो आँकड़े दिखाते हैं उनको हम आमतौर पर स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार छोटे निर्धारितीयों को राहत दी जायेगी।

मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाहियां की हैं। हमने राज्यों से वसूली करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। हमने इसका कार्य करने के लिये विभाग बनाये हैं परन्तु कभी इसके कार्य में कठिनाई भी होती है। हमें इनमें उचित समन्वय लाना है।

वस्तुतः इसका कार्य क्षेत्र विशाल है और मैं प्रत्येक पहलू पर चर्चा नहीं कर सकता हूँ। जहां तक मंत्रियों के द्वारा आयकर विवरण देने का संबध है, मैंने इस पर कहा था कि मैं इस पर सतथ्य एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा। मैं केवल श्री जगजीवन राम के मामले पर ही नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे कहा गया है कि इस पर एक अलग से प्रश्न उठाया गया है और वह सभा के समक्ष आ रहा है।

अब प्रश्न अपीलों के निपटान का है। इनकी संख्या बढ़ रही है और परिणामस्वरूप हमारे पास अनिर्णित मामले भी बढ़ रहे हैं हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं ताकि अपीलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और अधिक अपील अनिर्णीत न पड़ी रहें।

श्री शास्त्री ने काले धन के पूर्ण निपटान के बारे में कहा है। काले धन को बताने के लिए जो विभिन्न योजनाऐं बनाई गई है उसके अन्तर्गत 197 करोड़ रुपये का काला धन बाहर आया है और उस सीमा तक लोगों को राहत दी गई है। परन्तु जब यह सन्देह हुआ कि काले धन को बताने का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो मामले को फिर से खोला गया है परन्तु यह प्रत्येक मामले में नहीं किया गया है।

श्री रणधीर सिंह : क्या आयकर अधिकारी की कार्यवाही न्यायिक है या नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : आयकर अधिकारी कार्यवाही के दौरान जो निर्णय देता है, उसके

विरुद्ध अपील की जा सकती है अपीलकर्त्ता न्यायाधिकरण के पास भी अपील कर सकता है और इसी तरह वह बोर्ड के पास भी जा सकता है, इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं हैं।

जहां तक आयकर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही का संबध है, यह न्यायिक कार्यवाही के समान है। धारा 271(4) (क) के अंतर्गत आयकर आयुक्त की कार्यवाही न केवल न्यायिक है अपितु धारा 271(4) (ख) के अंतर्गत उसके दिये हुए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै) : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह प्रश्न पूछा गया था कि अब श्री मोरार जी देसाई सरकार में नहीं रहे हैं तो क्या बकाया राशि को निपटाने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया है ?

श्री रणधीर सिंह : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि न्यायिक निर्णय को चुनौती दी जाती है तो क्या यह न्यायालय का अपमान नहीं है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने इसकी कानूनी तथा सतथ्य स्थिति समझा दी है। हमें पता है कि इसमें सुधार की काफी संभावना है। हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने जा रहे हैं जो इन समूचे समस्या पर विचार करेगी तथा पुरानी बकाया राशि के निपटान करने और आयकर की प्रभावी वसूली के सम्बन्ध में अपने विचार देगी। माननीय सदस्य इस संबध में जो सुझाव देंगे उन पर भी हम विचार करेंगे

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 27 नवम्बर, 1969/6 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 27 November, 1969/6 Agrahayana, 1891 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.